छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

षष्ठम् विधान सभा **पंचम सत्र**

मंगलवार, दिनांक 25 फरवरी, 2025

(फाल्गुन 06, शक सम्वत् 1946)

[अंक 02]

Web copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 25 फरवरी, 2025

(फाल्गुन 6, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:00 बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए}

निधन का उल्लेख

डॉ. मनमोहन सिंह, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री

अध्यक्ष महोदय :- मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यंत दु:ख हो रहा है कि भारत के पूर्व प्रधान मंत्री, डॉ. मनमोहन सिंह जी का दिनांक 26 दिसम्बर, 2024 को निधन हो गया।

डॉ. मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितम्बर, 1932 को हुआ था। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पी.एच.डी. और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डी.फिल. की उपाधि प्राप्त की। वे देश के वित्त मंत्री, भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर, मुख्य आर्थिक सलाहकार, योजना आयोग के उपाध्यक्ष एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे। वे सन् 1991, 1995, 2001, 2007 तथा 2013 में राज्य सभा के सदस्य बनें। वे सन् 1998 से 2004 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे। वे दिनांक 22 मई, 2004 से 26 मई 2014 तक लगातार दो बार भारत के प्रधान मंत्री रहे। उन्हें भारत के आर्थिक उदारीकरण एवं आर्थिक सुधारों का प्रणेता माना जाता है। अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देने में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई बैंक तथा भारत के आर्थिक विकास के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। वे हमेशा शांत स्वभाव और सादगी के लिये जाने गये। उनकी लेखन और आर्थिक सुधारों में विशेष अभिरूचि थी। उन्हें विश्व के अनेक विश्वविद्यालय की ओर मानद उपाधि प्राप्त हुई। उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।

उनके निधन से देश ने एक वरिष्ठ राजनेता, कुशल प्रशासक तथा विशेषज्ञ अर्थशास्त्री खो दिया है।

मुझे लगता है कि मेरा स्वयं का अनुभव उनके साथ काम करने का एक लंबा अवसर मिला और 10 साल के कार्यकाल में जब वे प्रधान मंत्री थे, मैं मुख्यमंत्री की हैसियत से छत्तीसगढ़ के विषयों को लेकर हमेशा माननीय डॉ. मनमोहन सिंह जी के पास जाता रहा। मुझे यह आज भी याद है कि उतनी ही विनम्रता, सहजता के साथ छत्तीसगढ़ की एक-एक योजनाओं को सुनने के बाद अधिकारियों को

निदेर्शित करते थे और अपने मंत्रियों को भी यह कहते थे कि छत्तीसगढ़ जा रहे हो तो विकास के लिए कोई प्रकार की कमी न हो। ऐसा विशाल हृदय वाला प्रधान मंत्री, मैंने अपने 10 सालों के अनुभव में उनके साथ देखा और निश्चित रूप से बहुत ही सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति डॉ. मनमोहन सिंह जी थे। उनके निधन से हमने एक वरिष्ठ राजनेता खोया है। उनके परिवार को इस दु:ख को सहने की शक्ति दे। मैं, पूरे सदन की ओर से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी भावनाओं के साथ, मैं अपनी भावनाओं को जोड़ते हुए देश के पूर्व प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

वह असाधारण विद्वान और उतने ही सरल, सहज डॉ. मनमोहन सिंह जी का जीवन हर भारतीय को प्रेरणा देता रहेगा। डॉ. मनमोहन सिंह जी उन लोगों में से थे जिन्होंने भारत के विभाजन की विभिषिका झेली । शिक्षा के प्रति उनके अनुराग ने उन्हें आगे बढ़ने की राह दिखायी। डॉ. मनमोहन सिंह जी ने सार्वजनिक जीवन में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभायी। वे दिल्ली स्कूल ऑफ इकानॉमिक्स में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विषय के प्रोफेसर रहे। और यहां से आगे बढ़ते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर, केन्द्र सरकार में वित्त मंत्री तथा प्रधान मंत्री के पद को सुशोषित किया। डॉ. मनमोहन सिंह जी एक हीरे की तरह थे। पूर्व प्रधान मंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री नरसिम्हा राव वह जौहरी थे जिन्होंने उनकी प्रतिभा की गहराई को परखा और ऐसे कठिन समय में भारत के वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया, जब देश में भुगतान संतुलन का गहरा संकट था और देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए कुशल साथी की जरूरत थी। स्वर्गीय श्री नरसिम्हा राव ने उन्हें अर्थव्यवस्था में जरूरी सुधार करने फ्री हैण्ड दिया। डॉ. मनमोहन सिंह जी ने देश को लाईसेंस राज से मुक्ति दिलायी, जिसकी जकड़न में देश की अर्थव्यवस्था कई वर्षों तक कछुआ चाल से चल रही थी। डॉ. मनमोहन सिंह जी कम बोलते थे लेकिन उनकी बातों में गहरी सीख छिपी थी। वे सभी की बातों को ध्यान से सुनते थे और जब बोलते थे तो उनकी हर बात से कुछ सीखने को मिलता था। मेरा सौभाग्य रहा कि संसद सदस्य रहते हुए मैंने डॉ. मनमोहन सिंह जी से बहुत कुछ सीखा। वे प्रतिपक्ष के सदस्यों के साथ भी हमेशा मित्रभाव रखते थे और चर्चा के दौरान सभी की बातों को गौर से सुनते थे। राज्य सभा में उनके कार्यकाल की समाप्ति पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जो बातें कहीं, वह आज भी मुझे याद हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दोनों सदनों के सदस्यों को डॉ. मनमोहन सिंह जी के जीवन से सीख लेनी चाहिए और उनकी गहरी समझ से प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण पल में प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से उल्लेख किया था, डॉ. मनमोहन सिंह जी ने व्हीलचेयर पर बैठकर भी एक बिल पर मतदान किया था, यह इसका उदाहरण है कि एक सांसद अपने दायित्वों के प्रति कितना सजग है। वह लोकतंत्र को ताकत देने सदन में पहुंचे थे। लोकतांत्रिक परंपरायें ऐसे प्रेरणादायक उदाहरणों से समृद्ध होती हैं। डॉ. मनमोहन सिंह जी का

जीवन हमें यह सीखाता है कि हमें अध्ययनशील, विनम्र और लोककल्याण के प्रति सदैव समर्पित रहना चाहिए। हमारे प्रदेश की बहुत सुंदर स्मृतियां डॉ. मनमोहन सिंह जी के साथ रही हैं। वह अनेक अवसरों पर छत्तीसगढ़ आये। सीपत स्थित एन.टी.पी.सी. प्लांट के लोकार्पण अवसर पर उनका आगमन हम सबके लिए स्मरणीय है। उनका जीवन हम सबके लिए हमेशा प्रेरक रहेगा। मैं डॉ. मनमोहन सिंह जी को पुन: विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनायें व्यक्त करता हूं।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा कठिन और दु:खद अवसर है कि श्रद्धेय डॉ. मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि करने के लिए यहां आज अपने-अपने भाव प्रकट कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय आज जिस भाव को अपने प्रकट किया है, उस तरह के भाव विधान सभा में प्रधानमंत्री के लिए या किसी व्यक्ति के लिए अध्यक्ष प्रस्तुत करें, यह मैंने कम ही देखा है। मेरा संसदीय जीवन 45 साल का हो गया। जितने सहज और सरल ढंग से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी भावभीनी श्रद्धांजलि दी है, वह अपने आप में एक उदाहरण है। हम भले ही किसी अलग-अलग दल के हों, मगर किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जो उनके गुण थे, उनको हम प्रकट करें या उनको हम दिखाने के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करें। उनकी जो भावना थी, उनके जो आदर्श थे, उनकी जो देश के प्रति काम करने की निष्ठा थी, उसको उतने सहज भाव से आप दोनों ने प्रकट किया। मैं आप दोनों को विनम्रतापूर्वक धन्यवाद देना चाहता हूं। डॉ. मनमोहन सिंह जी आजादी से पहले और आजादी के समय जो पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बीच की विभीषिका को देखा और भारत के निर्माण के साक्षी रहे। शायद उन्हीं बातों ने उनको इस कदर प्रेरित किया कि वह विश्व में बहुत बड़े जाने-माने अर्थशास्त्री के रूप में आपने भी देखा, हमने भी देखा और देश ने भी देखा। वह प्रत्येक भारतवासी के आत्मसम्मान के लिए काम करते थे, आर्थिक स्वावलंबन के लिए काम करते थे। एक अर्थशास्त्री होने के नाते उन्होंने समावेशी विकास की कल्पना की, उसको धरातल पर उतारने का प्रयास किया। वह आप सबने, हमने देखा है। भोजन का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और यहां कि सूचना का अधिकार जिसका विरोध हुआ करता था, मैं अंत में कहूं तो उन्होंने आधार कार्ड भारत देश में लागू करने का निर्णय किया। उस समय हममें से बहुत सारे लोगों ने उनका विरोध भी किया। आज हम देख रहे हैं कि वह आधार कार्ड आज भारत के आधार का एक स्तम्भ बन चुका है। हम लोग बिना आधार के अपना परिचय भी नहीं दे पाते। मैं इन सब बातों के लिए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज हम लोग जिस मध्यम वर्ग की कल्पना कर रहे हैं या सामने देख रहे हैं, वह उनके दिये हुए या उनके बुने हुए सपनों पर आधारित एक मध्यम वर्ग भारत वर्ष में है और उन्होंने ऐसी नीतियों बनाईं, उन सब की आज हम सब लोग प्रशंसा भी करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि उन चीजों को हम आने वाले समय में लागू करें। एक रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में, एक वित्त मंत्री के रूप में और प्रधानमंत्री के

रूप में उन्होंने जो दिया, वह आज देश के सामने है। उनका सहज भाव, उनका मृदुभाषी होना और कम से कम बात करना, वे इतनी ही बात करना चाहते थे जिससे उनका काम चल जाए। वे ज्यादा बात करने में विश्वास नहीं रखते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं अनुभव किया है, क्योंकि आपने उनके साथ 10 वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है। उन्होंने आपको कभी यह सोचने को भी मजबूर नहीं किया होगा कि वे एक अन्य दल से संबंधित प्रधानमंत्री हैं। आपको पूरी तरीके से उन्होंने सुना, उन्होंने आपके कामों को सराहा और उसी तरीके से यहां विकास के लिए लगे रहे। आप भी उनके साथ काम कर चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी उनके साथ काम करने का अवसर मिला है। मुझे भी उनके साथ रहने का सौभाग्य मिला। मुझे राज्य मंत्री के रूप में काम करने का सौभाग्य मिला। एक सहज भाव से मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मगर कहना चाहूंगा कि उनकी सहजता कैसी थी। एक दिन भाव आया कि मैं जाकर उनसे कुछ कहूं और जाकर कह पड़ा कि सर, आपने मुझे राज्य मंत्री बना दिया है, मैं उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। मगर मुझे आपने श्री शरद पवार जी के साथ रखा है। मन में एक सामान्य भाव आता है तो मैंने कहा कि उनके साथ मुझे कैसा व्यवहार करना है, कैसे काम करना है? तो उन्होंने बड़ी सहजता से कहा कि महंत, वे बहुत विद्वान आदमी हैं। अब आप उनके साथ काम करेंगे तो आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो ये उनकी सहजता और विनम्रता थी। मैं उनको याद करते हुए सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं :-

पत्ता टूटा डाल से, ले गई पवन उड़ाए।
अब के बिछड़े कब मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जाए।।

इन्हीं शब्दों के साथ उनके परिवार के लिए और आप दोनों की भावना को संयुक्त करते हुए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ओम शांति।

श्री भूपेश बघेल (पाटन) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉ. मनमोहन सिंह जी का जन्म स्थान तो अब पाकिस्तान में है और उन्होंने विभाजन का दंश भी झेला। विपरीत परिस्थिति में उन्होंने जीवन की शुरुआत की और अपनी लगन और मेहनत से उन्होंने जो ऊंचाई छुआ, उसका कोई दूसरा मिसाल नहीं मिलता। प्रोफेसर के रूप में, गवर्नर के रूप में और फिर वित्त मंत्री के रूप में जो उनका कार्यकाल रहा। खासकर वह दौर जब वर्ष 1991 से 1996 में वे वित्त मंत्री बने, उस समय उन्होंने उदारीकरण की शुरुआत की और नरसिम्हा राव जी का उन पर वरदहस्त था और उस समय उन्होंने उदारीकरण की नीति अपनाई। उसके बाद बहुत सारी सरकारें आईं, लेकिन उस नीति को बदल नहीं पायी। आज देश में उस दौर को भी हम लोग याद करते हैं। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में 10 साल देश की सेवा की और वही दौर है, जिसमें उन्होंने कृषि के क्षेत्र में समर्थन मूल्य में वृद्धि की। उन्होंने 450 से सीधा 900 रूपया प्रति क्विंटल धान खरीदी की शुरुआत की। उस समय किसानों की स्थिति में बड़ा सुधार हुआ। वही दौर है, जब मनरेगा की शुरुआत की और उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी योजना रोजगार गारंटी

योजना की शुरुआत की। तब लोग कहते थे कि इतनी राशि कहां से आएगी? किन उसकी व्यवस्था भी हुई और उन्होंने जो फ़ैसला किया, हमने देखा कि कोरोनाकाल में भी ग़रीब लोगों के आर्थिक सम्बल का कारण बना । हमने देखा कि कोरोनाकाल में गरीबों के पास कोई काम नहीं था, ऐसे समय में मनरेगा के द्वारा पूरे देश के ग़रीब लोगों को रोज़गार मिला । आधार कार्ड वगैरह के बारे में तो माननीय नेताजी ने बात कह दी । वे बहुत ही सहज, सरल व्यक्ति थे । उनसे अनेक बार मुलाक़ात करने का अवसर मिला । जब मैं पहली बार विधायक बना, उस समय हमारे यहां हिम्मत स्टील फाऊंड्री था जो इन्दौर के बाद दूसरा फाऊंड्री था, वह बंद हो गया था । चंदूलाल चंद्राकर जी ने उनसे समय दिलवाया, वे उस समय वित्त मंत्री थे, तब मैं उनसे मिलने गया । हमारा डेलीगेशन बड़ा था, क्योंकि उसमें मैनेजमेंट के लोग थे और यूनियन के लोग भी थे। सबसे पहले तो उन्होंने मुझे बधाई दी और कहा कि मैं पहली बार देख रहा हूं कि मैनेजमेंट के लोग और मजदूर लोग एक साथ आए, यह तो बहुत बड़ी बात है । लेकिन उन्होंने बात सुनकर कहा कि इसमें मदद् तो नहीं हो सकती लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए और जो आए हैं उनकी संतुष्टि के लिए सभी से फोन पर बात की, रिज़र्व बैंक में भी लगाया और दूसरे बैंकों में भी लगाया, अधिकारियों से बात की लेकिन बात नहीं बन पाई । उनकी विनम्रता इतनी थी कि हम लोगों को रिसीव करने दरवाजे तक आए और छोड़ने के लिए भी दरवाजे तक आए । ऐसी विनम्रता उनमें थी। उतने बड़े पद पर रहने के बावजूद भी, उनमें कभी घमंड नहीं रहा । अध्यक्ष महोदय, उनकी आवाज़ धीमी थी लेकिन उनकी आवाज़ में मज़बूती थी, ताक़त थी । जब वे बोलते थे तो पूरी दुनिया उनको ध्यान से सुनती थी । उन्होंने एक अर्थशास्त्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवाएं की । उनसे कभी कोई तुलना नहीं हो सकती । मैं इस अवसर पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- मैं, सदन की ओर से शोकाकुल परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं । दिवंगत के सम्मान में अब सदन कुछ देर मौन धारण करेगा ।

(सदन द्वारा खड़े रहकर मौन धारण किया गया)

अध्यक्ष महोदय :- सदन की कार्यवाही 5.00 मिनट के लिए स्थगित् ।

(11.18 से 11.27 बजे तक कार्यवाही स्थगित् रही)

समय :

11.27 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)**

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कटघोरा वन मण्डल के अंतर्गत वन विभाग के द्वारा वर्ष 2023-24 व वर्ष 2024-25 में स्वीकृत कार्य

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

1. (*क्र. 174) श्री प्रेमचंद पटेल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- कटघोरा वन मण्डल के अंतर्गत वन विभाग के द्वारा वर्ष 2023-24 व वर्ष 2024-25 में कितने कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गयी व कौन से विभाग को निर्माण एजेंसी बनाया गया और कितना निर्माण कार्य पूर्ण है व कितने कार्य अपूर्ण हैं, जानकारी देवें?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) :कटघोरा वनमंडल के अंतर्गत वन विभाग के द्वारा वर्ष 2023-24 व वर्ष 2024-25 में 5346 कार्य स्वीकृत हुए हैं जिनमें से 3019 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 2327 कार्य प्रगतिरत है । कोई भी कार्य अपूर्ण नहीं हैं । कार्यवार पूर्णता एवं अपूर्णता की **जानकारी संलग्न प्रपत्र[1] में दर्शित है।** प्रश्नांकित अवधि में वन विभाग द्वारा ही कार्य एजेंसी के रूप में समस्त कार्य किया गया है ।

श्री प्रेमचंद पटेल :- माननीय वन मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि कटघोरा वन मंडल अंतर्गत वन विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 व 2024-25 में कितने कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर में बताया है कि कटघोरा वन मंडल के अंतर्गत वन विभाग के द्वारा वर्ष 2023-24 और 2024-25 में लगभग 5346 कार्य स्वीकृत हुए हैं जिसमें से 3019 कार्य पूर्ण हो चुके हैं और 2327 कार्य प्रगतिरत हैं जिसको जल्द से जल्द पूरा कराने का लक्ष्य दिया गया है। हमें विश्वास है कि उन कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करा लिया जाएगा।

श्री प्रेमचंद पटेल :- मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि 5346 कार्य स्वीकृत हुए हैं, निर्माण एजेंसी और पूर्ण अपूर्ण की स्थिति की जानकारी भी दी है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाह रहा हूं कि इन निर्माण कार्यों की एजेंसी वन विभाग को ही बनाया गया है या अन्य विभाग को भी बनाया गया है या अन्य विभागों को भी बनाया जा सकता है ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो निर्माणाधीन कार्य हैं, वह अलग-अलग योजना के माध्यम से उन कार्यों की स्वीकृति दी गयी है। कोई मनरेगा से है, कोई डी.एम.एफ. के माध्यम से है, कोई कैंपा के मद के माध्यम से है। इन सारे कार्यों की जो एजेंसी है, वह वन विभाग के माध्यम से इनका निर्माण किया जा रहा है।

---

[11] परिशिष्ट "एक"

अध्यक्ष महोदय :- श्री राजेश मूणत जी।

श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम :- सर, एक निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय :- आप इसी से संबंधित प्रश्न पूछना चाह रहे हैं ?

श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम :- जी सर, इसी से संबंधित है। यह पूरा प्रश्न मेरा विधान सभा क्षेत्र से ही संबंधित है। कटघोरा वन मंडल मेरे विधान सभा क्षेत्र में आता है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए एक प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने वर्ष 2023-24 में जो प्रगतिरत कार्य बताए हैं, जिसमें तालाब निर्माण क्रमांक 23, 24, 25, 26 है, कहीं पर भी प्रगति नहीं है। अभी तक धरातल में पटल पर कोई काम नहीं है। यह मेरे विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ही है। इसमें प्रगतिरत बताई जा रही है लेकिन कोई प्रगति नहीं है।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो जानकारी दी है, उसमें वर्ष 2024-2025 के कार्यों के प्रगतिरत होने की जानकारी दी गयी है। जिसमें हमने पूरे कार्यों की संख्या भी उपलब्ध कराई है। यदि माननीय सदस्य का इस विषय में कोई स्पेसिफिक प्रश्न है तो वह मुझे उसकी अलग से जानकारी दे दें, मैं उसको दिखवा लूंगा कि वास्तव में वहां पर कार्य निर्माणाधीन है या कार्य नहीं हो रहा है।

श्री तुलेश्वर हीरासिंह मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस कार्य को प्रगतिरत बताया जा रहा है, उस कार्य की वहां पर शुरूआत ही नहीं हुई है। परिशिष्ट में दूसरे कॉलम में 38, 39 व 40 नंबर के क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य के प्रगतिरत होने की जानकारी दी गई है। ये कार्य कहां पर कराये जा रहे हैं ? इसका स्थान चिन्हांकित नहीं है कि कहां-कहां पर कार्य हो रहे हैं। माननीय मंत्री जी इसकी जानकारी देने की कृपा करें।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जो जानकारी दी है, उसमें कैम्पा मद के कार्य में वर्ष 2024-2025 के क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य की जानकारी दी गई है। कटघोरा वन मंडल में अभी क्षतिपूर्ति के कौन-कौन से कार्य कराये जा रहे हैं, मैं आपको उसकी विस्तृत जानकारी अलग से उपलब्ध करवा दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। राजेश मूणत जी।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

डॉ. चरण दास महंत :- पहले आप प्रश्न पूछ लीजिए। मैं आपके बाद पूछ लूंगा।

श्री राजेश मूणत :- अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- नेता प्रतिपक्ष जी, क्या आप इसी में प्रश्न पूछ रहे हैं ?

डॉ. चरण दास महंत :- नहीं सर, मैं कटघोरा जा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप कटघोरा जा रहे हैं। प्रश्न पूछ लीजिए।

डॉ. चरण दास महंत :- अध्यक्ष महोदय, कटघोरा मेरा पुराना लोक सभा क्षेत्र रहा है और मरवाही भी रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह तो पेड़-पौधे लगाने की बात है, लेकिन वहां पर जितने सड़क के काम व जितने तालाब के काम स्वीकृत हुए हैं, उसकी चिन्ह तक नहीं है। वहां पर कभी काम हुआ हो, ऐसा दिखता ही नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कटघोरा, मरवाही जैसे दूरस्थ अंचलों में जहां आदिवासी लोग रहते हैं, वहां पर पिछले 4-5 सालों में कितने कार्य स्वीकृत किये गये हैं, उसकी आप विस्तृत जांच करवा लीजिए। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- यह प्रश्न वर्ष 2022-2023 व 2023-2024 का है।

डॉ. चरण दास महंत :- नहीं। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी आगे-पीछे के वर्ष की सबकी जांच करवा लें। वहां पर कुछ भी काम नहीं हुआ है।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी अपने शासन काल के कार्यों की ही जांच करवाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आपको अनुमति दे देनी चाहिए। (हंसी)

डॉ. चरण दास महंत :- यदि गलत है तो उसकी जांच करवाने में क्या दिक्कत है ? पता चल जायेगा।

श्री अजय चंद्राकर :- नेता प्रतिपक्ष जी, मैं तो आपका समर्थन कर रहा हूं।

डॉ. चरण दास महंत :- आप मेरा समर्थन करिये न। बढ़िया है। आप पहली बार तो मेरा समर्थन कर रहे हैं। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो जानकारी चाही है और उन्होंने जो प्रश्न किया है तो यदि आपके पास कटघोरा के अंतर्गत ऐसी कोई जानकारी है तो मुझे अवश्य उपलब्ध करायें। हमारे यहां राज्य स्तर पर पी.सी.सी.एफ. स्तर के अधिकारी इन पूरे कार्यों का एक बार मूल्यांकन व निगरानी करते हैं तो उसके माध्यम से हम इसको दिखवा लेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

डॉ. चरण दास महंत :- अध्यक्ष महोदय, दोनों विधायक ही हैं। इन लोगों ने जो जानकारी दी है, उसमें मैं यह चाहूंगा कि आप उसकी और पुष्टि करते हुए इसकी जांच करवा दीजिए। मैं आपको आगे-पीछे के वर्ष की जानकारी दे दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। राजेश मूणत जी।

गृह निर्माण सहकारी समितियों के बायलॉज में संशोधन

[सहकारिता]

2. (*क्र. 73) श्री राजेश मूणत : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सत्य है कि गृह निर्माण सहकारी समितियों के बायलॉज में संशोधन हेतु पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा कमेटी का गठन किया जा चुका है ? यदि हां, तो किसी तिथि को तथा अब तक इस कमेटी की कितनी बैठकें हो चुकी हैं ? **(ख)** क्या प्रश्नांक ''क'' में उल्लेखित कमेटी को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु कोई निश्चित तिथि दी गई है ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जी हां । गृह निर्माण सहकारी समितियों के बायलॉज में संशोधन हेतु पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा अधिकारियों की कमेटी का गठन दिनांक 03-09-2024 को किया जा चुका है । कमेटी द्वारा 02 बैठके की जा चुकी है । **(ख)** कमेटी को बायलॉज का प्रारूप शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं । अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित ही नहीं होता ।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रश्न पूछा है कि सामान्यत: आपने कॉपरेटिव सोसायटी के अंदर प्रदेश में कितनी संस्थाएं व कमेटी गठित की हैं ? आपने जानकारी दी है कि कमेटी की दो मीटिंग हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपने 4 महीने पहले इसी विधान सभा में ध्यानाकर्षण के प्रश्न का जो उत्तर दिया था, उसी प्रश्न के उत्तर को आज भी रिपीट कर दिया है। विभाग के अधिकारी ने जो जानकारी दी है। आपने 4 महीने पहले इसी विधान सभा में मेरे प्रश्न का जो उत्तर दिया था, आज भी मुझे सेम वही उत्तर दिया है। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि जरा आप इसकी गंभीरता को समझें। यह पूरे प्रदेश का मामला है। प्रदेश में कॉपरेटिव सोसायटी की जितनी समितियां हैं, वह आज भी एन.ओ.सी. के लिए भटकती रहती हैं। उनको कॉपरेटिव सोसायटी वाले बिना पैसे के एन.ओ.सी. नहीं देते हैं। यह ओव्हरऑल पूरे प्रदेश का मामला है, जनता से जुड़ा हुआ मामला है और राहत का मामला है। आपने कहा है कि 2 महीने में इसकी कमेटी गठित करने के बाद आज 4 महीने के अंदर भी वही उत्तर आ रहा है तो मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि आप इसकी गंभीरता को समझते हुए इसके ऊपर थोड़ा पहल करें।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। पिछली बार जब विधानसभा का सत्र था तब मैंने माननीय सदस्य को अवगत कराया था और विश्वास दिलाया था कि हम तत्काल कमेटी का गठन करेंगे। हमने तत्काल कमेटी का गठन किया। हमने दिनांक 3.9.2024 को इस कमेटी का गठन किया, जो 4 सदस्यीय कमेटी है। इसमें अध्यक्ष के रूप में अपर पंजीयक, सहकारी

संस्थाएं सदस्य के रूप में संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं रायपुर संभाग, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला रायपुर एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला दुर्ग, सदस्य हैं। इस कमेटी की दो बैठकें भी हो चुकी हैं। दिनांक 30.11.2024 पहली बैठक और 24.1.2025 को दूसरी बैठक हुईं हैं। जब हमारे समक्ष कमेटी का आदर्श विधिक प्रारूप आयेगा, तब उसके आधार पर क्या बेहतर हो सकता है, हम इस दिशा में काम करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में ऐसी कोई भी शिकायत या फिर किसी भी तरीके से इस तरह का मामला आपके समक्ष नहीं आयेगा। इस पर लगातार मॉनीटरिंग होगी। हम इसको जल्द ही ऑनलाईन करने जा रहे हैं। इसको जल्द से जल्द ऑनलाईन करके एन.ओ.सी. देने का तत्काल प्रावधान करेंगे, मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं।

श्री राजेश मूणत :- मानीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, आप गंभीर हैं, मैं इस बात पर सहमत हूं। लेकिन आपके अधिकारी इस पर कितने नीचे तक सहमत हैं, यह चिंता का विषय है। उदया सोसायटी, चौबे कालोनी, समता कालोनी, राजीव गृह निर्माण समिति, अनुपम नगर, मैं आपको शहर के 40 सोसायटियों के नाम गिना देता हूं, जो सन् 1980 से लेकर अभी तक उन सोसायटियों में मकान बने हैं, प्लाट खाली पड़े हैं, जो विवादित हैं और कई जगह लोग प्लाट बेचकर चले गये हैं। मैं आपके ध्यान में इसलिए भी ला रहा हूं कि आज भी मुझे या आम व्यक्ति या किसी को जाना पड़ता है तो बिना एन.ओ.सी. के उनकी रजिस्ट्री नहीं होती है। आपने पिछली बार कहा था कि आप ऑनलाईन कर देंगे, विभाग ऑनलाईन कर देगा। क्या हमने कमेटी की मीटिंग में प्रदेश अन्य किसी हिस्से का इस प्रकार की समितियों को छूट दी है ? ऐसा कोई अध्ययन दल या ऐसी कोई मीटिंग की रिपोर्टिंग आज तक आई है क्या, जिसके आधार पर गाईडलाईन बनाकर आगामी आदेश तक आम जनता को राहत मिल जाये ? आप एक समय-सीमा बता दें कि हम 3 महीने में कर देंगे या 6 महीने में कर देंगे, ताकि इस प्रदेश की जनता को राहत मिल जाये। जब साय सरकार है और हर काम सांय-सांय हो रहा है तो मेरा आग्रह है कि इस पर भी एक बार सांय-सांय कर दें।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, संक्षिप्त में जवाब दे दीजिये।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर में ही स्पष्ट तौर पर माननीय सदस्य को अवगत कराया। हमने जिस तरीके से आचार संहिता के दौरान भी कमेटी का गठन किया। कमेटी में उसके बॉयलॉज संशोधन के लिए मॉडल बायलॉज प्रारूप भी तैयार करने की दृष्टि से कमेटी की 2 बैठकें भी हो चुकी हैं। जब उसका जल्द से जल्द प्रारूप आ जायेगा, तो उसमें क्या बेहतर हो सकता है, हम उस दृष्टि से काम करेंगे। मैंने इस बात का आश्वासन सदस्य को दिया है और पूरे सदन को बताना चाहूंगा कि अब किसी भी तरीके से कोई शिकायत या फिर किसी भी तरीके का मामला अब इस एन.ओ.सी. को लेकर नहीं आयेगा, मैं आपको इस बात का विश्वास भी दिलाता हूं। हम इसको जल्द से जल्द करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

प्रदेश में भारतमाला परियोजना के प्रभावितों को मुआवजा

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

3. (*क्र. 226) डॉ. चरण दास महंत : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** भारतमाला परियोजना हेतु जिला रायपुर, बिलासपुर एवं कोरबा में अर्जित निजी, शासकीय एवं वनभूमि के भू-स्वामी का नाम, खसरा नंबर, रकबा, सिंचित, असिंचित सहित तहसीलवार विवरण दें? मुआवजे की दरें क्या हैं? तीनों प्रकार की भूमि में कितने-कितने पेड़ों की कटाई हो रही है ? इस हेतु मुआवजा की दरें क्या है? कितनी राशि जमा की गई है ? **(ख)** कितने भू-स्वामियों और शासकीय भूमि का मुआवजा वितरण कर दिया गया है? कितना वितरण किया जाना शेष है? वितरण में विलम्ब का कारण क्या है ? **(ग)** क्या रायपुर जिले के ग्राम नायक बांधा में किसानों के 32 खाते को 247 छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित कर मुआवजा का निर्धारण एवं वितरण किया गया है? कलेक्टर रायपुर द्वारा संस्थित जांच का निष्कर्ष तथा लोक सेवकों के विरूद्ध कार्यवाही का विवरण बताएं ? **(घ)** कार्य एजेंसी का नाम, पता, अनुबंध की तिथि, लागत राशि तथा कार्य पूर्णता अवधि भी बतावें ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क),**(ख)**, **(ग)**एवं **(घ)जानकारी एकत्रित की जा रही है।**

डॉ. चरण दास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने मेरे प्रश्न के जवाब में कहा हे कि प्रश्नांश के 'क' 'ख' 'ग' एवं 'घ' की जानकारी एकत्रित की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, 28 दिन हो गए हैं, मैंने प्रश्न आपके सचिवालय में जमा करवा दिया था। मैं जिस बारे में जानना चाहता हूं उसमें कलेक्टर ने जांच करके अपनी जांच रिपोर्ट भी दे दी है। यह सब तो सचिवालय में पड़ा ही होगा। उसके बावजूद भी जवाब नहीं आ रहा है। इसमें ऐसा है कि एक ट्रस्ट को 2 करोड़ रूपये से ज्यादा का भुगतान हो जाता है। उस ट्रस्ट को जो भुगतान होता है, उसके लिए पैसे नहीं है। Head {मद} में पैसे नहीं है, रातो-रात भुगतान हो जाता है। उस व्यक्ति को ही भुगतान नहीं होता है जिस व्यक्ति को भुगतान होना चाहिए। उनकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को भुगतान हो जाता है। उसके बाद इतनी अनियमितता होते हुए भी इस तरह से जवाब छुपाने की कोशिश हो रही है या न जानकारी बताने की जिद्द है यह तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कम से कम मैंने नायक बांधा के बारे में स्पष्ट प्रश्न पूछा है कि क्या रायपुर जिले के ग्राम नायक बांधा में किसानों के 32 खाते को 247 छोटे-छोटे टुकड़ों विभाजित कर मुआवजा का निर्धारण एवं वितरण किया गया? सर, यह निर्धारण का भी जानकारी होगा, वितरण का भी जानकारी होगा।

अध्यक्ष महोदय :- महंत जी, चूंकि मंत्री जी ने इस प्रश्न के जवाब में स्पष्ट रूप से दे दिया है कि जानकारी एकत्रित की जा रही है। जब जानकारी एकत्रित की जा रही है इसलिए इसमें प्रश्न-उत्तर नहीं बनता है। मैं इसमें यह व्यवस्था देता हूं। मुझे लगता है, चूंकि आपने प्रश्न समय के अनुरूप किया था, उसका पूर्ण उत्तर नहीं आया और नियमावली 46 (ए) के अनुसरण में माननीय सदस्य को पूरा उत्तर अवलोकनार्थ मिल जाना चाहिए जो आपको प्राप्त नहीं हुआ है। मैं अभी इसकी एक व्यवस्था दे देता हूं कि आपने यह जो प्रश्न किया था, उसको आगामी प्रश्न दिवस में पहले नंबर पर रख देंगे ताकि इसका आपको भी समय मिल जाये और मंत्री जी को भी समय मिल जाये।

डॉ. चरणदास महंत :- सर, ठीक है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जिस दिन प्रथम राजस्व विभाग की सूची आए, जिस दिन प्रश्नोत्तर हो, उसी प्रथम दिवस में इस प्रश्न का उत्तर दे दिया जाये। यदि कोई तकलीफ हो तो इसमें आधे घंटे की चर्चा स्वीकार कर लीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने स्पष्ट कहा है कि आगामी प्रथम प्रश्न दिवस में आपका प्रश्न ले लेंगे।

डॉ. चरणदास महंत :- धन्यवाद।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा एक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- अब इसमें क्या प्रश्न है? जब इस प्रश्न का जवाब आएगा तो ..।

श्री भूपेश बघेल :- सर, इसमें दुर्ग नहीं है।

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, इसमें दुर्ग भी जोड़ दिया जाये।

श्री भूपेश बघेल :- सर, मेरा इतना ही निवेदन है कि आपने रायपुर, बिलासपुर कोरबा का कहा है। दुर्ग में भी भारतमामला परियोजना संचालित है। वहां भी इस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं तो इसमें दुर्ग को भी जोड़ लीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि आगामी तिथि के पहले कृपया प्रश्नकर्ता को उत्तर उपलब्ध करा दें ताकि उनको प्रश्न करने में मदद हो।

श्री टंक राम वर्मा :- जी।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विधान सभा क्षेत्र की भारतमाला परियोजना का मुआवजा का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- जब यह प्रश्न आएगा तब देख लेंगे।

दुर्ग संभाग अंतर्गत जिला बालोद में संचालित खेल प्रशिक्षण संस्थान

[खेलकूद एवं युवा कल्याण]

4. (*क्र. 274) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या दुर्ग संभाग के खिलाड़ियों को बेहतर खेल प्रशिक्षण, शिक्षा व पोषण मिले, इसके लिए खेलकूद व युवा कल्याण विभाग द्वारा दुर्ग संभाग अंतर्गत खेल प्रशिक्षण संस्थान संचालित किए जा रहे हैं? क्या दुर्ग संभाग अंतर्गत जिला-बालोद में प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ व कितने? जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांक "क" अनुसार क्या ऐसे और खेल संस्थान जिले में खोले जाने हेतु प्रस्तावित हैं? यदि हाँ तो कहाँ-कहाँ और कब तक? जानकारी देवें?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) दुर्ग संभाग के खिलाडियों को बेहतर खेल प्रशिक्षण हेतु जिला दुर्ग में कबड्डी, जिला बालोद में वेटलिफ्टिंग, जिला बेमेतरा में कबड्डी, जिला कबीरधाम में कबड्डी एवं राजनांदगांव में हॉकी खेल के कुल 05 खेलो इंडिया लघु केन्द्र संचालित हैं। **(ख)** जी हाँ। जिला मानपुर-मोहला-अंबागढ़ चौकी एवं जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में खेल प्रशिक्षण हेतु खेलों इंडिया लघु केन्द्र का खोले जाना प्रस्तावित है। समय बताया जाना संभव नहीं है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या दुर्ग संभाग के खिलाड़ियों को बेहतर खेल प्रशिक्षण, शिक्षा व पोषण मिले, इसके लिए खेलकूद व युवा कल्याण विभाग द्वारा दुर्ग संभाग अंतर्गत खेल प्रशिक्षण संस्थान संचालित किए जा रहे हैं? क्या दुर्ग संभाग अंतर्गत जिला-बालोद में प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ व कितने? कृपया जानकारी देवें?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दुर्ग संभाग के खिलाड़ियों को बेहतर खेल प्रशिक्षण हेतु जिला-दुर्ग में कबड्डी, जिला-बालोद में वेटलिफ्टिंग, जिला-बेमेतरा में कबड्डी, जिला-कबीरधाम में कबड्डी एवं जिला-राजनांदगांव में हॉकी खेल के कुल 05 खेलो इंडिया लघु केन्द्र संचालित हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश के 33 जिलों में से 31 जिलों में खेलों इंडिया के तहत प्रशिक्षण संस्थान चल रहे हैं और 02 नये जिलों, जिला-मानपुर-मोहला-अंबागढ़ चौकी एवं जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में भी खेलों इंडिया लघु केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित है, जिसकी स्वीकृति भी मिल गई है। जिला-बालोद में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा भारोत्तोलन वेटलिफ्टिंग का एक खेलो इंडिया लघु केन्द्र है, जिसका संचालन विभाग के द्वारा किया जा रहा है। बालोद लघु केन्द्र, जिला-बालोद के दल्लीराजहरा में संचालित हैं। यहां पर अभी कुल 11 बालिका एवं 21 बालक, कुल 32 खिलाड़ी प्रशिक्षणरत हैं। साथ ही एक प्रशिक्षक भी कार्यरत हैं, जिनका मानदेय विभाग के द्वारा 25,000/- रूपये दिया जाता है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय मंत्री महोदय, जैसा आपने कहा है कि दुर्ग संभाग में 5 खेलो इंडिया लघु केन्द्र संचालित हैं। माननीय मंत्री महोदय जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपका यह उत्तर सही है?

श्री टंक राम वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, खेलो इंडिया के तहत सभी जिलों में एक-एक खेल का चयन किया जाता है। जैसे कि हमने दुर्ग संभाग में बताया है कि दुर्ग में कबड्डी का चयन हुआ है, बालोद में वेटलिफ्टिंग और बेमेतरा में कबड्डी, कबीरधाम में कबड्डी और राजनांदगांव में हाकी का चयन हुआ है । इन पांचों को खेल इंडिया के तहत लिया गया है ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे पूछा है कि इन पांचों को खेल इंडिया के तहत संचालित बता रहे हैं, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या माननीय मंत्री जी का उत्तर सही है ?

श्री टंकराम वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, संचालित है, यह उत्तर सही है, आवासीय नहीं है ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूँगा कि माननीय मंत्री महोदय मेरे प्रश्न 274 (क) के संबंध में जो उत्तर दिये हैं, वह गलत है । अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से प्रशिक्षण संस्थान के बारे में पूछा और मंत्री जी केन्द्र के खेलो इंडिया के बारे में जवाब दे रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, खेलो इंडिया का जो मंत्री जी जिक्र कर रहे हैं, यह स्थानीय स्तर पर एक संस्था है, मैंने आपको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर के बारे में कहा है और आप लघु केन्द्र के बारे में उत्तर दे रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता देता हूँ कि, खेलो इंडिया योजना, खेल विभाग का नहीं है, यह भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है । इसे क्रियान्वयन करने का काम आपके माध्यम से हो रहा है, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ में देख रहा हूँ कि यदि बच्चों को सुविधायें मिलनी चाहिये, वह नहीं मिल पा रही है । अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को संबंधित विभाग के अधिकारी गलत जानकारी दे रहे हैं । मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूँगा कि जो गलत जानकारी दे रहे हैं, उसके खिलाफ उचित कार्यवाही करेंगे ?

श्री टंकराम वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, यह खेलो इंडिया के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है, यह प्रशिक्षण संस्थान है । यह भारत सरकार की ही योजना है, जो छत्तीसगढ़ के 31 जिलों में चल रहा है । दो और जिलों का चयन एवं उनकी स्वीकृति हो गई है, जहां अप्रैल से वहां भी प्रारंभ हो जायेगा ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय मंत्री जी, यह साई के द्वारा संचालित है, खेल विभाग के द्वारा इसे कोई राशि नहीं दी जाती है, यह केवल साई के माध्यम से संचालित है । अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को अधिकारी गलत जवाब दे रहे हैं या तो उन्हें सेंटर के बारे में पता नहीं है या केन्द्र के बारे में पता नहीं है । अध्यक्ष महोदय, मैंने सेंटर के बारे में स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है, क्या यहां का सेंटर संचालित है, आपने केन्द्र के बारे में कहा है ।

श्री टंकराम वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मैं उसी चीज को फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि खेलो इंडिया के तहत ही यह संचालित है और इसमें केन्द्र सरकार से ही 5 लाख रूपये सालाना राशि आती है, जिसमें 2 लाख रूपये वहां के संधारण और बच्चों के परिवेश के लिये आता है और 3 लाख रूपये वहां के प्रशिक्षक के लिये आता है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ, मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि...।

अध्यक्ष महोदय :- आपको स्पेसिफिक कहीं जगह विशेष का पूछना हो तो पूछ लें ?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने संभाग के बारे में बात की है, 5 जगहों की बात की है, लेकिन दुर्ग संभाग में कहीं पर भी ऐसा कोई सेंटर नहीं है, जहां खिलाड़ियों को सेंटर बनाकर प्रोत्साहन किया जा रहा हो या पारितोषिक या और कुछ दिया जा रहा हो । अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से पिछले 11-09-2024 को एक पत्र दिया था कि मेरे विधान सभा और बालोद जिले के कुछ बच्चे राष्ट्रीय कूडो प्रतियोगिता में गुजरात जाने के लिये उनसे मांग की गई थी कि कम से कम सहायता मिले, लेकिन सहायता तो दूर इस पत्र का मुझे रिमाईंडर तक नहीं आया, मैंने माननीय मंत्री जी को नौंवे महीने में पत्र दिया था, माननीय मंत्री जी इसे कितनी गंभीरता के साथ ले रहे हैं, खेल में बच्चों के प्रति इनकी जो भावनायें दिख रही है और बड़ी-बड़ी बात कर रहे हैं ? अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि बच्चों के भविष्य का सवाल है, मेरे बालोद जिले के अर्जुन्दा में लगभग 64 बच्चे हैं और केवल बालिकायें हैं, जो वेटलिफ्टिंग खेल रही है और उनमें से दो-तीन बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर खेलने गई है । अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वयं उन्हें सहयोग किया तो राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिये उनका चयन हुआ था, लेकिन पैसे के अभाव में जा नहीं पाये । अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों की जो प्रतिभायें हैं, हम लोग उनको कम से कम प्रोत्साहित करें, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर जायें तो उन्हें बराबर सम्मान मिले, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय :- ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभा के प्रोत्साहन के लिये जो आप कर रहे हैं, उतना बता दीजिए ।

श्री टंकराम वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, हम ऐसे बच्चों को अनुदान देते हैं, जो बाहर खेलने के लिये जाते हैं । आप सूची दे दीजिएगा ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अध्यक्ष महोदय, मैंने यह सूची आपको दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया है, यह पत्र मैंने स्पष्ट दिया है, यह नौंवे महीने का पत्र है, आज तक मुझे रिमाईंडर तक नहीं आया है, आज तक मुझे इसका रिप्लाई तक नहीं आया है । आपने कबड्डी के बारे में कहा है कि...।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आखिरी प्रश्न करिये ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कबड्डी के स्तर की बात की है, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि बालोद विधान सभा शुरू से खेल के लिये प्रसिद्ध रहा है, कबड्डी में वहां राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हुये हैं, मैंने कुछ-कुछ जगहों पर आपसे मांग भी किया है कि कबड्डी के मैट वहां हो जाये, आप वहां मैट उपलब्ध करा दें ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, कबड्डी का मैट दे दीजिए ।

श्री टंकराम वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, हम आपको कबड्डी का मैट उपलब्ध करा देंगे ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मंत्री जी, पूरे प्रदेश में उपलब्ध करवा दीजिए ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- संजारी बालोद, गुण्डरदेही और डौंडीलोहारा तीनों जगह उपलब्ध करवा दीजिए ।

श्री व्यास कश्यप :- मंत्री जी, पूरे छत्तीसगढ़ में उपलब्ध करवा दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- आपके काफी प्रश्न हो गए ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- एक अंतिम और छोटा प्रश्न करना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं । मैंने दिशा की बैठक में कलेक्टर महोदय से निवेदन किया था । बालोद जिले में एक भी व्यायाम शाला नहीं है, खासकर गुण्डरदेही विधान सभा में व्यायाम शाला खुलवा दें, वहां 64 बालिकाएं हैं। मैंने कलेक्टर महोदय से अनुरोध किया है कि कम से कम डीएमएफ की राशि से बच्चों के लिए अर्जुंदा में एक व्यायाम शाला करवा दें तो जो प्रशिक्षण दे रहे हैं, मैं वैकल्पिक व्यवस्था कर दूंगा, वह स्कूल के भवन में संचालित है । अगर वहां एक व्यायाम शाला बन जाएगा तो बच्चों को उसका लाभ मिल सकता है, यह मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप व्यायाम शाला के लिए कुछ बोल सकते हैं तो बोल दीजिए ।

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत बजट में जो प्रावधान आएगा, उसमें विचार करके फिर हम इसको करेंगे ।

राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की विभागीय जांच की अद्यतन स्थिति

[सामान्य प्रशासन]

5. (*क्र. 190) श्री धरमलाल कौशिक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- प्रदेश में 31 जनवरी, 2025 की स्थिति में कुल कितने राज्य प्रशासनिक सेवा में प्रथम श्रेणी के कुल कितने पद स्वीकृत, भरे व रिक्त हैं? इनमें से किन-किन अधिकारियों के विरूद्ध वर्ष 2019 से ईओडब्ल्यू, एसीबी तथा राज्य शासन द्वारा कब से, किन-किन कारणों से एवं किस विषय से संबंधित जांच/विभागीय जांच की गई/की जा रही है तथा अद्यतन स्थिति क्या है एवं जांच लंबित है तो कब से

लंबित है? किन-किन राज्य जांच एजेंसी द्वारा कब-कब किन-किन अधिकारियों के विरूद्ध चालान, सम्मन व प्रकरण दर्ज होने की जानकारी छ.ग. शासन को दी गई है तथा इनके विरूद्ध शासन द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : 31 जनवरी, 2025 की स्थिति में राज्य प्रशासनिक सेवा में प्रथम श्रेणी के कुल 255 पद स्वीकृत, 251 भरे व 4 पद रिक्त है। इनमें से जिन अधिकारियों के विरूद्ध वर्ष 2019 से ईओडब्ल्यू, एसीबी तथा राज्य शासन द्वारा की जा रही जांच/विभागीय जांच कार्यवाही की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-'अ'**[2] **एवं 'ब' अनुसार** है।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया है कि राज्य प्रशासनिक सेवा के कितने अधिकारियों के विरूद्ध में ईओडब्ल्यू, एसीबी और विभागीय जांच लंबित हैं ? प्रश्न के उत्तर में 6 अधिकारियों का नाम आया है । मैंने प्रश्न में तारीख लिखी थी, कारण भी लिखा था, लेकिन उसमें स्पष्ट उत्तर नहीं आया कि वह मामला कब से लंबित है ? साथ ही प्रश्न लगने के बाद में भरोसा राम ठाकुर के खिलाफ विभागीय पत्र दिनांक 28-1-2025 द्वारा राज्य आर्थिक अपराध अन्वेशण एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो, छत्तीसगढ़ को श्री भरोसा राम ठाकुर (राज्य प्रशासनिक सेवा) के अधिकारी के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा-17 के तहत जांच/विवेचना हेतु अनुमति प्रदान की गई है । वह अनुमति प्रश्न लगने के बाद में की गई । इसी प्रकार टेकराम माहेश्वरी का प्रकरण पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको 7.1.2025 को निलंबित किया गया तथा 4.2.2025 द्वारा विधि विभाग को अभियोजन स्वीकृति हेतु सहमति प्रदान की गई । मैं एक अधिकारी का प्रकरण और पढ़ देता हूं । यह है-श्रीमती ज्योति बबली, इसके लिए अभिमत उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 27.10.2023 को पत्र लिखा गया था और जब अभी प्रश्न लगा तो उसको स्मरण-पत्र दिनांक 14.02.2025 को प्रेषित किया गया है । मतलब इससे यह गंभीरता दिखाई दे रही है कि अधिकारियों द्वारा किए गए करप्शन और विभिन्न मामलों में उनको जो जांच होनी चाहिए तो उसके प्रति कितनी गंभीरता है । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर पूछना चाहता हूं कि इनके खिलाफ में समुचित रूप से कब तक कार्रवाई की जाएगी ? आप तो हमारे मुखिया हैं, सब समझदार हैं । आप बताएंगे कि इनके प्रकरण के निराकरण में इतना विलम्ब क्यों हुआ और इसमें कब तक कार्रवाई की जाएगी ?

श्री विष्णु देव साय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, हमने उसका विस्तार से उत्तर दिया गया है, लेकिन विशेष रूप से भरोसा राम ठाकुर और टेकराम माहेश्वरी के विषय में इन्होंने जानना चाहा है । हम आपको आश्वस्त करेंगे कि हमारी सरकार ने सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किया है और सुशासन भी स्थापित करेंगे । सरकार करप्शन के मामले में

[2] परिशिष्ट "दो"

जीरों टालरेंस की नीति पर चल रही है । कोई भी अधिकारी जो दोषी पाए जाएंगे, वे बक्शे नहीं जाएंगे, यह मैं आपको इस सदन में विश्वास दिला रहा हूं । (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- बहुत बढ़िया ।

(माननीय सदस्य श्री रामकुमार यादव द्वारा हाथ उठाने पर)

अध्यक्ष महोदय :- नहीं भाई, अब प्रश्न श्री आशा राम नेताम जी का है। वह प्रश्न हो गया है। आप लोग खुद प्रश्न लगाइए ना।

श्री रामकुमार यादव:- अध्यक्ष महोदय, इसी में है।

अध्यक्ष महोदय :- इसी में नहीं होता।

वन मण्डल भानुप्रतापपुर में गिट्टी, मुरूम व रेत का रॉयल्टी क्लियरेंस

[खनिज साधन]

6. (*क्र. 318) श्री आशा राम नेताम : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वनमण्डल भानुप्रतापपुर पूर्व व पश्चिम में विगत तीन सालों में गिट्टी, मुरूम व रेत की कितनी रॉयल्टी क्लियरेंस प्राप्त हुई है? क्या वर्तमान में इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं हुई है तो लंबित होने का कारण क्या है? (ख) प्रश्नांक-'क' अंतर्गत जिला कांकेर के सभी विभागों में रॉयल्टी क्लियरेंस के लिए कलेक्टर द्वारा प्रेषित पत्र के परिपालन में क्या कार्यवाही की गई है? (ग) जिला कांकेर के कितने रेत, मुरूम एवं गिट्टी खदानों को वर्तमान में "सीया कमेटी" द्वारा खनन की स्वीकृति प्राप्त हुई है? कितने खदान बिना स्वीकृति के संचालित हो रहे हैं एवं इस पर आपके द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? (घ) जिन खदानों को "सीया कमेटी" की स्वीकृति प्राप्त है, क्या उनके द्वारा नियमों को ताक में रख कर खनन करने की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां तो प्राप्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) वन मण्डल भानुप्रतापपुर पूर्व व पश्चिम अंतर्गत विगत तीन सालों में गिट्टी, मुरूम व रेत के रॉयल्टी क्लियरेंस हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है । जी हां, 02 शिकायत प्राप्त हुई है, उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी "संलग्न प्रपत्र-अ"[3] अनुसार है।(ख) जिन विभागों से रायल्टी क्लियरेंस के लिए आवेदन प्राप्त होते है, उनमे कलेक्टर द्वारा प्रेषित पत्र के परिपालन में रायल्टी क्लियरेंस प्रदान किया जाता है।(ग) जिला कांकेर में रेत/मुरूम/गिट्टी की कुल 22 खदानों में "सिया कमेटी" से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त है तथा शेष 11 खदानों में जिला स्तरीय समिति (डिया) द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति पर "सिया कमेटी" द्वारा अंतरिम राहत प्रदान की गयी है। बगैर

[33] परिशिष्ट "तीन"

पर्यावरण स्वीकृति के कोई भी खदान संचालित नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जानकारी "संलग्न प्रपत्र-ब" अनुसार है।

श्री आशा राम नेताम :-अध्यक्ष महोदय, मैंने मुख्य मंत्री जी से तीन विषयों में प्रश्न किया था और मुझे उन प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर मिल चुका है, इसलिए इसमें प्रश्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- आपको कोई आवश्यकता नहीं लग रही है?

श्री आशा राम नेताम :- अध्यक्ष महोदय,जी। उत्तर संतोषजनक है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न क्रमांक 07, श्री अजय चन्द्राकर जी।

छत्तीसगढ़ वेटलैण्ड (नम भूमि) प्राधिकरण में सम्मिलित स्थंल

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

7. (*क्र. 127) श्री अजय चंद्राकर :- क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) छत्तीसगढ़ वेटलैण्ड प्राधिकरण कब बना? इसका उद्देश्य क्या है? इसके अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्य कौन-कौन हैं? (ख) छत्तीसगढ़ में कितने स्थलों एवं कितनी एकड़ भूमि को छत्तीसगढ़ वेटलैण्ड प्राधिकरण अंतर्गत शामिल किया गया है? इसके संरक्षण एवं संवर्धन हेतु शासन के क्या दिशा-निर्देश हैं? (ग) छत्तीसगढ़ वेटलैण्ड प्राधिकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक कितनी-कितनी राशि का बजट प्रावधान किया गया था तथा कितना-कितना केन्द्रीय अनुदान प्राप्त हुआ है? प्राप्त राशि का उपयोग किन-किन स्थलों के लिये, कितनी-कितनी राशि, किन-किन कार्यों में व्यय की गयी? इसके कार्य किस एजेंसी द्वारा किये गये? उसके मालिक का नाम, संस्था व पता सहित बतायें? (घ) क्या उक्त प्राधिकरण के संबंध में किसी भी प्रकार की अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां तो किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुयी हैं और उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही, किसके विरूद्ध की गयी है?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- (क) छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक F.N.4-02/2020/32, दिनांक 01.07.2020 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य वेटलैण्ड अथॉरिटी (प्राधिकरण) का गठन किया गया है। प्राधिकरण के गठन का उद्देश्य राज्य में स्थित वेटलैण्ड्स का Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017 के अनुसार संरक्षण व संवर्धन करना है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक F.No. 9-55/2016/1/5 दिनांक 17-12-2021 के द्वारा छत्तीसगढ़ वेटलैंड अथॉरिटी का पुनर्गठन किया गया है, जिसके अनुसार प्राधिकरण के अध्यक्ष, माननीय मंत्री, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन तथा प्राधिकरण के सदस्य सचिव के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड के सदस्य सचिव को

नामांकित किया गया है। प्राधिकरण के अन्य सदस्य निम्नानुसार हैं- 1.प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, 2. भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन एवं सिंचाई विभाग, 3.भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि एवं मछली पालन विभाग, 4.भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग 5.भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, 6.भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, 7. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, 8. भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पर्यटन विभाग, 9.प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी), नवा रायपुर, अटल नगर, 10. निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, विधानसभा रोड, दलदल सिवनी, रायपुर, 11.सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर, 12.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर, महाराष्ट्र (ख) Space Application Centre Atlas 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में 2.25 हेक्टेयर से ऊपर के 11,457 वेटलैण्ड्स (846195.08 एकड़) को चिन्हित किया गया है। इनके संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भारत शासन द्वारा Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017 के अंतर्गत दिशा-निर्देश (छत्तीसगढ़ राज्य वेटलैण्ड अथॉरिटी के कर्तव्य/दायित्व) दिए गए हैं, जिनकी सूची संलग्न प्रपत्र-अ[4] में दर्शित हैं। (ग) छत्तीसगढ़ वेटलैण्ड प्राधिकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 में कोई भी राशि प्रावधानित नहीं थी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण हेतु नवीन बजट मद मांग संख्या 10- मुख्य शीर्ष-2406-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) (6673) #14 सहायक अनुदान 012 अन्य अनुदान नवीन मद अंतर्गत सृजित करते हुए राशि रू.10.00 करोड़ का प्रावधान किया गया था। प्रावधानित राशि में से दिसम्बर 2023 में प्राप्त राशि रू.4.00 करोड़ में वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपयोग की गई राशि रू. 322.17 लाख का विवरण संलग्न प्रपत्र-ब में दर्शित है। छत्तीसगढ़ वेटलैण्ड प्राधिकरण को कोई भी केन्द्रीय अनुदान राशि प्राप्त नहीं हुई है। (घ) प्राधिकरण के संबंध में किसी भी प्रकार की अनियमितता एवं शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने दिनों में आपको आर्द्रभूमि या वेटलैंड का सर्वे करना है और गठन के बाद आपने कितने दिनों में सर्वे किया और आपने जिस अवधि में सर्वे किया, उस सर्वे में कितना पैसा व्यय हुआ और वह कहां से आया?

श्री केदार कश्यप :- अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ वेटलैंड प्राधिकरण का गठन सुप्रीम कोर्ट के 4 अक्टूबर, 2017 के निर्देश के आधार पर 1 जुलाई, 2020 को किया गया और इसमें हमारे पूरे प्रदेश के लगभग 9695 वेटलैंड्स का ground plotting किया गया है और लगभग 4764 का ।

---

[44] परिशिष्ट "चार"

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बहुत विद्वान हैं और वह चौथी बार के मंत्री हैं, समय कैसे पास करना है, वह इस बात को समझ रहे हैं। मंत्री जी, मैंने पूछा कि आपने जो जानकारी दी है, तो कितनी अवधि में सर्वे करना है, कितनी अवधि में आपने सर्वे किया और उस सर्वे में कितना पैसा खर्च हुआ और वह पैसा कहां से आया?

श्री रामकुमार यादव :- वह मांग रहे हैं दूसरा और आप दे रहे हैं दूसरा। वह समोसा मांग रहे हैं और उनको पराठा दे रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, ऐ, ये थोड़ा अकलवाला प्रश्न हे।

श्री केदार कश्यप :- अध्यक्ष महोदय, दिसंबर, 2023 में बजट में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जिसमें से लगभग 3 करोड़, 22 लाख, 17 हजार रुपए अभी हमने इस कार्य में व्यय किया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, ठीक है, आपने बता दिया ना। आपने 2020 में गठन के बाद 2021, 2022, 2023 में तीन साल आपने सर्वे ही नहीं किया जबकि एक साल में आपको सर्वे करना था और जो सर्वे किया है, उस साल आपके पास बजट नहीं था। वह सर्वे कौन से बजट से हुआ, कितना खर्च हुआ, मैं ये पूछ रहा हूं। आपने उत्तर में कहा है कि 2024 में व्यय किया है। मैं जो पूछ रहा हूं, कृपया मुझे वह बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, वेटलैंड में समय पर सर्वे करना है और उस समय पर सर्वे नहीं हुआ और जिस समय सर्वे हुआ बताया गया है, उस समय इनके पास बजट में पैसे नहीं थे और जो बजट में पैसे इन्होंने बताये हैं और खर्च बताए हैं, वह दूसरे कार्यों में है, वह इनके उत्तर में लगा हुआ है इसलिए मैं स्पेशिफिक पूछ रहा हूं। या तो आप स्वीकार कर लीजिए कि इसमें समय पर सर्वे नहीं हुआ है, तो हम लोग आगे बढ़ें।

श्री केदार कश्यप :- अध्यक्ष महोदय, सर्वे हुआ है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, तो फिर बताइए कि 2020-21, 2021-22, 2022-23 में सर्वे कौन किया और उसमें कितना पैसा व्यय हुआ और 2.25 हेक्टेयर जमीन से नीचे के सर्वे होते हैं या नहीं होते हैं?

श्री केदार कश्यप :- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही है, वह सर्वे के बारे में पूछ रहे हैं। हमने सर्वे विभागीय मद से कराया है और इसमें जो प्रावधान है, उसके तहत हमने लगभग आज तक 2.25 हेक्टेयर से बड़े जो हमारे वेटलैंड हैं, उसमें लगभग 11457 वेटलैंड्स।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, जो लिखा है, उसे मैंने पूछा नहीं है। मैं पूछा हूं कि 2.25 हेक्टेयर जमीन से नीचे के सर्वे करने के नियम हैं या नहीं हैं? जल्दी बता दीजिए क्योंकि समय 11.59 हो रहा है। खैर, वह नहीं बताएंगे, मेरा आपके माध्यम से एक आग्रह है।

अध्यक्ष महोदय :- आप आग्रह कर लीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, अब आपसे आग्रह कर रहा हूं, पूछ नहीं रहा हूं क्योंकि समय खत्म हो जाएगा। वेटलैंड प्राधिकरण बना तो है, पर उसमें कोई काम हो नहीं रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसे प्रभावी बनाएं। आपके पास शिकायत हुई है, मैं आपको शिकायत की कॉपी दिया हूं। रोज पेपरों में छप रहा है कि नवा रायपुर के झांझ तालाब को पाटा जा रहा है और आप कहते हैं कि मेरे पास कोई शिकायत नहीं है। पेपर में छप रहा है, शिकायत की कॉपी मैंने बताई, यह बहुत महत्वपूर्व विषय है, इसे आप प्रभावी बनाने का कष्ट करें।

श्री रामकुमार यादव :-तोर दशा ल देखके मोला तरस आवथे।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

12.00 बजे

जन्मदिवस की बधाई

श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्या, श्रीमती अनिला भेंडिया जी का आज जन्मदिन है। मैं अपनी ओर से और इस सदन की ओर से उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि उनका जीवन सदैव स्वस्थ, सफल और सुखी रहे। ईश्वर आपको सदैव खुशहाल रखें (मेजों की थपथपाहट)।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, क्या जन्मदिन की कोई मिठाई पटल पर रखी जायेगी ? (हंसी)

समय :

12.00

अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 2025 (क्रमांक 1 सन् 2025)

उप मुख्यमंत्री (पंचायत एवं ग्रामीण विकास) (श्री विजय शर्मा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 2025 (क्रमांक 1 सन् 2025) पटल पर रखता हूं।

समय :

12.01 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) छत्तीसगढ़ लोक आयोग की बाईसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 (क्रमांक 30 सन् 2002) की धारा 11 की उपधारा (6) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक आयोग की बाईसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024 पटल पर रखता हूं।

(2) पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 (01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024)

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 (क्रमांक 26 सन् 2004) की धारा 29 की उपधारा (2) की

अपेक्षानुसार पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 (01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024) पटल पर रखता हूँ।

(3) कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 (01 जुलाई, 2023 से 30 जून, 2024 तक)

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004) की धारा 31 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 (01 जुलाई, 2023 से 30 जून, 2024 तक) पटल पर रखता हूँ।

(माननीय सदस्यों द्वारा अपने स्थान पर बैठकर आपस में बातें करने पर)

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री जी पत्रों को पटल पर रख रहे हैं, उसकी जानकारी दे रहे हैं। आप कृपया आपस में बातें न करें।

(4) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2023-2024

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (कमांक 13 सन् 2005) की धारा 42 के अधीन अधिसूचित छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2005 के नियम 22 एवं नियम 23 के उपनियम (घ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2023-2024 पटल पर रखता हूँ।

समय:

12.03 बजे **दिसम्बर, 2024 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन सदन के पटल पर रखा जाना**

अध्यक्ष महोदय :- दिसम्बर, 2024 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन सचिव, विधानसभा, सदन के पटल पर रखेंगे ।

सचिव, विधानसभा :- मैं, अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-ख की अपेक्षानुसार दिसम्बर, 2024 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन सदन के पटल पर रखता हूं।

समय:
12.03 बजे **नियम 267 "क" के अधीन दिसम्बर, 2024 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना**

अध्यक्ष महोदय:- नियम 267 "क" के अधीन दिसम्बर, 2024 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन सचिव, विधान सभा सदन के पटल पर रखेंगे।

सचिव, विधान सभा :- मैं, नियम 267 "क" के अधीन दिसम्बर, 2024 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन सदन के पटल पर रखता हूँ।

समय :
12.04 बजे **राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना**

अध्यक्ष महोदय :- षष्ठम् विधान सभा के दिसम्बर, 2024 सत्र में पारित कुल 7 विधेयकों में से 6 विधेयकों पर माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है। अनुमति प्राप्त विधेयक का विवरण सचिव, विधान सभा सदन के पटल पर रखेंगे।

सचिव, विधान सभा :- षष्ठम् विधान सभा के दिसम्बर, 2024 सत्र में पारित कुल 7 विधेयकों में से 6 विधेयकों पर माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है, जिसका विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- अनुमति प्राप्त विधेयक के नाम को दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

समय:
12.04 बजे **सभापति तालिका की घोषणा**

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की नियमावली के नियम 9 के उप नियम (1) के अधीन में निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिये नाम-निर्दिष्ट करता हूँ :-

1. श्री विक्रम उसेण्डी
2. श्री धर्मजीत सिंह
3. सुश्री लता उसेण्डी
4. श्री लखेश्वर बघेल
5. श्री दलेश्वर साहू
6. श्री प्रबोध मिंज

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पृच्छा

श्री भूपेश बघेल (पाटन) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती और लो वोल्टेज के कारण से पेयजल और गर्मी फसल में चाहे धान की फसल हो, चाहे वह फल सब्जी की फसल हो, चाहे मक्के, गन्ने की फसल हो, सब प्रभवित हो रहा है। इससे यहां एक ओर बिजली कटौती के कारण से पेयजल की दिक्कत आ रही है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो नलजल योजना है, संचालित हो रही हैं। चूंकि वहां पर बिजली नहीं मिलने के कारण से पानी नहीं मिल रहा है क्योंकि यहां पर अमृत जल योजना लागू होने के कारण से नया बोर खनन नहीं हो रहा है तो वहां लोगों को बड़ी परेशानी पेयजल के लिए भी है और आज प्रदेश का किसान भारी चिंतित है कि हमारी गर्मी की फसल बचेगी या नहीं बचेगी? क्योंकि अभी से उनके फसल सूखने लगे हैं। इसमें हमने स्थगन दिया है। हमारा आपसे यह आग्रह है कि इसे स्वीकार कर, काम रोककर इस पर चर्चा करवाएं।

अध्यक्ष महोदय :- भाई, सबको बोलने की जरूरत नहीं है। माननीय भूपेश जी ने पढ़ दिया, आप एक और सदस्य बोल दीजिए। यहां आपका विषय आ गया।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में भी किसान लोग परेशान हैं।

अध्यक्ष महोदय :- सब नहीं, आप अपनी बात बोलिए । वह भी पूरे क्षेत्र की बात बोल रहे हैं। सबको नहीं, आप बोलिए।

श्री उमेश पटेल(खरसिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने स्थगन दिया है और जिस तरह से प्रदेश का भूजल स्तर नीचे जा रहा है और इस गर्मी में हमें जल का संकट दिखने वाला है। उस पर हम लोगों ने स्थगन लाया है और साथ ही साथ इसके कारण से जो किसान चिंतित है कि उनकी रबी फसल का क्या होगा? इस विषय को हमने अपने स्थगन में बताया है तो आप इस स्थगन पर चर्चा कराएं।

अध्यक्ष महोदय :- यहां पर विषय आ गया। आप बोल दीजिए। फिर हो गया।

श्री दवारिकाधीश यादव (खल्लारी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में किसानों की रबी की फसल चौपट होने की स्थिति में है। यहां बिजली की कटौती हो रही है और उनके खेतों में सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है। विद्युत मण्डल ने एक नया सिस्टम लाया है। छोटे से छोटे वर्ग के लोग जिनका तीन हजार, चार हजार रूपये का बिजली बिल बकाया है। बकायदा अखबार में प्रकाशित करके, उसको लज्जित किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि यह अखबारों में जो आ रहा है वह शासन के आदेश से आ रहा है या अधिकारी अपने स्तर पर कर रहे हैं। कल से खल्लारी विधान सभा क्षेत्र में आन्दोलन की शुरूआत हो गई है। यहां फसल पूर्णत: चौपट होने की स्थिति है। इस प्रदेश का किसान इस बात से चिंतित है। पूर्व में कई कलेक्टर ने कहा कि रबी फसल में धान लेने पर बिजली काटी जाएगी तो

उसकी आड़ से पीछे दरवाजे से जानबूझकर सरप्लस बिजली वाले प्रदेश में किसानों को बिजली नहीं दी जा रही है। पूरे प्रदेश में स्थिति काफी गंभीर है। इसमें चर्चा की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय :- महंत जी, आप भी बोलना चाहते हैं तो आप बोल लीजिए।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश से यही खबर आ रही है कि बिजली की कटौती और पानी नहीं मिलने के कारण पूरे प्रदेश के किसान परेशान हैं। हमारे गरीब लोग परेशान हैं। आने वाले महीनों में उनको जो पानी की समस्या झेलनी पड़ेगी । अब बिजली बिल की बात तो अलग हो रही है। आज बिजली व्यवस्था ठीक नहीं है जिसके कारण उनको घण्टों-घण्टों बिजली नहीं मिल पा रही है। उनके खेतों में सिंचाई नहीं हो पा रही है। पूरा प्रदेश इस परेशानी से जूझ रहा है। मेरा निवेदन है कि इसे स्वीकार कर लें और चर्चा करा दें ताकि हम, आपके सामने अपनी बातों को रख सकें।

अध्यक्षीय व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय :- माननीय भूपेश बघेल, सदस्य एवं प्रतिपक्ष के नेता सहित विपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा बिजली की अघोषित कटौती से संबंधित स्थगन प्रस्ताव की सूचना का मैंने अवलोकन किया। आज अनुपूरक प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इसके पश्चात् माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी। यहां सदस्यों को अपनी बात कहने का पर्याप्त समय मिलेगा। अत: विचार के उपरांत मैंने इस प्रस्तुत स्थगन को अग्राह्य किया है। श्री महंत जी अपनी ध्यानाकर्षण सूचना पढ़े।

समय
12.09 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

(1) बिलासपुर जिले के ग्राम लोफंदी में मादक पदार्थों के सेवन से लोगों की मौतें होना.

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत), विक्रम मंडावी, श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यान आकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

प्रदेश के बिलासपुर के पास लोफंदी गांव में मादक पदार्थ का सेवन करने से 6 फरवरी 2025 से 8 फरवरी 2025 के बीच तीन दिन में आठ लोगों की मृत्यु हो गई। 9 फरवरी को एक ग्रामीण की उपचार के दौरान मौत हो गई। इसके अतिरिक्त चार ग्रामीणों का रायपुर में उपचार चल रहा है तथा गांव में स्वास्थ्य विभाग द्वारा हेल्थ कैम्प लगाकर उपचार किया जा रहा है तथा घबराहट के लक्षण वाले तीन पीड़ितों का सिम्स बिलासपुर में उपचार चल रहा है। ग्रामीणों द्वारा 6 मृतकों का अंतिम संस्कार कर

दिया गया। ग्राम पंचायत के सरपंच के भाई का शव अंतिम संस्कार के लिए ग्रामवासी ले जा रहे थे उसी दौरान स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों द्वारा सिम्स लाया गया। ग्रामीणों के अभिकथन एवं सिम्स अस्पताल परिसर की पुलिस चौकी के मेमो डायरी में मृतकों का शराब सेवन से तबियत बिगडना लिखा है। उसके बाद भी प्रशासन मानने को तैयार नहीं है। ग्राम पंचायत में जहरीली शराब सेवन से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। लोफंदी ही नहीं बिलासपुर जिला सहित पूरे प्रदेश में शराब तथा अन्य मादक पदार्थों का अवैध कारोबार व्यापक पैमाने पर चल रहा है। दुर्भाग्यजक बात यह है कि अन्य प्रदेश में निर्मित शराब सहित अन्य मादक पदार्थ प्रदेश की सीमा में बेधड़क प्रवेश कर दो से तीन सौ किलीमीटर की दूरी तय करके रायपुर-दुर्ग के आसपास पुलिस की पकड़ में आते हैं। अवैध शराब सस्ती एवं आसानी से घर तक पहुंच कर मिलने के कारण कमजोर वर्ग एवं ग्रामीणों के बीच इसकी मांग बढ़ी है। गांव-गांव में दूध के पैकेट की तरह शराब सरलता से मिल रही है। पिछले दिनों भिलाई दुर्ग में 31 लाख की शराब पकड़ी गई। बिलासपुर में तो गोवा से तीन राज्यों की सीमा पार करते हुए एक करोड़ की शराब से भरा कंटेनर पकड़ाया है। बिलासपुर में एक माह में 6 हजार लीटर से ज्यादा अवैध शराब पकड़ी गई है। अवैध शराब का धंधा पूरी तरह से आबकारी विभाग एवं स्थानीय पुलिस के संरक्षण में फलता-फूलता है। पुलिस के छापे से पहले तस्करों को सूचना मिल जाती है। मौके पर विभाग द्वारा कम मात्रा में शराब की जब्ती बनाकर आरोपियों को छोड़ दिया जाता है। नशे के दलदल में प्रदेश का युवा, मजदूर वर्ग फंसते जा रहे हैं। लोफंदी जैसी घटना के कारण शासन-प्रशासन के प्रति प्रदेशवासियों में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

श्री विक्रम मंडावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- अभी तो माननीय नेता प्रतिपक्ष जी अपनी ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़े हैं न। माननीय मंत्री जी का उत्तर आने के बाद कोई विषय आयेगा। आप तो वरिष्ठ सदस्य हैं। आप प्रकिया का पालन करिये।

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय यह कहना सही नहीं है कि बिलासपुर जिले के ग्राम लोफंदी में दिनांक 6 फरवरी 2025 से 08 फरवरी 2025 के बीच 03 दिनों में 08 लोगों की मृत्यु हुई है। वस्तुस्थिति यह है कि इस अवधि में 06 लोगों की असामयिक मृत्यु हुई है। पुलिस एवं प्रशासन के संज्ञान में आने के पूर्व ही परिजनों द्वारा 04 ग्रामीणों की मृत्यु को स्वाभाविक मृत्यु समझकर अंतिम संस्कार किया जा चुका था एवं पुलिस के संज्ञान में आने के बाद 02 मृतकों की मृत्यु पर मर्ग की जांच की गई। 01 मृतक पवन कश्यप की मृत्यु उपचार के दौरान दिनांक 09 फरवरी 2025 को अस्पताल में हुई है।

ग्राम लोफंदी में ग्रामीणों की असामयिक मृत्यु की जनचर्चा पर थाना प्रभारी कोनी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी घटना की सत्यता जानने हेतु दिनांक 08 फरवरी 2025 को ग्राम लोफंदी गये। ग्राम में परिजनों द्वारा मृतक रामूराम सुनहले के शव के अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही थी। संदेहास्पद

मृत्यु होने से शव को पोस्टमार्टम हेतु सिम्स बिलासपुर भेजा गया। ग्राम में यह भी पता चला कि इसके पूर्व चार व्यक्तियों की मृत्यु होने से उनके परिजनों द्वारा अंतिम संस्कार किया जा चुका है। पुलिस को मृतकों के परिजनों द्वारा न तो कोई शिकायत दी गई और न ही कोई सूचना दी गई। पुलिस को सूचना प्राप्त होने से पूर्व ही शव का अंतिम संस्कार होने से मर्ग पंजीबद्ध नहीं किय गया। इन चार मृतकों का विवरण इस प्रकार है :-

5. मृतक बलदेव पटेल उम्र 59 साल की आकस्मिक मृत्यु के संबंध में उसकी पत्नी रामेश्वरी ने अपने कथन में बताया कि 07 तारीख की सुबह बाड़ी में काम करते समय पति को अचानक चक्कर आने से इलाज हेतु देवर- लक्ष्मी पटेल, जेठ- बलराम पटेल के साथ ईलाज हेतु श्रीराम हॉस्पिटल, बिलासपुर लेकर गये थे, जहां डॉक्टर ने हार्ट अटैक से मृत्यु होना बताया, जिस पर उसके परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया।

6. मृतक कोमल लहरे उम्र 57 साल की आकस्मिक मृत्यु के संबंध में उसकी पत्नी पंचवती के कथनानुसार मृतक मानसिक रोगी था और आदतन शराबी था, उसे लो बी.पी. की भी शिकायत थी जिस उपचार हेतु मेडीबोन अस्पताल बिलासपुर ले गये थे, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत होना बताया। पति की मृत्यु की बीमारी से होना समझकर बिना सूचना दिये अंतिम संस्कार कर दिया।

7. मृतक कन्हैया पटेल उम्र 60 साल की आकस्मिक मृत्यु अचानक चक्कर आने एवं सांस लेने में दिक्कत होने के पश्चात् मृत्यु दिनांक 07.02.2005 को हुई है।

8. मृतक कोमल देवांगन का स्वास्थ्य खराब होने एवं सांस लेने में परेशानी होने से आकस्मिक मृत्यु दिनांक 07.02.2025 को हुई है।

ग्राम लोफंदी में दिनांक 06 फरवरी से 08 फरवरी तक 03 व्यक्तियों की अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती होने की सूचना प्राप्त हुई, जिनकी बाद में आकस्मिक मृत्यु हो गई, जिस पर मर्ग पंजीबद्ध कर जांच किया गया। विवरण इस प्रकार है :-

4. मृतक रामू राम सुनहले उम्र 45 साल की आकस्मिक मृत्यु होने पर ग्रामीणों द्वारा कफन-दफन हेतु ले जाया जा रहा था। पुलिस को सूचना प्राप्त होने पर मौके पर जाकर तस्दीक की गई एवं थाना- कोनी में मर्ग क्रमांक 11/2025 दिनांक 08.02.2025 को पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया।

5. मृतक बुधराम पटेल उम्र 45 वर्ष को उसके पुत्र संजय द्वारा अचानक उल्टी होने एवं सांस लेने में दिक्कत होने पर उपचार हेतु जिला अस्पताल बिलासपुर ले जाया गया था। डॉक्टर की रिपोर्ट में मृत अवस्था में अस्पताल लाने का लेख है, इसकी सूचना पर थाना- कोनी में मर्ग क्रमांक 12/2025 दिनांक 08.02.2025 को पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया।

6. मृतक पवन कश्यप उम्र 32 वर्ष की अचानक तबीयत खराब होने से सिम्स बिलासपुर में भर्ती किया गया, जो इलाज के दौरान मृत्यु होने पर थाना- कोनी में मर्ग कमांक 13/2025 दिनांक 09.02.2025 को कायम कर जांच पंचनामा कार्यवाही पश्चात् शव का पी.एम. कराया गया।

उक्त तीनों मर्ग में डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का स्पष्ट कारण उल्लेख न करते हुए एफ.एस.एल. एवं हिस्टोपैथोलॉजी जांच हेतु व्हीसरा प्रिजर्व किया है।

यह कहना सही नहीं है कि इसके अतिरिक्त अन्य 04 ग्रामीणों का रायपुर में उपचार चल रहा है। वस्तुस्थिति यह है कि राजकुमार पटेल, ललित देवांगन एवं अंजनी पटेल निवासी लोफंदी को उपचार हेतु सिम्स अस्पताल बिलासपुर भेजा गया, जहां से बेहतर उपचार हेतु मेकाहारा अस्पताल रायपुर रिफर किया गया था। राजकुमार पटेल एवं ललित देवांगन उपचार उपरांत अपने घर वापस जा चुके हैं एवं अंजनी पटेल का उपचार अभी भी चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्राम लोफंदी में गांव वालों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए, खान-पान में स्वच्छता, क्लोरिनेशन एवं साफ-सफाई इत्यादि के बारे में हेल्थ कैंप लगाया गया।

ग्राम लोफंदी में हो रही आकस्मिक मृत्यु की घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली, बिलासपुर के नेतृत्व में 06 सदस्यीय विशेष जांच टीम गठित कर जांच कार्यवाही कराई गई है। ग्रामीणों से घटना के संबंध में पूछताछ कर कथन लेखबद्ध किया गया है। एफ.एस.एल. टीम के द्वारा भौतिक साक्ष्य एकत्र कर परीक्षण के लिए भेजा गया है। मृतकों के मेडिकल दस्तावेज जप्त किये गये हैं, मृतकों की आकस्मिक मृत्यु का वास्तविक कारण मेडिकल डायग्नोसिस एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट नहीं हो सका है। व्हीसरा एवं मौके से जप्त प्रदर्श को परीक्षण हेतु एफ.एस.एल. बिलासपुर एवं सिम्स अस्पताल, बिलासपुर भेजा गया है। परीक्षण रिपोर्ट अभी तक अप्राप्त है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथ्यों के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

यह कहना सही नहीं है कि अवैध शराब सस्ती एवं आसानी से घर पहुंच मिलने के कारण कमजोर वर्ग एवं ग्रामीणों के बीच इसकी मांग बढ़ी है, गांव-गांव में दूध के पैकेट की तरह शराब सरलता से मिल रही है। शासन शराब की अवैध बिक्री परिवहन एवं निर्माण के प्रति कठोर वैधानिक कार्यवाही के लिए प्रतिबद्ध है। पुलिस एवं आबकारी विभाग द्वारा वर्ष 2024 एवं 2025 में अवैध शराब के विरूद्ध की गई कार्यवाही का विवरण इस प्रकार है :-

शीर्ष	**पुलिस विभाग**		**आबकारी विभाग**	
वर्ष	2024	जनवरी 2025	2024	जनवरी 2025
प्रकरण	32185	2414	3735	539

गिरफ्तार	33157	2493	3016	422
मात्रा (लीटर में)	136063	14212	61116	21929

अन्य राज्यों से बिलासपुर में आने वाली शराब के विरूद्ध आबकारी विभाग द्वारा आबकारी अधिनियम के अंतर्गत आरोपी रवि शर्मा निवासी ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश तथा शिव कुमार सैनी निवासी-सैनी माजरा, जिला अम्बाला हरियाणा के विरूद्ध कार्यवाही की गई। इसमें संगठित अपराध की आशंका पर सहायक जिला आबकारी अधिकारी, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 23.02.2025 को थाना सिविल लाईन बिलासपुर में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया कि आरोपी द्वारा 10 पेटी विदेशी मदिरा को बिकी कर परमिट शर्तों का उल्लंघन एवं आपराधिक न्यास भंग का अपराध किया गया है। प्रथम दृष्ट्या अपराध पाये जाने पर अपराध कं. 192/25 धारा 316 (3), 61(2) बी.एन.एस. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में कंटेनर वाहन कमांक एचआर 68-बी/4175 एवं उसमें भरी हुई 990 पेटी बिना होलोग्राम के तथा छ.ग. राज्य में नान ड्यूटी पेड मदिरा जप्त किया गया है।

बिलासपुर जिले में 01 जनवरी, 2025 से 23 फरवरी, 2025 तक कुल 260 प्रकरणों में कार्यवाही की गई है, जिसमें 270 आरोपियों से 10342 लीटर हाथ-भट्ठी से बनी महुआ शराब की जप्ती की जाकर कार्यवाही की गई है। इसके साथ ही 392 लीटर देशी एवं 311 लीटर अंग्रेजी शराब की जप्ती इन आरोपियों से की गई है। इस प्रकार इस वर्ष अब तक 11045 लीटर, रू. 27,40,016/- मूल्य की अवैध शराब जप्त कर आरोपियों को अभियोजित किया गया है।

सीमावर्ती जिलों में अवैध शराब के परिवहन एवं बिक्री पर रोक लगाने के लिए पुलिस सतत् एवं त्वरित वैधानिक कार्यवाही कर रही है जिसके परिणामस्वरूप जिला-दुर्ग में लगभग 33 लाख की शराब, 07 आरोपी, एक छः पहिया आईशर वाहन क्र. एमपी 46 एच 0513, एक चार पहिया वाहन क्र. सीजी 07 सीडी 0622 व एक दो पहिया वाहन क्र. सीजी 04 पी एस 9079 तथा 09 नग मोबाईल कुल कीमत 62,40,000/- जप्त कर थाना पाटन में अपराध क्रमांक 37/2025 धारा 34 (2), 36 आबकारी एक्ट एवं 61 (2) बी.एन.एस. पंजीबद्ध किया गया है।

प्रदेश के सीमावर्ती जिला जशपुर में कल दिनांक 24.02.2025 को पुलिस ने 1.5 करोड़ रूपये की 29015 लीटर की अवैध शराब ट्रक कमांक पीव्ही-11 सीपी 2003 में जप्त किया। यह शराब पंजाब से झारखण्ड-बिहार राज्य में भेजी जा रही थी। शराब तस्करी में संगठित गिरोह के संलिप्त होने की संभावना पर थाना- दुलदुला में अपराध कायम कर विवेचना की जा रही है।

यह कहना सही नहीं है कि नशे के दलदल में प्रदेश का युवा, मजदूर वर्ग फंसते जा रहा है, प्रशासनिक संरक्षण के चलते नशे माफिया बेखौफ मौत बेच रहे हैं। वस्तुस्थिति यह है कि पुलिस विभाग द्वारा वर्ष-2024 में नशे के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 1337 प्रकरणों में

2139 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई। इन प्रकरणों में 24361 किलोग्राम गांजा 990 नग पौधा, ब्राउन शुगर, नशीली दवाएँ, टेबलेट, सिरप कैप्सूल इंजेक्शन, डोडा, हेरोईन, कोकीन, चरस एवं एमडीएम आदि अन्य नशीली दवाएँ जप्त की गई। प्रदेश में पहली बार पिट एनडीपीएस के अंतर्गत 181 प्रकरण तैयार कर सक्षम अधिकारी को भेजे गये जिनमें से 47 आदतन अपराधियों को निरूद्ध किया गया एवं राज्य में नशे के व्यापार से अर्जित संपत्तियों को चिन्हांकित कर चार प्रकरणों में चार करोड़ रूपये से अधिक की संपत्ति को फ्रीज़ किया गया, ऐसा पहली बार हो रहा है ।

शासन नशे एवं अवैध शराब के निर्माण, परिवहन एवं विक्रय को रोकने के लिये प्रतिबद्ध है एवं इस हेतु पुलिस विभाग एवं आबकारी विभाग द्वारा प्रत्येक सूचना पर त्वरित एवं प्रभावी वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय :- जवाब बहुत अच्छा और व्यापक भी है लेकिन भविष्य में संक्षिप्त जवाब रहेगा तो अच्छा है ।

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का जवाब फुल चार पेज में दिया है, विस्तृत जानकारी दी है ।

अध्यक्ष महोदय :- हां, व्यापक है ।

डॉ. चरणदास महंत :- व्यापक है । उसके बाद भी कह रहे हैं कि यह कहना सही नहीं है कि रायपुर में इलाज हुआ । इलाज बिलासपुर में हुआ और बिलासपुर वालों ने रायपुर भेज दिया । मतलब, जवाब को घुमा-घुमाकर, इन्होंने नहीं, अधिकारियों ने दिया होगा । यह कहना सही नहीं है कि शराब पीकर मर रहे हैं, लेकिन जांच में पाया गया कि शराब पी रहे हैं । बिसरा की जांच हेतु भेजा गया है लेकिन पता नहीं है कि कब आएगा, कब बताएंगे । यह इतनी छोटी सी बात कि हमारे प्रदेश में लोग शराब पी पीकर मर रहे हैं, जवान मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, नये-नये दसवीं, बारहवीं, पांचवीं पढ़ने वाले लोग मर रहे हैं । इस बात को सहज रूप से स्वीकार करने में क्या दिक्कत है ? मैं, कोई मंत्री पर तो आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं, पुलिस पर आरोप नहीं लगा रहा हूं । मैं तो सीधा कह रहा हूं कि यहां पर आबकारी विभाग के अधीनस्थ ही, आबकारी विभाग के अंतर्गत ही सब कुछ हो रहा है और आबकारी विभाग सोता रहता है । हम जगाने के लिए पुलिस विभाग को कहते हैं, पुलिस विभाग जाकर उनके साथ पीकर फिर सो जाता है, हमारा तो इतना ही कहना है । इसकी जांच करिए, समझाइए । पुलिस से, आबकारी वाले मिल जाएंगे तो हम पूरे छत्तीसगढ़ के लोग तो मर जाएंगे । कम से कम जो लोग आपराधिक गतिविधियों में संलग्न हैं । शराब बेचने में संलग्न हैं, शराब बेच रहे हैं, पी रहे हैं । जशपुर जैसे, माननीय मुख्यमंत्री जी के जिले में पंजाब और बिहार से आई हुई शराब को पकड़ रहे हो । जिन लोगों को यह पता है कि यह मुख्यमंत्री का जिला है, उस रास्ते से शराब ले जाने की कोशिश हो रही है, उस रास्ते से शराब बेचने की कोशिश हो रही है, उस रास्ते से शराब बेचने की कोशिश हो रही है। गली-

गली में कोचिया पकड़े जो रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय और क्या सबूत लाकर दें ? हम तो इतना चाहते हैं कि इसमें गंभीर कार्रवाई हो। माननीय शर्मा जी पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, वे तो पंडित आदमी हैं। उन पर कौन आरोप लगाएगा, कम से कम जांच तो करे।

अध्यक्ष महोदय :- आरोप नहीं लगा रहे हैं चलिए।

श्री विजय शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, उत्तर की व्यापकता भी नेता प्रतिपक्ष जी के प्रश्न के आधार पर दी गयी है।

अध्यक्ष महोदय :- उत्तर काफी व्यापक है।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का प्रश्न सदैव काफी व्यापक होता है।

अध्यक्ष महोदय :- महंत जी का प्रश्न व्यापक ही रहता है। उनको उतना उत्तर तो देना ही पड़ेगा।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने उनका नाम देखा इसीलिए मैंने सोचा, सब कुछ लेकर चलूं जो सामने है, क्योंकि उनको पता ही होता है, वे कहीं न कहीं दूर दृष्टि से देख लेते हैं और जान जाते हैं। इसलिए मैं सारी बातें स्पष्टता के साथ लाया हूं, मैंने एक लाईन दो बार रिपीट की। रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी, कोई बात छिपाने की नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है जिसको रोका बताया जा रहा है, हरेक विषय पर जानकारी दी गयी है। एक बात के लिए मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का दाद दूंगा, मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने अपने ध्यानाकर्षण में ही इस विषय का उल्लेख किया है कि एक और शव ले जाकर अंतिम संस्कार करने की स्थिति में थी तो प्रशासन के लोग गये, पुलिस वाले गये, उन्होंने ही उस शव को वहां पर कफन-दफन करने से रोका और वहां से लाकर पहले पोस्टमार्टम कराया। यह उन्होंने अपने ध्यानाकर्षण में लिखा है। उन्होंने ही अपने ध्यानाकर्षण में बड़े-बड़े अभियानों का उल्लेख किया है, जिसमें पुलिस के माध्यम से आबकारी विभाग के द्वारा कार्रवाई हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मसला यह है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, दो तीन साल पहले अगर इस काम को किए होते तो छत्तीसगढ़ में जो परंपराएं थोड़ी उंच गयी थी (शेम-शेम की आवाज) वह परंपराएं ऐसी न उपजती, ऐसी न हो पाती। (मेजों की थपथपाहट) तो कुछ ठीक होता। उनका व्यापक भाव है, बहुत अच्छा है, परंतु समय थोड़ा निकल गया है। यह विष्णुदेव जी की सरकार है, जीरो टालरेंस के लिए सरकार काम कर रही है। इस काम को बहुत ताकत के साथ किया जा रहा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में पहली बार नशे के कारोबार करने वालों के प्रापर्टी अटैच करने का काम हुआ है, चार लोगों के ऐसे प्रकरण बना करके पहली बार प्रापर्टी अटैच किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) छत्तीसगढ़ में PIT NDPS के केस पहली बार बने हैं जिस पर पहली बार कार्रवाई हुई है। इसके साथ ही साथ मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, इस मामले में संलिप्त

अधिकारी, कर्मचारियों को भी बर्खास्त किया गया है, अगर ऐसे हैं तो उनको बर्खास्त करके कार्रवाई की गयी है। उन लोगों की एक करोड़ 80 लाख रूपए की प्रापर्टी को अटैच करने का काम किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) पूरी सूक्ष्मता के साथ प्रशासनिक तौर पर काम किए हैं। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को इस विषय पर बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूं, उनकी चिंता जायज है और उतनी ही चिंता माननीय विष्णुदेव साय जी को भी है। इस प्रकरण में भी जांच जारी है। 6 सदस्यीय टीम बनी है, FSL का रिपोर्ट आना बाकी है जैसे ही रिपोर्ट आएगी, उस पर पूरी कार्रवाई वैसे ही की जाएगी, जैसे की उनकी मंशा है।

अध्यक्ष महोदय :- महंत जी आखिरी प्रश्न कर लीजिए।

डॉ. चरण दास महंत :- मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे भावों को समक्ष लिया है, अपने अंतर्मन के भावों को मेरे सामने प्रकट किया है। आप शुद्ध अंत:करण से शराबियों के खिलाफ, गलत धंधे करने के खिलाफ यह कार्रवाई करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप दोनों कबीर पंथी हो, बंदगी करके खत्म करिए।

डॉ. चरण दास महंत :- अध्यक्ष महोदय, बंदगी तो हो जाएगा। मगर इस बंदगी में आप समझ सकते हैं, उनको चार-चार पृष्ठ में अपना स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है। कहीं न कहीं हम इस पर गलत हैं। प्रदेश के लिए जो कुछ भी हो रहा है, आपको भी चिंता है, उन्हें भी चिंता है, हमें भी चिंता है, हम लोग तो यह चाहते हैं कि हमारे प्रदेश के बच्चे, अब बच्चे तो बच्चे हैं, आपने देखा होगा कि आजकल स्कूलों में गुरू जी शराब पीकर जा के पढ़ा रहे हैं, यह आपने टी.व्ही में भी देखा है, समाचार पत्रों में देखा है। यहां पर इस कदर शराब की बाढ़ आई हुई है, इसे हमें रोकना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसमें गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करें और आने वाले छत्तीसगढ़ को शराब से मुक्त तो नहीं कर सकते मगर हमारे बच्चों के भविष्य को ठीक कर दें, इतना ही चाहता हूं।

श्री विक्रम मण्डावी (बीजापुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में बिलासपुर के लोफंदी गांव में जिस तरीके से अवैध जहरीले शराब की घटना हुई है। उसमें तीन दिन में ही आठ लोगों की मौत होती है। अभी भी कुछ लोगों का हॉस्पिटल में ईलाज चल रहा है। उनके परिवारजनों का बयान स्पष्ट तौर पर आ चुका है, उसमें डॉक्टरों का भी आइडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे कबूल रहे हैं कि वहां पर अवैध शराब से उनकी मौत हो रही है। आज जिस तरीके से पूरे प्रदेश में अवैध शराब का धंधा बड़े पैमाने पर चल रहा है, माननीय मंत्री जी भी यहां पर बता रहे हैं, सरकार दावा भी कर रही है कि अवैध शराब बंद है। अवैध शराब दूसरे राज्यों से भी आ रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिला जशपुर में भी कल पंजाब की अवैध शराब पकड़ी गयी है।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न कर लीजिए।

श्री विक्रम मण्डावी :- अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि दूसरे प्रदेशों से 2-2, 7-7 जिला पार करके छत्तीसगढ़ में अवैध शराब प्रवेश करती है, हमारे बीजापुर जैसे जिले में छत्तीसगढ़ राज्य से होते हुए मध्य प्रदेश की शराब पहुंचती है तो अंतर्राज्यीय सीमा पर हमारे आबकारी विभाग व पुलिस विभाग का जो अमला तैनात है, क्या उनपर कोई कार्रवाई हुई है? दूसरी चीज यह है कि यदि अवैध शराब की सप्लाई हो रही है तो इस पूरे मामले में उनको किनका संरक्षण प्राप्त है? माननीय मंत्री जी यह बतायें कि उनपर कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है? पूरे प्रदेश में यह स्थिति है कि लगातार अवैध शराब की सप्लाई हो रही है लेकिन इसको रोकने की कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। स्थानीय पुलिस व आबकारी विभाग के संरक्षण में यह कारोबार चल रहा है और कहीं पर भी कोई कार्रवाई होते हुए नहीं दिख रही है। ठीक उसके उलट हमारे नेता प्रतिपक्ष जी को बता रहे हैं। आपने 2-3 साल पहले बोला था, लेकिन वर्तमान में आप गृहमंत्री हैं तो आपको इसका जवाब देना है। मैं माननीय गृहमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं क्या अंतर्राज्यीय सीमा पर तैनात अमले व स्थानीय पुलिस अमले पर कार्रवाई हुई है?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, मंत्री जी ने बहुत लंबा जवाब दिया है। अब आपका प्रश्न हो गया। आप बैठ जाइये।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह कहना कि 2-3 साल का विषय कहकर मैंने इसे छोड़ दिया था, परंतु वह इस विषय को फिर से उठा रहे हैं। मैं नि:संदेह यह बात कहना चाहता हूं और बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में इस बात को उठाया गया था, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में शराब के घोटाले की प्रथाएं बनाई गई थीं और जिस तरीके से इसको इस बात का दूसरे प्रदेशों में प्रशिक्षण दिलाया गया था, उसका ही प्रभाव है भैया, जो आज हमको छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। उसके बाद भी विष्णु देव जी की सरकार में पूरी ताकत के साथ इस बात को खत्म करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी को दाद देता हूं। जिन्होंने इस भ्रष्ट प्रक्रिया को छूआ भी नहीं, बल्कि चिमटी से उठाकर फेंक दिया। चिमटी से उठाकर अलग कर दिया और आज सूक्ष्मता के साथ इसमें काम हो रहा है। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक बात बिल्कुल कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जी ने विभागीय लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की बात की है।

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय मंत्री जी, जो अन्तर्राज्यीय सीमा पर तैनात हैं।

श्री विजय शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे सिर्फ एक बिलासपुर जिले की ही बात कह रहा हूं, लेकिन ऐसी कार्रवाइयां अन्य जिलों में भी हुई हैं। जो लोग नीचे मिली-भगत करके यदि नशे के व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं तो सिर्फ बिलासपुर जिले में ही हमारे विभाग के 4 लोगों को बर्खास्त किया गया है

और उनकी 1 करोड़, 80 लाख रूपये की संपत्ति को अटैच किया गया है। अब इसकी ऑक्शन करके इसकी वसूली की जाएगी। यह सिर्फ अकेले बिलासपुर जिले की बात है।

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय मंत्री जी, जशपुर जिले में जो अंतर्राज्यीय सीमा से अवैध शराब पार हुई है, उसपर क्या कार्रवाई हुई है?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये। मण्डावी जी, आपका जवाब आ गया। श्रीमती शेषराज हरवंश जी।

श्रीमती शेषराज हरवंश (पामगढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में जानकारी दी है कि 4 ऐसे पेशेंट हैं, जिनकी सिर्फ एक ही बीमारी चक्कर आने और सांस लेने की तकलीफ से मौत हुई है। उन्होंने 6 तारीख को शराब पी थी और यह बात तब पता चली है कि एक शराब बेचने वाले ने खुद शराब पी ली। जो शराब बेचता था, अब उस कोचिये की मौत हुई है, तब यह बात बाहर आई है। छत्तीसगढ़ में पूरे आबकारी विभाग में प्रभारवाद का कारोबार चल रहा है क्योंकि जहां पर सहायक आयुक्त का पद निर्धारित है, वहां पर जिला आबकारी अधिकारी को बैठाया गया है। ऐसे बड़े-बड़े कई जिले हैं। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा, रायगढ़, कांकेर जैसे सभी जिलों में यह स्थिति है क्योंकि वह लोग पुलिस प्रशासन से मिलकर गांव वालों से शराब का धंधा करवा रहे हैं और सिर्फ कुछ लोगों व कुछ शराब को पकड़कर वह कार्रवाई करने की बात कहते हैं। ऐसा नहीं है। माननीय मंत्री जी ने बहुत लंबा-चौड़ा जवाब दिया है, लेकिन यह कारोबार पूरे प्रदेश में सब जगहों में फैला हुआ है। मौत हुई है, इसलिए पता चल गया है, नहीं तो यह कारोबार सब जगहों में चल रहा है। पाउच में शराब बिक रही है।

अध्यक्ष महोदय :- शेषराज जी, आप प्रश्न कर लीजिए।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री जी यह बताएंगे कि आबकारी विभाग में ऐसा प्रभारवाद क्यों है? जिले में सहायक आयुक्त को उसके पद पर क्यों नहीं बैठाया गया है? वहां पर जिला आबकारी अधिकारी बैठे हुए हैं। जहां पर सहायक आयुक्त को बैठना है, वहां पर डी.ओ. बैठे हैं। क्या माननीय मंत्री जी जवाब देंगे?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आबकारी विभाग के इस विषय में मैं क्या कहूंगा, परंतु मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि आपने पुराने विषय को पुन: छेड़ दिया है तो ऐसे लोग जो ऐसा भ्रष्टाचार करते थे व पुलिस के साथ मिलकर शराब का गोरख धंधा करते थे, वह माननीय विष्णु देव साय जी की सरकार में जेल की सलाखों के पीछे हैं। (मेजों की थपथपाहट) यदि ऐसे और भी होंगे तो वह भी जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। माननीय सदस्य प्रभारवाद के विषय में कह रही हैं तो इस विषय में मैं अभी एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि उसके संदर्भ में मुझे भी विभाग से एक बार पूछना होगा, क्योंकि यह अन्य विभाग का है।

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष जी, छोटे से प्रश्न हे।

अध्यक्ष महोदय :- अब आपके प्रश्न का उत्तर आ गया है। इसपर बहुत प्रश्न हो गया। धरमलाल कौशिक जी, आप कोई प्रश्न पूछिये बाकी बैठ जाइये।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने ध्यानाकर्षण लगाया और उसमें माननीय उप मुख्यमंत्री का बहुत विस्तार से जवाब आया और पूरे सदन को अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने की जानकारी दी है। आप दिनांक 9.2.2025 की घटना को देख लीजिये, सारे समाचार-पत्रों में इस समाचार से समाचार से रंगा है कि अवैध शराब पीने से लोगों की मृत्यु हुईं। लेकिन सरकार इसको स्वीकार ही नहीं कर रही है, इसका को जवाब नहीं दे रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि अवैध शराब, वहां जो कच्ची शराब बनाई गई और उसके पीने से लोगों की मौतें हुईं। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, विसरा रिपोर्ट आने वाला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने पोस्ट मार्टम करवा दिया, शमशान घाट से शव लाकर उनका पोस्ट मार्टम करवाया, वह सब ठीक है। लेकिन वहां जो कच्ची शराब बन रही है, आपने उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की है ? यह मुख्य बात है। क्योंकि कच्ची शराब पीने से ही लोगों की मौतें हुईं हैं। सारे समाचार-पत्रों में यह छपा है, 20 में एक गिलास महुंआ शराब पीने से बाद चक्कर और सुस्ती 8 की मौत, अवैध शराब, जहरीली शराब पीने से बिगड़ी तबीयत, शराब पीने से एक गंभीर मरीज, सभी समाचार-पत्रों में यह समाचार प्रमुखता से छपा है। ग्रामीणों ने पी कच्ची शराब, मौत का आकड़ा 9 की जान, कच्ची शराब से एक और युवक ने दम तोड़ा, 4 सिम्स में भर्ती। सवाल इस बात का है कि कच्ची शराब बनाने वाले के खिलाफ आपके विभाग ने या आबकारी विभाग ने, वैसे यह प्रश्न तो मुख्यमंत्री जी के विभाग में जाना था, क्योंकि यह कच्ची शराब का मामला है, आबकारी विभाग में जाना था, लेकिन आप जवाब दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, सबकी संयुक्त जिम्मेदारी है। लेकिन आपने कच्ची शराब बनाने वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई की है ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय का इसमें कहना था कि अवैध शराब पीने से क्या हुआ है, समाचार-पत्रों में क्या छपा है, जनचर्चा का क्या विषय है, वह सब ठीक है। सरकार का किसी भी बात से इन्कार नहीं है, किसी भी बात को अस्वीकार नहीं किया है। जांच कर रहे हैं, सिर्फ इतना ही विषय है। जांच चल रही है, एफ.एस.एल. का रिपोर्ट आना है। 6 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। जांच की जायेगी और जो स्थिति होगी, उसको स्वीकार किया जायेगा। उसमें कहीं कोई विषय नहीं है कि ये नहीं है, ये है। सरकार के द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। जांच होने दीजिये, बस इतना ही मसला है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये ठीक है, धरम लाल जी।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि अवैध कच्ची शराब का मामला है। गांव वाले खुद बता रहे हैं कि कौन कच्ची शराब बना रहा है, आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है ? यही तो पूछ रहा हूं। 9 तारीख की घटना है, 9 तारीख के पहले की भी घटना है और तब से यह मामला चला आ रहा है। आज 20 दिन हो गए, उसके बाद आपने कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें भी कार्रवाई की गई है। अनेक कार्रवाईयां हैं, मैं सारी बातों उल्लेख का भी उल्लेख कर सकता हूं।

श्री भूपेश बघेल :- पर्टिक्यूलर लोफंदी की बात हो रही है। ध्यानाकर्षण लोफंदी से जुड़ा हुआ है।

श्री दिलीप लहरिया :- अध्यक्ष जी, गंभीर मामला है।

श्री विजय शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, लोफंदी और आसपास के गांव का मामला हैं, जिनके अन्तर्गत ये कार्रवाईयां की गई हैं। 9 तारीख पहले और 9 तारीख के बाद भी कार्रवाईयां की गई हैं। कुछ लोग आदतन इस काम में लगे हुए हैं। उनको समझाना और उनके खिलाफ तगड़ी कार्रवाई करने का काम भी किया गया है। अभी अनेक लोगों को मिलाकर यह प्रक्रिया की जा रही है। तो इसको भी एक अलग दृष्टिकोण से देखें और कार्रवाईयां की जा रही है।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस जांच कमेटी का सदस्य था। यह नक्सलियों से भी ज्यादा गंभीर मामला है। यह स्लो पाइजन है। गोली लगने से एक बार मौत होती है, लेकिन स्लो पाइजन देकर पूरे प्रदेश में इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं।

अध्यक्ष महोदय :- श्री धरम लाल कौशिक जी।

श्री दिलीप लहरिया :- जो कच्ची शराब बन रहा है, वहां कई पुलिस अधिकारी नहीं जा पाते हैं, ऐसा उस गांव में माहौल बना हुआ है। पूरे प्रदेश में कई लोग वहां जा नहीं पाते हैं। आखिर क्यों नहीं जा पाते ? या उस गांव में जाने से डर रहे हैं या आप डर रहे हैं, सरकार डर रही है ?

अध्यक्ष महोदय :- हो गया। आपने अपनी बात कह दी। श्री धरम जी।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी का जवाब आया है। मंत्री जी दुनिया भर का जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाये)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के जवाब से असंतुष्ट होकर बहिर्गमन करते हैं।

समय

12.40 बजे

बहिर्गमन

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों शासन के उत्तर के विरोध में

(श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा मंत्री जी के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया)

(2) अरपा नदी में हो रहे प्रदूषण को रोकने हेतु सुव्यवस्थित कार्ययोजना नहीं बनाया जाना.

श्री धरमलाल कौशिक (बिल्हा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

बिलासपुर शहर के रिहायशी क्षेत्रों से लगभग 70 से ज्यादा नालियों का गंदा पानी बिना ट्रीटमेंट के अरपा नदी में पहुंच रहा है। सीवरेज प्रोजेक्ट का गंदा पानी दो मुंहानी और चिल्हाटी स्थित ट्रीटमेंट प्लांट से नदी में प्रवाहित हो रहा है। कुदुदंड, कोनी, गोंडपारा, जूना बिलासपुर, तोरवा आदि स्थानों पर नदी में कचरे की डंपिग की जा रही है। साथ ही बिलासपुर नगर निगम का नल जल विभाग प्रतिदिन 40 एम.एल.डी. पानी शहरवासियों को सप्लाई करता है, इसका लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा टायलेट से होकर अरपा नदी में लौट जाता है। गंदे पानी को साफ करने की व्यवस्था समय पर नहीं हो सकी तो अरपा नदी का पानी बहुत ज्यादा प्रदूषित हो जाएगा व जलकुंभी नहीं हटने पर शहर में महामारी तक फैलने की भी आशंका लगती है। करीब 4 करोड़ लीटर गंदा पानी रोज नदी में बह रहा है। इस प्रकार अरपा नदी में हो रहे प्रदूषण को रोकने की सुव्यवस्थित कार्ययोजना एवं कोई ठोस पहल न होने के कारण पूरे जनसामान्य में भारी रोष व्याप्त है।

श्री अजय चन्द्राकर :- लखेश्वर जी, अवैध शराब बेचने के कारण ही कई लोग 22 लाख की बिल्डिंग में हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- गृह मंत्री जी, जो तीन साल पहले से शराब बेच रहे हैं, वहां पर वही लोग हैं। अब आप उनको अंदर करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- वे शासकीय गोदाम से शराब बेच रहे थे। वे अंदर हैं और आप लोग यहां कहां से शराब के विषय पर हल्ला करने आए हैं। आप दिखावे का काम मत किया करिये। (व्यवधान)

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पैसा कोई और खा गया और हमारा एक आदिवासी आदमी को अंदर फंसा दिया गया। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चन्द्राकर :- आप शराब की चिंता जता रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- आप मन शराब ला बेचे हौं तब जाके जिला पंचायत चुनाव ला जीते हौ।

श्री अजय चन्द्राकर :- तहूं हर नोट गिनत रहे ओ हर ओखरे पइसा हे। एतना ऊंचा उठ गई रिहीस न ओ हर शरबा के पइसा हे।

श्री धर्मजीत सिंह :- गृह मंत्री जी, यह सब चार-पांच साल पहले के फैक्टीशनर हैं, उनको आप अंदर करिये। वे सब इन्हीं के लोग हैं।

अध्यक्ष महोदय :- अब गंदा पानी के विषय पर चर्चा प्रारंभ हो गया है। कृपया आप लोग शराब की बात बंद कर दीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, शराब भी तो गंदा पानी से ही बनता है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, जवाब सुनिये।

उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास) (श्री अरूण साव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कथन सही नहीं है कि बिलासपुर शहर के रिहायशी क्षेत्रों से लगभग 70 से ज्यादा नालियों का गंदा पानी बिना ट्रीटमेंट के अरपा नदी में पहुंच रहा है। वस्तुस्थिति यह है कि भूमिगत सीवरेज परियोजना अंतर्गत 02 नग एस.टी.पी. का निर्माण किया गया है। 17 एम.एल.डी. एस.टी.पी. चिल्हाटी में वर्ष 2013 से संचालित हैं एवं 54 एम.एल.डी. एस.टी.पी. दो मुंहानी में वर्ष 2018 से सचालित हैं। सीवरेज का गंदा पानी दो मुंहानी और चिल्हाटी स्थित ट्रीटमेंट प्लांट से उपचारित कर नदी में प्रवाहित किया जा रहा है। नगर पालिक निगम बिलासपुर अंतर्गत बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 9 नालों के दूषित जल उपचार हेतु 04 नग एस.टी.पी., जिसमें कोनी में 6 एम.एल.डी., मंगला में 10 एम.एल.डी., मंगला में 6 एम.एल.डी., पचरी घाट में 1 एम.एल.डी. कुल 23 एम.एल.डी. एस.टी.पी. का निर्माण पूर्णता की ओर है।

कुदुदण्ड, कोनी, गोड़पारा, जूना बिलासपुर, तोरवा आदि स्थानों पर नदी में किसी भी प्रकार का कचरा/मलबा डंपिग नहीं किया जा रहा है।

बिलासपुर नगर पालिक निगम भूमिगत सीवरेज परियोजना अंतर्गत चिल्हाटी एवं दो मुंहानी एस.टी.पी. से प्रतिदिन क्रमशः 16 एम.एल.डी. एवं 25 एम.एल.डी. कुल 41 एम.एल.डी. वेस्टवाटर का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अतः यह कथन भी सही नहीं है कि जल प्रदाय के 40 एम.एल.डी. का 90 प्रतिशत अनट्रीटेड पानी अरपा नदी में जा रहा है। नगर पालिक निगम के द्वारा एक्वा वीड हार्वेस्टर मशीन के माध्यम से अरपा नदी में जलकुंभी हटाने की नियमित कार्यवाही की जा रही है। 04 करोड़ लीटर गंदा पानी नदी में बहने का कथन भी सही नहीं है।

इस प्रकार अरपा नदी में हो रहे प्रदूषण को रोकने की सुव्यवस्थित कार्ययोजना बनाए जाने के कारण जन सामान्य में रोष व्याप्त नहीं है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अरपा बिलासपुर की जीवनदायनी नदी है, जिस प्रकार से अरपा के जल का उपयोग पीने के लिये, निस्तारी के लिये करते आ रहे हैं । अध्यक्ष

महोदय, अभी जिस प्रकार से उसमें दूषित जल प्रवाहित हो रहे हैं, वह जनमानस के लिये भी हानिकारक है और इसमें मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, इसमें आपने यह बात तो स्वीकार किया है कि जो 9 नाले का दूषित जल है, वह नदी में प्रवाहित किया जा रहा है । मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि इसमें आपने पूर्णता की ओर लिखा है, यह कब तक पूर्ण कर लिये जायेंगे, उसकी क्या स्थिति है और समयावधि बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चारो एस.टी.पी. जो 23 एम.एल.डी. का है, हमारी कोशिश है कि उसे अप्रैल तक पूरा कर दें ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बहुत अच्छा ।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, मैं उप मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इन सारे विषय को लेकर हाई कोर्ट में कोई जनहित याचिका लगाई गई है ? हाई कोर्ट में शासन के द्वारा या नगर निगम के द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत किया गया है, क्या उसमें कुछ बतायेंगे ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह की कोई याचिका होगी तो मैं उसे जानकारी में ला दूंगा और स्टेटस की भी जानकारी ले लूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, कोई अंतिम प्रश्न ?

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, इसमें जलकुंभी को हटाने की जो बात आई है, उसमें कार्यवाही जारी है, यह लिखा है । अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जलकुंभी कब तक हटा लिये जायेंगे, अरपा का विषय केवल बिलासपुर से संबंधित नहीं है, उसके नीचे आप देखें कि दुम्हानी और मंगलापासित जो है, उसमें आम लोगों के द्वारा निस्तारी के लिये उपयोग होता है । अध्यक्ष महोदय, इससे जनमानस में निश्चित रूप से जो हानिकारक प्रभाव हो रहा है, उसके कारण एक गांव बिलासपुर का नहीं है, उससे लगभग 40 गांवों के लोग प्रभावित हो रहे हैं । अध्यक्ष महोदय मैंने इसीलिये कहा है कि इसे कब तक कर लिये जायेंगे, इसके जल की जांच यदि समय-समय कराई गई होंगी तो किसके द्वारा जांच की गई है, उसका रिपोर्ट क्या आया है, कृपया आप इसे बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जलकुंभी हटाने का काम नियमित रूप से होता है, किराये की मशीन व्हीट हार्वेस्टर से यह किया जाता है और नियमित रूप से नगर निगम जो है, जलकुंभी हटाने का काम करती है । अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि अरपा नदी बिलासपुर की जीवनदायनी नदी है, अरपा को लेकर सरकार गंभीर है और गंभीरता से हम कार्यवाही कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, अरपा में नदी का गंदा पानी न जाये, इसके लिए प्रयास हो रहे हैं । स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से 4 एस.टी.पी. हमने प्लॉन किया है, वह काम पूर्णता पर है । हमारी प्रतिबद्धता है कि....।

अध्यक्ष महोदय :- दोनों अरपा का पानी पीते हो, अत: सावधानी जरूरी है । (हंसी)

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, वहां जितने लोग हैं, सब अरपा का पानी पीये हैं । हम लोग शुरू में स्कूल जाते थे, दो लोग ऐसा घूमते थे और उसको बोरिंग करते थे और उसमें आते तक हैंडपंप लग जाता था । अध्यक्ष महोदय, आज वाटर लेवल डाऊन हो गया है, वह अलग बात है, लेकिन वहां अरपा के पानी ही सब लोग पीये हैं । अध्यक्ष महोदय, हमारी गंगा, यमुना और सरस्वती तो अरपा ही है, चूंकि दूषित हो रहा है, इसलिये स्वाभाविक रूप से हम लोग चिंतित हैं । मैंने उस बात को लेकर प्रश्न किया है ।

अध्यक्ष महोदय :-आप सुन लीजिए, गंभीर जवाब दे रहे हैं । अरपा वाले बैठे हैं, आपको भी मौका दूंगा ।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि एक जमाना था, जब थोड़ा सा झीरिया खोदकर लोग नहाते थे और पानी को पीते थे, यह सही है कि आज वाटर लेवल डाऊन हो गया है । अध्यक्ष महोदय, अरपा नदी के संरक्षण और संवर्धन के लिये लगातार काम हो रहे हैं । अरपा नदी में गंदा पानी न जाये, सिवरेज का पानी न जाये, इसके लिये लगातार काम हो रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- अमर जी, पूछिये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने भी अरपा का पानी दो साल पीया है, ऐसा नहीं है। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- आपको उसका असर है । (हंसी)

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जो जवाब दे रहे हैं, इसमें निश्चित रूप से कार्यवाहियॉ हुई है । माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें दो विषय है, एक विषय तो सिवरेज का है जिसे माननीय मंत्री जी ने बताया है । अध्यक्ष महोदय, वह सही है लेकिन सिवरेज का ही ट्रीटमेंट करके छोड़ते हैं । अध्यक्ष महोदय, दूसरा जो वहां पर संकरा नाला गंदे बहते हैं, उसमें से कुछ स्मार्ट सिटी से एस.टी.पी. का प्रावधान है, जो पूर्णता की तरफ हो जायेगा, लेकिन उसके बाद भी बहुत से नाले ऐसे हैं, पिछले कार्यकाल में वहां दो एनीकट बनाए गए, जिससे अरपा में पानी जाम रहे, पर वस्तुस्थिति यह है कि उस समय जब एनीकट का प्रावधान किया गया था, हालांकि उस समय मैं विधान सभा का सदस्य नहीं था, पर मैंने इस विषय को सार्वजनिक रूप से उठाया था कि जब तक इस पानी का इंतजाम नहीं होगा, गंदा नाला ही एनीकट के माध्यम से रहेगा और महामारी फैलेगी । अभी एनीकट पूर्णता की तरफ है, लेकिन वास्तव में उसमें जरूरत है कि आज भी उन 17 नालों का पानी या तो एसटीपी के माध्यम से या बड़ा नाला करके जहां पर सिवरेज के एसटीपी हैं, वहां तक पहुंचाने के लिए एक पैरलर लाईन जिसका एक प्रावधान 76 करोड़ रूपए का भी बना हुआ है । मैं प्रश्न नहीं कर रहा हूं, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि या जो पूरा एसटीपी करवा दें या नाले का जो 76 करोड़ रूपए का जो प्रोजेक्ट जमा है, उसकी स्वीकृति दे दें, जिससे जो गंदा पानी जाम होगा, उस महामारी से बिलासपुर बचेगा । यह मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है ।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अरपा नदी के लिए जो सारी परियोजना, परिकल्पना है, अरपा को लेकर माननीय सदस्य अमर अग्रवाल जी सोच रही है, उन्होंने जो बातें कही है, उनको निश्चित रूप से सरकार उस पर संज्ञान में लेकर आगे की कार्यवाही करेगी ।

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- अध्यक्ष जी, अरपा नदी जीवनदायिनी थी, अभी तो वह सूखी हुई है । उसके उद्‌गम के लिए हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उसका उद्‌गम कहां है, यही पता नहीं है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- जो भी हो । जो उद्‌गम चिन्हित है, उसके लिए हाईकोर्ट चिंतित भी है । उसमें भैंसाझार डेम भी बना हुआ है । भैंसाझार डेम के नीचे से बिलासपुर तक गंदा नाले का पानी गिर रहा है । मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर पिछली सरकार या इस सरकार की कमी, वह हमारा उद्देश्य नहीं है । हमारा उद्देश्य है कि अगर हम गंदे नाले का पानी अरपा में गिरने से रोक सकें तो अरपा मैया के ऊपर बड़ी कृपा होगी । अमर अग्रवाल जी वहां के बहुत ही वरिष्ठ नेता और विधायक हैं, धरम कौशिक जी उसी जिले से हैं और हम सब वहां के लिए चिंतित रहते हैं, आप खुद वहां के रहने वाले हैं तो आपके पास विभाग है, एक बार अरपा-भैंसाझार प्रोजेक्ट से लेकर बिलासपुर के दो मुहानी तक आप दौरा बना लीजिए, अधिकारियों को रख लीजिए और खुद देख लीजिए । जो जरूरी है, वह कदम उठाने के लिए आप आदेश कर दीजिए । कुल मिलाकर चाहे जितना भी पैसा लगे, उस अरपा के पवित्र नदी में नाला मत गिरे, साफ पानी गिरे, इसके लिए हम चिंतित हैं और आपसे आग्रह कर रहे हैं कि इस पर आप जरूर विचार करके हमें आश्वस्त करेंगे कि आप दौरा करके उसको देखेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- अजय जी, आप भी बोल दीजिए, फिर मंत्री जी एक साथ जवाब दे देंगे । अरपा तक सीमित रहिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, जो विषय रहता है, मैं उसी में सीमित रहने की कोशिश करता हूं । माननीय मंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बिलासपुर के संदर्भ में जो चिन्ता और सुझाव आये, अरपा के बारे में बहुत सारी चीजें छपी हैं तो आप इन चीजों को विभागीय तौर पर कर रहे हैं या सरकार अविरल स्वच्छ अरपा के लिए कोई विशेष कार्य योजना बना रही है, जो आपने स्मार्ट सिटी के अंदर कहा, 74 या 76 करोड़ रूपए के कुछ सुझाव आये या नाले का बताया तो यह शहर के आसपास की चीजें होती हैं, पर ईमानदारी की बात यह है कि अरपा एक मरती हुई नदी है । तो अविरल, स्वच्छ के लिए सरकार के पास या विभाग के पास कोई सम्पूर्ण कार्य योजना है कि जो प्रश्न उठाए गए हैं, उसी के अंतर्गत ही यह बातें निहित हैं ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ सदस्य धर्मजीत सिंह जी ने जो चिन्ता जाहिर की है, उस पर निश्चित रूप से संज्ञान लेंगे, उनके सुझाव के अनुरूप निश्चित रूप से काम करेंगे । माननीय वरिष्ठ सदस्य अजय चन्द्राकर जी ने जो बात कही है तो मैं उसके बारे में बताना

चाहता हूं कि जल संसाधन विभाग ने भी उसके लिए बहुत सारी कार्य योजना बनाई है । यह प्रश्न चूंकि अरपा के नगर निगम से संबंधित, गंदे नाली के पानी से संबंधित विषय था, वह कहा है, पर अरपा फिर से जीवनदायिनी बने, इसके लिए सरकार की चिन्ता है और इस दिशा में जल संसाधन विभाग ने भी बहुत सारी परियोजनाएं बनाई हैं, उस पर भी शायद काम भी हो रहा है और हम सबकी आज यह चिन्ता का विषय है कि अरपा जीवनदायिनी थी, फिर से जीवनदायिनी बने ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, कई बार इस विधान सभा में इतिहास बना है कि स्थगन एक प्रस्ताव में तब्दील हो गया। शुरुआत के इस पहले सत्र में अरपा का एक अच्छा विषय चल रहा है, माननीय धरमलाल जी ने किसी भी मोशन में उसे उठाया हो, इसे एक प्रस्ताव के तौर पर ले लिया जाए कि सरकार अरपा को स्वच्छ और अविरल बनाएगी। इस ध्यानाकर्षण को अतर्विभागीय प्रस्ताव में तब्दील कर दिया जाए, क्योंकि ये सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, तो वास्तव में एक अच्छी पहल इस विधान सभा के माध्यम से और इस ध्यानाकर्षण के माध्यम से हो जाएगी। ऐसी परंपरा रही है। मैंने उदाहरण दिया कि इस विधान सभा में स्थगन एक प्रस्ताव में बदला है।

अध्यक्ष महोदय :- आपका सुझाव अच्छा है। आज महत्वपूर्ण विषय यह भी था कि आज दो ध्यानाकर्षण आए और दोनों हमारे विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष जी के ध्यानाकर्षण थे और दोनों के जवाब दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने दिया। यह एक संयोग रहा कि हमारे पूर्व स्पीकरों की सक्रियता और हमारे दोनों युवा मंत्रियों ने शानदार जवाब दिया। अजय जी ने जो प्रस्ताव दिया है, वह विषय आपके सामने है और इस विषय में यदि कोई प्रस्ताव लायेंगे तो स्वागत है।

श्री धर्मजीत सिंह :- मान लीजिए ना सर। बार-बार कहॉ लाते रहेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- विधान सभा में ऐसा हुआ है कि स्थगन एक प्रस्ताव में तब्दील हुआ है।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, आप हस्तक्षेप करिए, बिलासपुर की जनता आपके प्रति आभार व्यक्त करेगी, क्योंकि हम लोग अरपा की चिन्ता कर रहे हैं, पिछली सरकार या इस सरकार की कोई नुक्ताचीनी तो नहीं कर रहे हैं। अरपा को जीवन्त रखने, साफ-सुथरा रखने के लिए इनके ध्यानाकर्षण को प्रस्ताव में तब्दील करके आप सरकार को प्रेषित करा दीजिए, बड़ी कृपा होगी। ये जनहित का मुद्दा है और अरपा में लोगों की आस्था जुड़ी है, हमारी आस्था का हम आपके माध्यम से सम्मान चाहते हैं। इसे करा दीजिए, हमारा आग्रह है, आप सरकार तक पहुंचा दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- अरपा के लिए अविरल, स्वच्छ हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे, इतना ही प्रस्ताव की लाइन बना दें।

अध्यक्ष महोदय :- इस प्रस्ताव की जरुरत नहीं है। मंत्री जी बोल दें, तो ये उनकी स्वीकृति हो जाएगी कि अरपा को अविरल और स्वच्छ बनायेंगे। आप बोल सकते हैं, ताकि आपके जवाब में आ जाए।

श्री धर्मजीत सिंह :- यह कि पूरी विस्तृत योजना बनाकर अरपा में पानी भी लायेंगे और सफाई भी करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- वह जवाब में आएगा।

श्री अरूण साव :- जल संसाधन विभाग ने भी बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। जैसा मुझे ध्यान में है, जब मैं लोक सभा का सांसद था, तब भी कुछ परियोजनाएं हमने प्रस्तुत की थीं। जल संसाधन विभाग से समन्वय बनाकर इस दिशा में ठोस और मजबूत कार्रवाई करेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप उप मुख्य मंत्री हैं साहब और आप जो बोलेंगे, वह सरकार बोल रही है, होगा और जब आप बोल रहे हैं, तो पूरा विभाग आपके पीछे बोल रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- बहुत अच्छा विषय चल रहा है, जल संसाधन मंत्री भी मौजूद हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- जल संसाधन मंत्री मौजूद हैं, उप मुख्य मंत्री हैं और जल को लेकर सरकार की सामूहिक जवाबदारी है। जल संसाधन मंत्री भी हैं, उप मुख्य मंत्री हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप बोलिए ना, ये मौका बार-बार नहीं आएगा। अरपा को हमें जिंदा रखना है, अरपा को साफ रखना है, आप बोलिए। अरपा की माटी का कर्ज आपके ऊपर भी है, हमारे ऊपर भी है, अमर जी के ऊपर भी है और धरमलाल कौशिक जी और मोहले जी के ऊपर भी है। आप बोलिए ना कि योजना बनायेंगे और करेंगे। ये बोलने में क्या तकलीफ है?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- कार्रवाई करेंगे, प्रस्ताव पारित कीजिए।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अरपा को लेकर इतने वरिष्ठ सदस्यों की चिन्ता है, निश्चित रूप से एक बड़ी परियोजना बनाएंगे और उसे करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, धन्यवाद।

समय:
12.58 बजे

नियम 267 "क" के अधीन शून्यकाल सूचनाएं

अध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेंगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जाएगा :-

1. श्री अजय चन्द्राकर
2. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल
3. श्री दिलीप लहरिया
4. श्री दलेश्वर साहू
5. श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते

समय:

12.59 बजे **याचिकाओं की प्रस्तुति**

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित निम्नांकित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेंगी :-

1. श्रीमती भावना बोहरा
2. श्री रिकेश सेन

समय:

12.59 बजे **वित्तीय वर्ष 2024-2025 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान**

अध्यक्ष महोदय :- अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी। परंपरानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उस पर एक साथ चर्चा होती है। अत: मैं, माननीय वित्त मंत्री से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत होगा।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि -

दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या- 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 54, 56, 64, 65, 67, 71, 75, 79, 80, 81, एवं 82 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर उन्नीस हजार सात सौ बांसठ करोड़, बारह लाख, बयालीस हजार, पांच सौ तेईस रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

तृतीय अनुपूरक अनुमान मांगों पर 3 घण्टे का समय निर्धारित है।

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ का तृतीय अनुपूरक अनुमान बजट प्रस्तुत हुआ है, जो कि उन्नीस हजार सात सौ बांसठ करोड़, बारह लाख, बयालीस हजार, पांच सौ तेईस रूपये का है। यदि हम प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय अनुपूरक को जोड़े तो मुख्य बजट लगभग 01 लाख 75 हजार करोड़ रूपये के आसपास पहुंचता है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात की शुरूआत वहां से करूंगा, जहां से आज हमने स्थगन को छोड़ा था। मैं अपनी बात किसानों से, इस बजट की मूल भावना से शुरू करूंगा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का सिस्टम कई सालों से चल रहा है, जब आपकी सरकार थी, तब भी, जब कांग्रेस की सरकार रही, तब भी और अभी भी धान खरीदी चल रही है। वर्तमान सरकार ने धान खरीदी का लक्ष्य 1 लाख 60 हजार मीट्रिक टन रखा था और धान खरीदी 1 लाख 47 हजार मीट्रिक टन पर जाकर रूक गयी, जो कि लगभग पिछले साल के बराबर है। मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि यहां जो लक्ष्य रखा गया था, वह गलत रखा गया था, लेकिन धान रखीदी को 1 लाख 47 हजार मीट्रिक टन पर क्यों रोका गया ? अभी जांजगीर से खबर आ रही है कि लगभग 6 हजार किसान अपना धान नहीं बेच पाये। रायगढ़ में भी यही स्थिति है। हमें स्वयं कई बार कलेक्टर को फोन करके कहना पड़ा कि यहां इतने लोगों का धान नहीं बिका है, इतने लोग धान नहीं बेच पाये हैं। अध्यक्ष महोदय, यह एक deliberate attempt लगा कि किसानों को किसी तरह से आखिरी वक्त तक रोका जाये नहीं तो मुझे लगता है कि यह जो 1 लाख 60 हजार मीट्रिक टन का लक्ष्य था, वह पूरा होता। सरकार नहीं चाहती थी कि यहां धान का जो 1 लाख 60 हजार मीट्रिक टन लक्ष्य है, वह पूरा हो। उसको 1 लाख 47 हजार मीट्रिक टन पर रोका गया। यह आंकड़ा लगभग पिछले साल के बराबर है। जब यहां कांग्रेस की सरकार थी, उस समय 15 क्विंटल में धान खरीदी हुई। यदि उस हिसाब से देखेंगे तो अभी धान खरीदी कम हुई है। अभी दो साल से कम हुई है। यदि आप उसे अनुपात में निकालेंगे और गणित लगायेंगे तो धान खरीदी कम हुई है। प्रबंधकों के द्वारा किसानों को कहा जा रहा है कि आप समर्पण कर दीजिये। आपके पास 10 एकड़ जमीन है तो आप इतने क्विंटल समर्पन कर दीजिये। यह क्या है ? आपको खरीदना है तो खरीदिये, नहीं खरीदना है तो मत खरीदिये लेकिन स्थिति को स्पष्ट करिये। इस तरह से कहना कुछ और करना कुछ।

समय:
01.04 बजे

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय, जब धान खरीदी की शुरूआत हुई तो कई जगहों पर ये बातें आयी कि धान खरीदी उत्पादन के अनुसार होगा और तरह-तरह के rumor फैले। बाद में जो भी डिसीजन रहा होगा लेकिन यह पुरानी स्थिति में ही चलना शुरू हुआ। लेकिन किसानों को शुरू से लेकर अभी तक सिर्फ कन्फ्यूज किया जा रहा है कि उनको धान खरीदी में किस तरीके से आगे बढ़ना है। किसानों के साथ लगातार यही किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, कभी कोई कलेक्टर मुनादी करवा देता है कि कभी कोई रबी फसल लगाएगा तो उस पर 50 हजार रूपये का जुर्माना लगेगा और उसे 6 महीने की सजा होगी। क्या उस कलेक्टर के ऊपर कार्यवाही हुई? अगर उस कलेक्टर के ऊपर कार्यवाही नहीं हुई तो क्या यह शासन का आदेश है ? शासन ने यह आदेश किया ? और अगर शासन ने यह नहीं आदेश किया तो वह

कलेक्टर नीतिगत निर्णय कैसे ले रहा है ? माननीय सभापति महोदय, अपने खेतों में रबी फसल कौन करेगा ? और कौन नहीं करेगा ? यह कलेक्टर तय नहीं कर सकता, यह शासन तय कर सकता है, लेकिन उस कलेक्टर के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। या आप बता दीजिए कि यह खबर गलत थी। हम लोगों को जो समाचार टी.वी. चैनलों और समाचार पत्रों में सुनाई दिया। मैं तो उन स्थान का नाम लेता हूँ। कि यह खबर राजनांदगांव की है। अभी यहां पर राजनांदगांव के विधायक भी हैं। आप उनसे भी यह बात पूछ लीजिए और धमतरी भी है।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, धमतरी में होए रिहिस हे।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, अगर यह बात गलत है तो गलत है तो आप इस सदन में यह बता दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उमेश जी, आपने धमतरी का उल्लेख किया है। धमतरी में धान की रबी फसल लगी है। आप अपने विधायक महोदय से यह पूछ लीजिए। इस प्रदेश में कहीं किसी कलेक्टर ने किसी अवेयरनेस के तहत यह बात कही है, भ्रमित करने के लिए नहीं कहा। यहां कहीं पर शासन के द्वारा ऐसा प्रयास नहीं हुआ तो आप अपने खेतों में धान नहीं लगा सकते, लेकिन अभी अरपा में जो चिंता जाहिर कर रहे थे, वहां पर जो जल स्त्रोत गिर रहा है उसके अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत यह किया और उसके परिणाम भी आये। वहां पर 10 हजार से कम हेक्टेयर में दलहन, तिलहन की फसल लगी है। वहां धान की रबी फसल नहीं लगी है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अगर सरकार को यह योजना चलानी है तो वह चलाये। अगर सरकार को इस तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना है तो वह चलाये। लेकिन फ्रंट में आकर समस्याओं को फेस करें। वह पीछे से किसी और को मत बोलवायें। वह कंफ्यूजन क्रियेट मत करें। वह कलेक्टरों को अपना कंधा मत बनाये, किसी और के कंधे पर रखकर बंदूक मत चलाये। अगर सरकार को यह करना है तो वह खुद सामने आये और यह कहे कि हम यह अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, यदि कोई कलेक्टर कर रहे हैं या एजेंसी कर रही है तो पूरा छत्तीसगढ़ यह जानता है कि इस सरकार में हम हैं हमारी सरकार है और हमारी सरकार यह कर रही है। आपको यह समझ में नहीं आ रहा है तो उसको कौन क्या करेगा ?

श्री रामकुमार यादव :- तुंहर सरकार ला कौन चलात हे, तेला कोई जानतेच नई हे?

सभापति महोदय :- माननीय रामकुमार जी, आप बैठिए।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, श्री अजय चन्द्राकर जी अनुभवी हैं, विद्वान हैं। अगर यह अभियान है तो केवल तीन जिलों में ही क्यों ? यह प्रदेश के 33 जिलों में क्यों नहीं हुआ ?

इसका मतलब यह है कि 33 जिलों में सरकार की बात कलेक्टर नहीं मानते। केवल तीन ही जिले वाले मानते हैं। राजनांदगांव, बालौद और धमतरी और बाकी जगहों के नहीं मानते।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, इनकी हालत क्या है ? यह हम लोग जानते हैं। यहां पर यह बताने की जरूरत नहीं है। इस प्रदेश में क्या, किसकी और कितनी चल रही है ? हमारी आपके साथ सद्भावना है।

माननीय सभापति महोदय, अगर यह अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना है तो आप बिल्कुल चलाईये। आप समर्थन भी मांगिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यह एक इश्यू है, इसे हम भी मानते हैं। इस प्रदेश में जल स्त्रोत का गिरना, एक भयानक स्थिति बनते जा रही है आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति बनेगी, इससे भी हम सहमत हैं, लेकिन यहां कहना कुछ और इधर से कुछ और यह मत करिये। आप किसानों के साथ कंफ्यूजन क्रियेट मत करिये।

माननीय सभापति महोदय, यहां पर हम जल स्तर की ही बात कर रहे हैं। इस प्रदेश में कहीं पर भी पूरी तरीके से जल जीवन मिशन काम नहीं कर रहा है। यह कम जगहों पर ही है। कई जगहों पर वह कागजों में पूरा दिख रहा है। यहां समस्या यह है कि अगर आप गांवों में जनसंपर्क में जाएंगे तो उनकी सबसे बड़ी समस्या पानी की ही रहेगी। आने वाले समय में भी यही समस्या रहेगी। अभी 3 महीने यही समस्या रहेगी। हम लोग कहीं पर भी जाएंगे तो यही समस्या सुनने को मिलती है कि हमारे क्षेत्र में पानी नहीं मिल रहा है। माननीय सभापति महोदय, आप भी यही समस्या फेस करते होंगे। हम लोग सब इसी समस्या को फेस करते हैं। विधायक निधि से दिया हुआ बोर, कलेक्टर सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दे रहे हैं कि वहां जल जीवन मिशन है। वहां पर केवल कागजों में जल जीवन मिशन योजना है, लेकिन वहां यह जल जीवन मिशन काम नहीं कर रहा है। ऐसे में हम क्या करेंगे ? उनको पानी नहीं दे रहे हैं। पूरे प्रदेश में इस तरह से काम चल रहा है। आज माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने ध्यानाकर्षण के जरिए आबकारी की बात उठायी । माननीय भूपेश बघेल जी ने इस प्रश्न को बार-बार पूछा कि आपने कच्ची शराब बनाने वालों के ऊपर क्या कार्रवाई की है? सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण बताना चाह रहा हूं। मेरे यहां एक गांव कोसमपाली है। कोसमपाली में सरपंच महिला है, वह महिलाओं को इकट्ठा करके गांव में शराबबंदी के लिए आपके कहे अनुसार गांव वालों को जगा रही थी कि यहां शराब को बंद किया जाये। वहां एक शराब कोचिया है। उसने उस सरपंच के ऊपर हमला किया। सारी महिलायें इकट्ठा होकर थाना में रिपोर्ट लिखाने गईं। थानेदार बोलता है कि तुम 100 लोग यहां आये हो, तुम लोगों के खिलाफ एफ.आई.आर. करूंगा। तुम लोग यहां से जाओ। कोचिया की यह स्थिति है। उन महिलाओं ने मुझे फोन किया, मुझे वहां स्वयं उपस्थित होकर हमको दबाव बनाना पड़ा, तब जाकर एफ.आई.आर. लिखी गई। यह स्थिति है कि जो शराब बना रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यह इस तरह की फिर एक घटना सामने आ जाती है।

माननीय सभापति महोदय, आज मैंने एक प्रश्न रेत उत्खनन को लेकर उठाया था। रेत उत्खनन की कोई पालिसी सामने आ ही नहीं रही है। हमारे रायगढ़ जिला में सिर्फ एक ही घाट लीगल है, उसको अलावा कोई घाट लीगल नहीं है। मान नदी का ऐसा कोई घाट नहीं बचा जहां रेत उत्खनन न हो। वहां पर लगातार रेत उत्खनन हो रहा है। गांव के लोग खनिज विभाग के अधिकारी, एस.डी.एम., कलेक्टर से शिकायत कर चुके हैं। आपको मैं रोड का नाम भी बता देता हूं। लेबड़ा से लेकर बनहर तक की रोड जो पहले ठीक थी, उसके ऊपर एक रेत की लेयर बन चुकी है। वहां इतनी गाड़ियां चल रही हैं। वहां एक दिन में ढाई सौ ट्रेक्टर चलते हैं। यह शिकायत लेकर बनहर, काशीचुआं के लोग कलेक्टर के पास गये और उन्होंने सारे अधिकारियों से शिकायत की और कोई कार्रवाई नहीं हुई, एक भी कार्रवाई नहीं हुई। मान नदी में ऐसा कोई घाट नहीं है जहां पर रेत उत्खनन नहीं चल रहा है। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? एक पत्रकार ने खनिज विभाग के अधिकारी से पूछा कि इतने सारे रेत उत्खनन के मामलों की लगातार शिकायत आ रही है, आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? उसको खनिज विभाग का अधिकारी ऑफिसियली बोलता है कि मुझे ऊपर से बोला गया है कि ट्रेक्टर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करनी है।

(माननीय सदस्य श्री रामकुमार यादव द्वारा आसन पर बैठे-बैठे बोलने पर)

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, आप अपनी सीट पर बैठे-बैठे कमेंट मत करिये। उनको बोलने दीजिए न।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, यह ऑफिसियली बोला गया, आप न्यूजपेपर चाहेंगे तो मैं उसकी कटिंग प्रस्तुत कर दूंगा। उसने कहा कि मुझे ट्रेक्टर पर कार्रवाई नहीं करने के लिए ऊपर से रोका गया है। अगर वह असत्य बोल रहा है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शासन को इस तरह से बदनाम नहीं करना चाहिए। अगर वह सच बोल रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? सभापति महोदय, मैं खुद बनहर, काशीचुंआ के लोगों के साथ कलेक्टर के पास शिकायत लेकर गया था। यह जो रेत की ढाई सौ गाड़ियां चल रही हैं इससे लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। वहां सामने में एक स्कूल है, बच्चों को कुछ हो सकता है। हमने यह शिकायत की और कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक सप्ताह बाद एक केस आ गया। धनांगढ़ का एक बच्चा था।

श्री रामकुमार यादव :- ये सरकार हा सदन में कहे रहिन कि इंदिरा आवास बर फ्री में रेत देबो। अउ इंदिरा आवास वाला ला पकड़त हे अउ जो बडे-बडे आदमी आये हे, बडे-बडे हाईवा मा लेके जात हे या ट्रेक्टर में जे कंपनी सीधा घुसात हे ओला नई पकड़ते हे, इस बात के हमन ला चिंता करना चाहिए और मोर ये आपसे निवेदन हे कि ओमन ला चेतावव।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्यामबिहारी जायसवाल) :- माननीय सभापति महोदय, एक ओर वे बोल रहे हैं कि इंदिरा आवास वालों को, ट्रेक्टर को पकड़ रहे हैं, दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि ट्रेक्टर वालों को पकड़ नहीं रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं?

श्री रामकुमार यादव :- उद्योगपति लेजाथे, तेला नहीं पकड़थे। ट्रेक्टर वाला ला पकड़थे। जे इंदिरा आवास में जाथे तेला, गरीब आदमी ला।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं-नहीं। रामकुमार जी।

सभापति महोदय :- आपकी बात आ गई न।

श्री अजय चन्द्राकर :- रामकुमार जी, इस पूरे देश में इंदिरा आवास नाम की कोई योजना ही नहीं है। वहीं चल रही होगी तो अलग बात है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री रामकुमार यादव :- इंदिरा आवास रहिस, तेला तो तुमन पी.एम. आवास करे हव। नाम ला बदल देहौ। लेबल ला।

सभापति महोदय :- ठीक है। हो गया न। आपने बोल तो लिया न। अब आप बोलिए।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, तो एक घटना हो जाती है ट्रेक्टर के नीचे दबकर एक आदमी खत्म हो जाता है। जब गांव वालों ने शिकायत की, वहां का जनप्रतिनिधि शिकायत कर रहा है, इस तरह की घटना हो सकती है और वह घटना हुई। तो जिम्मेदार कौन है? उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या वह प्रशासनिक अधिकारी, जिसने कहा कि मुझे ऊपर से रोका गया है? क्या कलेक्टर? क्या वहां के एस.डी.एम. जिम्मेदार है? कौन है उसका जिम्मेदार? या स्वयं मुख्यमंत्री जी हैं, जिनके अंदर ये विभाग आता है? और मेरा आरोप है कि अगर इसका कोई जिम्मेदार है तो स्वयं मुख्यमंत्री जी इसके जिम्मेदार हैं। मुख्यमंत्री जी के कारण ये जो नीचे के अधिकारी हैं, वे न कार्रवाई कर पा रहे हैं, न कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सभापति महोदय, इंदिरा वास के लिए घोषणा हुई थी। हम लोगों ने और सब ने ताली बजाई थी। जैसे रामकुमार जी ने कहा प्रधानमंत्री आवास के लिए कि हम लोग रेत फ्री करेंगे, कोई सिस्टम ही नहीं है। क्या सिस्टम है? आप राशन कार्ड में चावल देते हैं, एक सिस्टम है। लोगों को मिलता है। रेत के लिए कोई सिस्टम ही नहीं है। कोई पॉलिसी ही नहीं है। उसके कारण उस घोषणा की एवज में जो कोचिया है, जो लोग बड़ी-बड़ी कंपनियों में अपना रेत देते हैं, वे लोग गांव में जाकर ट्रेक्टरों को किराये पर ले रहे हैं और लगातार चलाए जा रहे हैं। न ड्राइवर के पास एक्सपीरियंस। न उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस, न कुछ नहीं और हेवी गाड़ी को लेकर वह चल रहा है। सभापति महोदय, इस तरह की स्थिति है। या तो आप लीगल घाट घोषित कर दीजिए।

सभापति महोदय :- उमेश जी, अब रेत से थोड़ा आगे बढ़िये। अभी अनुपूरक में बोलना है।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, 3 घंटे हैं।

सभापति महोदय :- नहीं, नहीं, आपके लिए 1 घंटे 10 मिनट है। 15 मिनट से ज्यादा हो गया।

श्री उमेश पटेल :- अभी से 15 मिनट हो गया। ठीक है।

सभापति महोदय :- 13 बजकर 01 मिनट में आपने शुरू किया है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, मैं बिजली कटौती पर आउंगा। जिस तरह से बिजली कटौती का लगातार हम लोगों को सामना करना पड़ रहा है। किसानों के लिए बिजली कटौती की बात आ रही है। यह भी एक गंभीर इश्यू बनते जाएगा क्योंकि भू-जल स्तर नीचे हो रहा है। रबी फसल लगे हुए हैं। रबी फसल का जो पंप है, वह चलेगा, बिजली कटौती होगी। एक scenario confusion सा है। अगर सरकार रबी फसल नहीं लगाना चाहती, उसमें अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहती है तो बिल्कुल चलाए। लेकिन एक स्थिति को स्पष्ट करे ताकि लोग नीचे समझ पाएं कि उनको धान की खेती करनी है या नहीं करनी है। सभापति महोदय, मैं घोषणा पत्र की बात करूंगा। आप लोगों ने घोषणा पत्र में लगातार जो वादे किये। चाहे किसानों की बात हो और महतारी वंदन योजना की बात हो, इन दो के अलावा आपने एक भी बाकी घोषणाएं पूरी नहीं की हैं या उस ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा महसूस भी नहीं हो रहा है। आपने 500 रूपये में सिलेंडर देने की बात कही थी, उसका कुछ नहीं हुआ। बेरोजगारी भत्ता की बात कही गई थी। जब हमारे साथी लोग विपक्ष में थे तो बेरोजगारी भत्ता का विषय तो डेली उठाते थे। 1 लाख 80 हजार बेरोजगार लोग।

श्री अजय चन्द्राकर :- ऐसा नहीं है । आप उस विभाग के मंत्री थी, 5 सालों में आप बेरोजगारी की परिभाषा तय नहीं कर पाए थे । आपके पूरे उत्तर की कटिंग को टेबल कर देता हूं । ऐसा मजाक आपने छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों से किया था ।

श्री उमेश पटेल :- अभी आप क्या कर रहे हैं ? अरे, आप करिए ना आपको जो करना है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसीलिए यहां हो, अगर ऐसे ही बोलोगे तो इधर आने की संभावना ही नहीं है ।

श्री उमेश पटेल :- नहीं रहेंगे, ठीक है ।

श्री रामकुमार यादव :- सरकार जवाब देवय न भई । अपन आप ला अभी भी मंत्री समझव ।

श्री उमेश पटेल :- बेरोजगारी भत्ते पर रोज बोलते थे । लेकिन आज एक शब्द नहीं निकलेगा । क्यों नहीं निकलेगा ? परिभाषा बनाइए बेरोजगारों की, आप बनवाइए, आप क्यों नहीं बनवाते ? सभापति महोदय, सरकार तुंहर द्वार, 1.5 लाख बेरोजगार युवाओं को भर्ती कर प्रभावी घर पहुंच सार्वजनिक सेवा सुनिश्चित करेंगे । महतारी वंदन योजना और किसानों के लिए 3100 रूपए, 200 रूपया बोनस, इन योजनाओं के अलावा कुछ नहीं है । सभापति महोदय, पिछली भाजपा सरकार थी, उसने एक चीज का [xx] दिया था, वह है दो साल का बोनस । जब ये विपक्ष में आए तो समझे कि हमने [xx] दिया था और लोगों को समझ में आ गया । हमने दो सालों का बोनस नहीं दिया था । इस सरकार में आने से पहले घोषणा पत्र में उसको रख दिया ।

श्री अजय चन्द्राकर :- [xx], संसदीय शब्द नहीं है । यह [xx] बोल रहे हैं, उसको विलोपित करवाइए ।

श्री उमेश पटेल :- [xx] संसदीय है ? [xx] संसदीय है ?

सभापति महोदय :- जो भी असंसदीय होगा, उसको बाहर कर देंगे ।

श्री उमेश पटेल :- चलिए, मैं [xx] शब्द का उपयोग नहीं करूंगा, [xx] शब्द का उपयोग करूंगा । ये लोग दो साल [xx] रहे ।

सभापति महोदय :- उसको भी देख लीजिएगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- असत्य संसदीय है ।

श्री उमेश पटेल :- असत्य । असत्य बोलते रहे । जैसे ही सरकार बन गई । अब इस सरकार में क्या गलती कर रहे हैं ? उन किसानों के साथ फिर से अन्याय कर रहे हैं । राजीव गांधी न्याय योजना की जो चौथी किश्त बची थी, सरकार बदल गई, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन किसानों की क्या गलती थी ? जो चौथी किश्त थी, वह न देकर फिर वही गलती कर रहे हैं । अन्याय कर रहे हैं, वही असत्य कह रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, युवाओं की नौकरी की बात है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- 1 लाख नौकरी देने की बात हुई थी ।

श्री उमेश पटेल :- युवाओं की नौकरी की बात है । नौकरी तो मिल ही नहीं रही है । सभापति महोदय, लोग परेशान रहते हैं तो अपने जनप्रतिनिधि से चाहते हैं कि वह जनप्रतिनिधि उनको सांत्वना दे । ऐसी बात कहे जिससे उनको सांत्वना मिले लेकिन हमारे जो साथी हैं, इनका बिहेवियर किस प्रकार है, मैं क्या बताऊं ।

सभापति महोदय :- आप और कितना समय लेंगे पटेल साहब ?

श्री उमेश पटेल :- आप बोलेंगे तो बैठ जाता हूं ।

सभापति महोदय :- नहीं, मैं बैठने नहीं बोल रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं क्योंकि लंच ब्रेक करना पड़ेगा ना ।

श्री उमेश पटेल :- बस 5 मिनट में खत्म कर देता हूं ।

सभापति महोदय :- मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं । आप भाषण दीजिए मैं तो आपका टेंटेटिव टाइम पूछ रहा था ।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, 19 हजार करोड़ का यह अनुपूरक बजट है । जब हमारी सरकार थी तो उस समय विपक्ष के साथी इस बात का बहुत हल्ला करते थे कि सरकार ने कर्ज ले लेकर पूरा विनाश कर दिया है, छत्तीसगढ़ को डुबा दिया है, श्वेत पत्र जारी करे । सभापति महोदय, पिछली सरकार ने पांच साल में जितना कर्ज लिया था, लगभग उतना कर्ज तो इन लोगों ने अभी से ले लिया है । अभी से इनका कर्ज इतना हो गया है । मैंने तो यह सुना है

श्री अजय चंद्राकर :- आप तो विद्वान आदमी हो, पढ़ते लिखते हो, घोषणा पत्र साथ में है। अभी देश के नीति आयोग ने कहा है कि पूरे देश में वित्तीय अनुशासन, वित्तीय व्यवस्था में छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर में है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, पूरे पांच साल में जितना कर्ज लिया, वह एक साल में ले रहे हैं। अभी तो मुझे यह पता चला है कि नगरीय निकाय के लिए भी छत्तीसगढ़ सरकार बांड जारी करने वाली है। एन.एस.सी., बी.एस.सी. पर अपनी बांड लिस्टेड करने वाली है। उसमें क्या रेटिंग आता है, क्या नहीं आता है, वह अलग विषय है। मैं इस बजट में और ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूं। मैं यही कहूंगा कि हमारे बी.एड. के जो शिक्षक हैं, उन लोगों की स्थिति बहुत खराब है, लगभग 6 हजार के आस-पास शिक्षक हैं। सभापति महोदय, मैं यही कहूंगा कि सरकार उनके उपर बहुत सहानुभूतिपूर्वक विचार करे। किसी को भी डेढ़ साल नौकरी करने के बाद अगर उनकी नौकरी चली जाए, उनके परिवार के लिए, उनके लिए यह बहुत भयावह स्थिति है। उनके उपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और उनको वापस किसी न किसी स्वरूप में नौकरी में लिया जाए। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री अजय चंद्राकर।

श्री रामकुमार यादव :- लेकिन लबारी झन मारिहा, मैं आपके हाथ पांव जोड़त हंव।

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पक्ष के जो विद्वान सदस्य हैं, शायद बजट को देखा ही नहीं, बजट को पढ़ा ही नहीं। एक लाभ मिलता है, विनियोग पर भी साथ-साथ चर्चा होगी। वह दूसरे पार्ट पर ही बोलते रहे, आपने बिजली और अन्य में क्या-क्या कर दिया। सरकार तीन जिले में चल रही है, रबी फसल इधर-उधर अन्य में बात किए। बजट जो मुख्य विषय है, छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा अनुपूरक है। इसको आप देखिए कि वित्तीय स्थिति किस ओर बढ़ रही है। किसी भी बजट से ज्यादा लगभग 26 प्रतिशत, उसमें पूंजीगत व्यय है। इसके लिए पहले आपको सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) जो फैक्ट है। आप जिन चीजों को बोलते हैं, बिजली, एक विषय बता देता हूं। बिजली की जो कंपनियां हैं, आपने उनको देने के लिए पैसे दिए हैं। हम जितनी सब्सिडी जनता को देते हैं, आपने पांच साल में एक रूपया सब्सिडी का नहीं दिया, उनको बीमारू कर दिया, ओ.पी. चौधरी जैसे नौजवान मंत्री बिजली कंपनी को पैसा देकर आपके कर्मों [xx] को ठीक कर रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट)

श्री रामकुमार यादव :- सभापति जी, 50 रूपया बिजली बिल आवत रिहिस ते अभी आप मन के राज में 500 रूपया आवत हे।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, उनको बोलने दीजिए। बीच-बीच में खड़े मत होईए।

श्री अजय चंद्राकर :- 375 करोड़ रूपए जो बिजली कंपनियों को देना है, बिजली कंपनियां स्वस्थ होंगी, आगे बिजली की व्यवस्था करेंगी। आपने उनको बीमारू कर दिया, जो मेन चीजें हैं, जिसकी आप चिंता कर रहे हैं, आपने बीमार कर दिया उसके बाद हमसे कह रहे हैं, अब आप लोग दवा खोजिए, आपने दोनों हाथ से लुटाया, वाहवाही कराई, फोकट में टेबल थपथपाया। 375 रूपए धीरे-धीरे उनके कर्जे पटाए जा रहे हैं। वह योजना सुचारू रूप से चलाएं और किसानों तक बिजली पहुंचाएं।

श्री भूपेश बघेल :- 375 रूपए के लिए इतना परेशान हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- 375 करोड़ केहेव।

श्री भूपेश बघेल :- अभी तो आपने 375 रूपए बोला।

श्री अजय चंद्राकर :- अरे बाप रे, 375 करोड़ देत हे। यह सब आपके समय का घाटा है। आप शराब की बड़ी चिंता कर रहे थे, आप ही के लाईन में थोड़ी-थोड़ी एक-एक लाईन बोल देता हूं। सभापति महोदय, अभी शराब में ध्यानाकर्षण था। अवैध शराब तो आपका स्टार्टअप है। आजादी के बाद एक भी सरकार बता दीजिए जो सरकारी दुकान में दो काउंटर लगाकर शराब बेचती रही हो। 2100 करोड़ रूपए। (शेम-शेम की आवाज) और कितने लोग अंदर हैं और कितने लोग जाएंगे, आज ही के पेपर में है।

सभापति महोदय :- चंद्राकर जी, एक मिनट। माननीय सदस्य का भाषण जारी रहेगा। सभा की कार्रवाई भोजन अवकाश के लिए अपरान्ह 03:00 बजे तक के लिए स्थगित।

(01:30 बजे से 03:00 बजे तक अंतराल)

समय :
3.00 बजे

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

सभापति महोदय :- अजय चंद्राकर जी।

श्री अजय चंद्राकर :- आज नेता प्रतिपक्ष या उप नेता कौन हैं? लखेश्वर जी, क्या आप हैं, उप नेता?

श्री राजेश मूणत :- अजय जी, क्या है कि अभी-अभी सूचना मिली है कि कुछ भाई लोग वहां पहुंच गये हैं, उन नेता यहां पर हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- लखेश्वर जी, आपके सामने बैठने वाले नेता लोग जब आरोप लगाते हैं तो उनको सुनने के समय यहां पर उपस्थित रहना चाहिए। यह तो छूकर भाग गये, ऐसा हो गया। अब ये बेचारे नये-नये लोगों को फंसा दिये हैं। इनको कुछ समझ में आना नहीं है। (हंसी)

श्री विक्रम मण्डावी :- आप बोलिये।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आ जाएंगे, आ जाएंगे।

श्री लखेश्वर बघेल :- आएंगे-आएंगे।

श्री राजेश मूणत :- अजय भाई, यह लखेश्वर तो अपने बीच वाला है। (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं खाद्यान्न सुरक्षा पर बोल रहा था। खाद्यान्न सुरक्षा का मतलब कांग्रेस के लिए क्या था? सदन की समिति जांच कर रही है और पुन्नूलाल जी उस समिति के अध्यक्ष हैं। हाई कोर्ट में मेरा PIL है। जब भी हमारा प्रश्न होता था। यहां पर खाद्य मंत्री जी बैठते थे और वह बोलते थे कि अजय चंद्राकर एवं तीन अन्य शिवरतन जी अभी नहीं हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी, नारायण चंदेल जी, इनके PIL हैं। वह बोलते थे कि यह न्यायालयीन मामला है तो मैं इस प्रश्न का उत्तर कैसे दूं? जो विषय आये और यदि उसमें हाथ डालो, किसी भी क्षेत्र में तो उसमें कुछ न कुछ निकलना ही है, परंतु विष्णु देव जी की सरकार ने खाद्यान्न सुरक्षा के लिए, पोषण आहार के लिए 1864 करोड़ रूपये दिये हैं। उसमें शक्कर के लिए 67.73 करोड़ रूपये, गुड़ के लिए 38 करोड़ रूपये और चना के लिए 45 करोड़ रूपये दिये हैं। PDS के जो डीलर्स हैं, उनकी मार्जिन मनी है। रामकुमार जी, क्या आपको याद है कि आपके समय में वह बेचारे कितने लोगों के दुकान निरस्त हुए, कितने के ऊपर एफ.आई.आर. हुई?

श्री रामकुमार यादव :- सब याद है।

श्री लखेश्वर बघेल :- 3 महीने हो गये है, चना नहीं मिल रहा है।

श्री अजय चंद्राकर :- आप समझ रहे हैं, न। उसकी मार्जिन मनी माननीय वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी साहब दें। चना चोरी आप करो, मार्जिन मनी हम दें।

श्री रामकुमार यादव :- तुमन मोबाइल ला खरीदे रहे हव, बिल ला हमन देन। नहीं, तुमन मोबाइल ला खरीदे रहे हव, बिल ला हमन देन। खाए-पिये ते अऊ बिल ला हमन पटाबो।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ में खाद्यान्न सुरक्षा को मजबूत करने, कुपोषण से लड़ने व PDS को मजबूत करने के लिए यह इतना बड़ा तीसरा, चौथा। एक, दो, तीन, चौथा अनुपूरक है। यह आज तक का सबसे बड़ा अनुपूरक है, उसमें पैसे दिये गये हैं। आपने इतने पैसे कभी नहीं दिये हैं। आप आंकड़े-वांकड़े निकालकर पढ़ लीजिए। माननीय सभापति महोदय, भूपेश बघेल जी तो चले गये। वह प्रवासी पक्षी हैं। वह सुबह के ऑव्हर में आते हैं, शाम के समय वह दूसरी तरफ चले जाते हैं। आप लोगों ने 5 साल में नई राजधानी के लिए बजट में कितने पैसे दिये? उतनी बड़ी परिसंपत्ति, उतना बड़ा सेटअप। उनको भी देखना है, चलाना है, समझना है, परंतु कोई दृष्टिकोण नहीं है।

श्री राजेश मूणत :- अजय जी, वह देखते नहीं थे, वह सिर्फ लेते थे।

श्री अजय चंद्राकर :- यह बात भी सही है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री राजेश मूणत :- वहां पर केवल एक ही काम करते थे, पूरे देश में जाकर नया रायपुर में अपनी फोटो छपवाते थे। उसके आगे नया रायपुर में तो जीरो रूपये खर्च नहीं कर पाये। उसको मेंटेन नहीं कर पाये। यदि मंत्रालय की बाथरूम खोली में कोई जाता था तो बदबू आती थी। यह स्थिति थी।

सभापति महोदय :- मूणत जी, कृपया अजय जी को बोलने दीजिए।

श्री रामकुमार यादव :- तुंहर सरकार हा झारखण्ड के ठेका ले है। का होइस हे, तेला हमन नहीं जानत हन।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, बैठिये-बैठिये।

श्री राजेश मूणत :- अच्छा। यादव महाराज, अभी ई.डी. उस भवन में क्यों पहुंच गई?

सभापति महोदय :- मूणत जी, आप बैठिये।

श्री रामकुमार यादव :- आपने भेजी है। मोर सरकार रहही तो मैं तुमन ला लेगहूं। मोरो सरकार आ जाये, अइसने। भाई, आदमी के सरकार कर सारा होथे। आप कहुं मेर भेज सकत हो।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, आपस में बहस मत करिये।

रामकुमार यादव :- इंहा भी सरकार उंहा भी सरकार, कहु कुछु कर लेवा।

श्री अटल श्रीवास्तव :- अभी आप विरोध कर दो आपके यहां भी ई.डी. पहुंच जायेगी। अजय जी ज्यादा बोल रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- आजकल ये ओखरे सेतीर शांत हो गय हे। ये पहली सरकार के बहुत विरोध करत रहेय, आजकल शांत हो गय हे।

श्री राजेश मूणत :- हम तो पांच साल विरोध करके चले गये। विरोध वह करते हैं, जिनके काले कारनामे हो।

रामकुमार यादव :- मूणत जी, एक मिनट। मोर बड़े भईया, बहुत आदर करथव। एखर खातिर कि तू लड़े हा, फिर कहिहव मेहनत करय मुर्गी अण्डा खाय फकीर।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, नई राजधानी के लिए 914 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। रामकुमार जी, आपकी स्थिति, हालत ऐसी है कि तुम अरबों रूपये सुन लोगे तो भी बेहोश नहीं होगे। तुम तो इतनी ऊंची गड्डी देख चुके हो, जिसको original में कोई नहीं देखा है कि तुम्हारे पास कितनी गड्डी थी। तो मैं जितना भी आंकड़ा पढ़ लूं, तुम बेहोश नहीं होगे।

श्री रामकुमार यादव :- ये हा ई.डी. भेजवा के मानही, लाग्थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- समझ रहे हो न ? इसलिए तुमको ही बताकर सुना रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, अभी उमेश बाबू से बात हो रही थी। वास्तव में आप बहस निकाल लीजिये, पिछले 5 साल में बेरोजगार कौन होगा, बेरोजगारी क्या होती है, इसकी परिभाषा भी तय नहीं कर पाये। हम प्रश्न पूछते थे तो यह बताते थे कि इस संस्था के हिसाब से ऐसा है, उस संस्था के हिसाब से ऐसा है। सरकार

के हिसाब से बेरोजगारी क्या है, वह बताओ न ? आपने संस्था की परिभाषा मान्य की है, कभी आपने बताया था ? कोई उत्तर नहीं होता था। हमने उसको मान्य नहीं किया है, बेरोजगारी की परिभाषा यह है, 5 साल लगातार यह उनका उत्तर होता था। वैकल्पिक रोजगार क्या हो ? छत्तीसगढ़ के संसाधन का उपयोग कैसा हो ? value addition कैसा हो, उसके लिए क्या infrastructure जुटाया जाये ? कैसे जुटाये जाये ? कोई दृष्टिकोण नहीं था। जो सरकार राजस्व खुद डकैती डाले, जो सरकार अपने राजस्व में खुद डकैती डाले, वह सरकार दूसरे संसाधनों के विकास पर कैसे काम करे ? तो औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए 195 करोड़ इस नवजवान वित्त मंत्री ने दिया है, इससे वैकल्पिक रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी, लोगों की जगह मिलेगी, सारी चीजें यहीं होंगी, यहीं value addition होगा। लघु सूक्ष्म उद्योग, जितना संरक्षण पायेंगे, उन्होंने जितनी तरह की चीजें नई औद्योगिक नीति में कही है, उसे क्रियान्वित करने के लिए कदम उठाये हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। (मेजों थपथपाहट) अनुपूरक मांग अमूमन प्रतिपूर्ति के लिए होती है। उन्होंने 26 प्रतिशत राशि पूंजीगत व्यय नई चीजों के लिए दिया है।

सभापति महोदय, अभी हम लोग पानी की चिंता कर रहे थे, वैसे ही हवा की भी चिंता है। जलवायु परिवर्तन, अभी लोगों ने लिखा है कि फरवरी चल रहा है। बसंत तो चला नहीं गया ? ठंड के बाद सीधा गर्मी आ गया। यह मेरी आपकी चिंता नहीं है। यह पूरे वैश्विक, जिसको global warming बोलते हैं, पूरे दुनिया की चिंता है।

श्री रामकुमार यादव :- ओतेक चिंता रहिस हे तो कोरबा में एक लाख पेड़ ला मत कटवाता।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं इसमें भी आकड़ा पढ़ूंगा, तुम बेहोश नहीं होगे।

श्री रामकुमार यादव :- कोरबा मा पूरा जंगल ला कटवा दे हा अउ चिंता करत हा ? मां के नाम पेड़ लगाओ, हम बाप के नाम घलो लगाबो, लेकिन ओला काबर काटत ह ?

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, आप आमने-सामने बात मत करिये। सदन की मर्यादा है।

श्री रामकुमार यादव :- सर।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, उसमें बायो फ्यूल विकास प्राधिकरण शुरूआत करने के लिए 25 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। इलेक्ट्रिक वाहन क्रय करने की सब्सिडी के लिए, अब सुन लो, बसंत गायब हो गया, सीधा गर्मी आ गया, इस तरह की चीजें छत्तीसगढ़ में मत हो, उसकी सब्सिडी के लिए 30 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। आप 30 करोड़ में बेहोश तो नहीं होओगे ?

सभापति महोदय, केन्द्र सरकार से जो मांग रहे हैं वह मांग रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, वह करेंगे ही। लेकिन रायपुर में अपने संसाधनों से रायपुर में अन्तर्राष्ट्रीय कार्गो हब, राष्ट्रीय नहीं, यहां से चन्द्रपुर तक ढुलाई करना है, ऐसन नइ हे, यहां से चन्द्रपुर तक पांच-पांच सौ रूपये के नोट की गड्डी जाता था। दूसरा चीज नहीं जाता था, तो उसके लिए साढ़े छः करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है। मैं इसकी बार-बार प्रशंसा इसलिए करता हूं कि मैंने कहा यह आखिरी अनुपूरक मांग है। तीन-चार दिन बाद

मुख्य बजट आएगा। इन्होंने इस बजट में भी नये आयटम लिए हैं। यह छत्तीसगढ़ के लिए शुभ संकेत हैं और यह छत्तीसगढ़ आर्थिक रूप से कितना मजबूत हो रहा है, यह अनुपूरक मांग झलकाता है।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, एक मिनट। मैं हर सही मा ये बात दिल से कहत हौं कि अजय चन्द्राकर जी के जो रीदम हे, जेखर नाम से पूरा प्रदेश हर ओला पहचानथे, ओ रीदम आज एक भी नई झलकत हे। आज अजय जी पक्ष अऊ विपक्ष के बीच मा बईठे हे ता मोला कबीर साहब के एक पंक्ति याद आवत हे कि "चलती चक्की देख के, दिया कबीरा रोये। दो पाटन के बीच में, साबुत बचा न कोए।" ये अइसे स्थिति बन गे हे। हमन चन्द्राकर जी के रोल देखे हन। साहब, हमर सरकार मा तुंहर ज्यादा चलत रिहीस हे अउ सिर्फ ताली भर बजात रहे हन।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, हाऊस इधर चल रहा है या इन दोनों में चल रहा है?

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, गरीब इनके लिए नारा का विषय रहा है। दसों बार यह बात रिकॉर्ड में आ चुकी है कि कांग्रेस वर्ष 1971 का चुनाव गरीबी हटाओ नारे के नाम पर जीत चुकी है। यह नारा वर्ष 1971 के चुनाव में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने दिया था कि देश से गरीबी हटाओ। देश से गरीबी तो नहीं हटी, लेकिन लोग कहते हैं कि कांग्रेस हट गई। औद्योगिक इकाइयों को लागत पूंजी में अनुदान के लिए छोटे-छोटे वेंडरों को लाभ मिलेगा। उनके लिए औद्योगिक क्षेत्र भी बनायेंगे, उनको लागत पूंजी में अनुदान भी देंगे। उसके लिए इस अंतिम अनुपूरक मांग में 214 करोड़ रूपये का प्रावधान है। यह नई चीजें हैं। छत्तीसगढ़ के गरीबों की, छोटे वेंडरों की चिंता इस नवजवान वित्त मंत्री ने की है और इसका आपको समर्थन करना चाहिए कि साहब, आप सही अर्थों में गरीबों की चिंता कर रहे हैं। आज आपने पेपर में पढ़ा होगा कि दिल्ली सरकार कामकाजी महिलाओं के हॉस्टल बनाने के लिए 202 करोड़ रूपये दे रही है। उसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने इस अनुपूरक मांग में 34.32 करोड़ रूपये का बजट आयोजन किया है। यह नई चीजें हैं, जो छत्तीसगढ़ के महिलाओं को सुरक्षा देंगी, आपके लिए सुरक्षित आवास बनायेंगे, कामकाजी माहौल के लिए धन की व्यवस्था होगी। इसके अतिरिक्त जो निर्भया फंड है, उसके लिए 418 थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाने के लिए इसमें 6 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है। सभापति महोदय, यह छोटा-सा बजट है। सबसे ज्यादा पूंजीगत व्यय और उसके बाद पूंजीगत व्यय में नये क्षेत्रों को स्पर्श करना। आप उद्योग को भी ध्यान दे रहे हैं, खाद्यान्न सुरक्षा को भी ध्यान दे रहे हैं, कारगो को भी ध्यान दे रहे हैं, महिला सुरक्षा को भी ध्यान दे रहे हैं, छोटे वेंडरों के लिए भी व्यवस्था कर रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्र भी बना रहे हैं। इसमें कितनी चीजें हैं। अभी योगी जी ने कहा, महाकुंभ मेले में जिसने जो देखना चाहा, वह उनको दिखा। महाकुंभ मेले में किसी को श्रद्धा दिखी, किसी को विश्वास दिखा और क्या-क्या चीजें दिखी हैं, उसको मैं नहीं बालूंगा। लेकिन इनको रेत दिखा, इनको शराब दिखा, इनको खाद्यान्न चोरी दिखा। बजट में जो अच्छी चीजें हैं, आप लोग उसको देखिये। माननीय सभापित महोदय, रेत की बात कर रहे थे। इन्होंने 18 लाख मकान तो दिया ही नहीं है। इन्होंने

मकान दिया तो घर में रेत की खपत कैसे होगी? लोग कहां से प्रधानमंत्री आवास के लिए ट्राली से रेत लायेंगे? उनको छूट भी दे दें तो उससे क्या फायदा है? जब गरीबों के लिए पैसा ही नहीं देना है। मैंने एक बार कहा था। अभी वह साथी विधान सभा में नहीं है। बृहस्पत सिंह जी अभी कांग्रेस पार्टी में है या नहीं है? मुझे नहीं मालूम कि वह पार्टी से निकल गये थे। लेकिन वह एक से एक आरोप लगाते थे अपनी हत्या का, जान का, उसका सुने हैं । मैं उसको बोला था, आप छोटी घटना की बात करते हैं, माड़ का उदाहरण दे रहे थे, छोटे-मोटे उदाहरण दे रहे थे । सभापति महोदय, रिहन्द की रेत कौन से रेट में नोएडा जाती है और उसको कौन रोकता है, कौन उसका नाल वसूल रहा है ? यह जितने थे, इधर बैठते थे, वह रेत तस्कर थे । रेत की तस्करी करते थे, उन्होंने एक लाईन नहीं बोला ओर रिहन्द की रेत नोएडा तक ले जाकर बेच दी और...।(मेजों की थपथपाहट)

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, सीधे तौर पर यह कहना कि वह लोग रेत तस्कर थे, यह आपत्ति की बात है । आप कैसे किसी को रेत तस्कर कह रहे हैं ? क्या प्रमाण है, वहां पर जो बैठे थे, सब रेत तस्कर हो गये ?

श्री अटल श्रीवास्तव :- सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय के सामने इसी सदन में माननीय वित्त मंत्री महोदय जी ने घोषणा की थी कि जो प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, उसके लिये जो रेत है, उसके लिये रायल्टी नहीं ली जायेगी । सभापति महोदय, आज गांवों में यह स्थिति है कि किसानों से, ट्राली वालों से, लगातार वसूली की जा रही है, 10 हजार से लेकर 25 हजार तक वसूली की जा रही है, आप प्रधानमंत्री आवास के लिये केवल 2 लाख 20 हजार दे रहे हैं, वहां अवैध वसूली चल रही है और इसी सदन में घोषणा हुई थी कि रेत प्रधानमंत्री आवास के लिये फ्री होगी ? सभापति महोदय, इसकी विडियो रिकार्डिंग हमारे पास मौजूद है, वाह रे [xx], आप लोग पूरे आम जनता को [xx] रहे हो ? सभापति महोदय, 2 लाख 20 हजार रूपये देकर किसानों को [xx] रहे हैं ।

श्री रामकुमार यादव :- एक हाथ में देथे, दूनो हाथ में लेथे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- थोड़ा अच्छा बात सुन ले ना ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय ।

सभापति महोदय :- निषाद जी, आप अपनी बारी में बोलेंगे । आपका नाम है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- रेत वाली बात आई, इसलिये बोल रहा हूँ ।

श्री रामकुमार यादव :- कहां हे आदेश ?

सभापति महोदय :- आप अपनी बारी में बोल लीजिएगा ।

श्री रामकुमार यादव :- इंदिरा आवास म पैसा लेजिहव ।

श्री केदार कश्यप :- आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास का प्रेत नहीं छोड़ रहा है तो रेत की बात कहां कर रहे हो ?

श्री रामकुमार यादव :- इंदिरा आवास पहली रहिसे, वोला ...।

श्रीमती भावना बोहरा :- इंदिरा आवास में पइसा कतका रहिसे भई ?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, रेत की बात ...।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, एक मिनट ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मोला गोठियान दे ...।

श्री राजेश मूणत :- हॉ, तै बाद में बोल । अटल श्रीवासतव जी रेत के ऊपर जो बोल रहे हैं, एक प्रधानमंत्री आवास बनाता है तो कितनी रेत लगती है ? यह ट्रैक्टर में लेकर अवैध धन्धा करने वालों को ऐसा ही करना पड़ता है । अगर कोई गांव के अंदर हो या शहर के अंदर हो, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 400 स्कवेयर फिट का मकान बना रहा है तो कितनी रेत लगेगी, जरा उसका हिसाब लगा लेना । रेत गांव से लेकर, खदान से लेकर आयेगा ? अगर गलत धन्धे वालों को रोकने का काम कर रहे हैं, उनको संरक्षण देने का काम आप लोग कर रहे हो तो अजय जी जो बोल रहे हैं, वह गलत नहीं है ।

श्री अटल श्रीवास्तव :- रेत में पूरा भ्रष्ट्राचार तो आप लोग कर रहे हो । जिन लोगों को 2 लाख 20 हजार रूपये का मकान दे रहे हो, वह 10 हजार की रेत खरीद रहा है । अवैध उत्खनन कौन कर रहा है ? आप अवैध उत्खनन को क्यों नहीं रोक पा रहे हो ?

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, अगर पढ़ा-लिखा इंजिनियर आदमी यह बोले कि वहां से ट्रेक्टर रेत लगेगी । (व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- एक ट्रेक्टर रेत की कीमत 4 हजार रूपये है । राजेश मूणत जी, शहर से बाहर निकलिये, गांव के तरफ जाईये । अगर 5 ट्रेक्टर लगते हैं तो 25 हजार रूपये हो गये और आप देते कितने हैं, 2 लाख 20 हजार रूपये ? आपने रेत के नाम पर लूट मचा रखा है ।

श्री रामकुमार यादव :- तुमन ला गांव के तरफ जाना नईये । यही मेर नरियाना हे ।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, मेरा माननीय सदस्यों से आग्रह है कि आपस में टोकाटाकी न करें । आपको जो बात बोलनी है, अपने समय में रखियेगा ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, रेत की बात है, मैं इसलिये बोल रहा हूँ ।

सभापति महोदय :- निषाद जी, आपका समय आयेगा तो आप रेत के बारे में बोल दीजिएगा ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, रेत के संबंध में प्रमाण देना चाहूंगा कि कुरूद, गरियाबंद, कांकेर, कहां से रेत आ रही है, मुझे पता नहीं है, लेकिन जितनी गाड़ियॉ महाराष्ट्र पासिंग से गुंडरदेही चौक पर आदमी खड़ा करा दें, वहां से ग्रीन कलर का चादर ओढ़े कितनी गाड़ियां जाती है तो पता चल जायेगा कि यहां से रेत की सप्लाई कहां हो रही है ? सभापति महोदय, उसका कोई रिकार्ड नहीं

है, दुनिया भर की बातें हो रही है, अगर प्रमाण देखना है तो आप धमतरी और गुंडरदेही चौक में आ जाईये और वहां से देखिये कि ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं जो बात बोल रहा हूँ, रेत की तस्करी में रिहन्द का रेत नोएडा जाता था, वह इस रिकार्ड में है ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अभी भी रेत तस्करी से नागपुर जा रहा है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उसका कोई उत्तर नहीं है...। (जारी)

श्री लखेश्वर बघेल :- अजय भईया, रेत से आगे निकलो ।

श्री राजेश मूणत :- नोएडा में क्या है, नोएडा के नाम से इतना क्यों परेशान हो रहे हो ? नोएडा में है क्या, यह बता दीजिए ।

सभापति महोदय :- राजेश जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं । आप आमने-सामने बहस करिएगा, यह उचित नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आगे चलते हैं, चलिए । माननीय सभापति जी, मैं फिर से इस प्रदेश के नौजवान वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी जी को बधाई देता हूं । समाज के हित के जनता के सभी विषयों को, सभी वर्गों को छोटे से बजट में उन्होंने स्पर्श किया है । दुर्भाग्य यह है कि ये लोग देखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, इन्होंने ही रेत और शराब की बात शुरू की थी ।

सभापति महोदय, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना हेतु 155 करोड़ रूपए का प्रावधान है । अब सोचिए कि अनुपूरक बजट के लिए यह कितनी बड़ी राशि है, जो इन्होंने इस प्रदेश के स्वास्थ्य के लिए 155 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है । राघवेन्द्र सिंह जी, मैं तो जानता हूं कि आप राजकुमार कॉलेज के पास आऊट हो, अच्छा अंग्रेजी बोलते हो, पढ़े-लिखे हो ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- मैं वहां से नहीं हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- जैसे गुणा-भाग निकाल रहे थे कि इतनी खरीदी हुई, इतना धान कम हुआ । मैं आपको एक दूसरा आंकड़ा दे देता हूं । आप बजट को पढ़ेंगे और जोड़ेंगे तो पता लग जाएगा । रामकुमार जी, बेहोश मत होना । एक साल में इस सरकार में, इस वित्त मंत्री जी ने, माननीय विष्णु देव साय जी ने किसानों के खाते में 95 हजार करोड़ रूपए दिया । (मेजों की थपथपाहट)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, 17 जनवरी के बाद जो धान बिका है, आपने सिर्फ उसके अंतर की राशि दी है । उसका मूलधन अभी तक नहीं आया है, उसके लिए गांव वाले हमें बार-बार बोल रहे हैं ।

श्रीमती भावना बोहरा :- आना चालू हो गया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति जी, मैं आपको उसका भी उत्तर दे देता हूं । अभी रायपुर में वाहन विक्रेताओं का मेला लगा था । प्रदेश में इस वर्ष में आजतक की सबसे ज्यादा कृषि यंत्रों में ट्रेक्टर की बिक्री हुई है । (मेजों की थपथपाहट)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, आप पहले इसको क्लीयर करवा दीजिए कि समर्थन मूल्य की राशि कब तक मिलेगी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति जी, अब इनके आरोप क्या दर्शाते हैं और भारत देश की संस्था का आंकड़ा क्या दर्शाता है ? विष्णु देव साय की सरकार में छत्तीसगढ़ किधर बढ़ रहा है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, आज जो बैंक में लाईन लगी हुई है, आपने कहा था कि पंचायत में काउन्टर लगाकर हम पैसा देंगे । आप आजतक चुप हैं । आपसे पैसा नहीं निकल रहा है ।

श्री बालेश्वर साहू :- पैसा तो बैंक से भी नहीं निकल रहा है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, पैसे के लिए लाईन में लगे हैं। इनको बोलिए कि काउन्टर लगाकर पैसा दें क्योंकि यह इनके घोषणा-पत्र में था कि सरपंच पंचायत में काउन्टर लगाकर पैसा बाटेंगे और आज देखेंगे तो बैंक में लाईन लगी हुई है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति जी, मैंने तो पढ़ा-लिखा सिर्फ राघवेन्द्र सिंह जी को कहा है । संगीता जी अपने आप को समझ गईं कि मुझे पढ़ा-लिखा कहा है तो मेरी गलती थोड़ी हैं । मैंने उनको कहा कि वे पढ़े-लिखे हैं । राघवेन्द्र जी, मार्कफेड ने धान खरीदी के लिए जितना उधार लिया, उससे अनुमान से ज्यादा खरीदी हुई । उसके लिए फिर से उन्होंने 3000 करोड़ रूपए अतिरिक्त लोन स्वीकृत कराए । इसलिए कुछ भुगतान रूका हुआ है, यह सार्वजनिक है, इसमें कहीं नहीं छिपा है और इसीलिए मैंने कहा । संगीता जी धोखे से समझ गईं कि मुझे पढ़ा-लिखा बोल रहे हैं ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, पढ़े-लिखे होने से कुछ नहीं होता है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- सभापति महोदय, आप सबसे ज्ञानी हैं, सबसे पढ़े-लिखे हैं, हम सब लोग अनपढ़ गंवार हैं, आप सबसे ज्यादा ज्ञानी हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति जी, मैंने ऐसा नहीं कहा ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हम सिर्फ यह चाहते हैं कि आप किसानों के साथ न्याय कीजिए, महतारियों के साथ न्याय कीजिए, आज जनता के विश्वास पर खरा उतरिए । मैं यह निवेदन कर रही हूं क्योंकि किसान यह देख रहे हैं कि विपक्ष क्या बोल रहा है ? इसलिए हम चाहते हैं कि आप किसानों का मूलधन दीजिए, समर्थन मूल्य दीजिए ।

श्रीमती भावना बोहरा :- किसान न्याय योजना कितने किश्त में जाती थी, यह पहले आप पता कर लीजिए ।

सभापति महोदय :- संगीता जी और भावना जी, आप लोग बैठिए ।

श्री रामकुमार यादव :- ये हमर भैया ह ज्ञान बईहा हो गे हे, जिसको ज्यादा ज्ञान होता है इसीलिए ये बीच में बैठ गए हैं । ये बहुत ज्ञानी हैं, ज्ञान बईहा हो गए हैं ।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, आप बैठिए, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है । अजय जी, आपको बोलते हुए 24 मिनट हो गए हैं, समय की मर्यादा है । कृपया सदस्यगण टोका-टाकी न करें ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, हम लोग इधर बैठते थे (विपक्ष की ओर इशारा करते हुए) इतनी संख्या में नहीं थे, सबने देखा है, ये लोग सब के सब सदन में थे । हम लोग बताते थे कि भूपेश बघेल जी, आपने इतना कर्ज लिया है, जो नई सरकार आएगी, उसको तत्काल इतना पैसा चुकाना पड़ेगा और आपके रहते हुए आपको एक भी पैसा ब्याज या मूलधन नहीं चुकाना पड़ेगा । जितना कर्ज लेना है, आप ले लीजिए । terms and conditions क्या हैं, कौन सी शर्त है, वह प्रश्नों के उत्तर में इसी विधान सभा में जमा है, उनके आंकड़े मुझे याद नहीं है, पर वह तय था कि हमको इतने प्रतिशत में इतने पैसे इतने दिनों में चुकाना है। नई सरकार आई, संसाधन तो जुटाने हैं, मोदी जी की गारंटी को तो पूरा करेंगे ही, उसके अतिरिक्त नई चीजें जो मैंने गिनाई, वह तो करेंगे ही, लेकिन भूपेश सरकार के [xx] को भी माननीय चौधरी जी और विष्णु देव साय जी भुगतेंगे, यह भी आपने सुनिश्चित कर दिया। यह कैसे आपने सुनिश्चित कर दिया कि 870 करोड़ रुपए तो सिर्फ आपके द्वारा लिए गए लोन की ब्याज अदायगी के लिए, आपके [xx] के लिए है कि जो ऐसी-ऐसी शर्तें, ऐसी ब्याज दरों में आपने शार्ट टर्म कर्ज लिया, जिसे हमें तत्काल चुकाना है। आपने तो कुछ नहीं किया, लेना है और लेना क्यों है, तो इनकी कमेटी (श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य की ओर इशारा) जांच कर रही है, उसमें देखिएगा या मेरे आधे घंटे की चर्चा यदि सदन में चर्चा में आ जाए, तो उसमें देखिएगा कि कितना बड़ा करप्सन है कि आपने जो कर्ज लिया और धान खरीदा, कितना सड़ाया, कितने में बेचा और कितना घाटा हुआ। ये एकदम स्पष्ट और प्रमाणिक है और निकलेगा ही। चावल की दुकानों में जो वसूली हुई, जमा कराया गया, कैसे किया गया, वह निकलेगा ही। उसे कोई रोक ही नहीं सकता, वह आपका करप्सन स्थापित तथ्य है, उसे कोई रोक ही नहीं सकता। वैसे ही आपके इस [xx] को भुगतना पड़ रहा है कि लोन चुकाने के लिए भी 870 करोड़ रुपए लाना पड़ रहा है। मेन बजट में 8 हजार करोड़ रुपए दे देते, क्योंकि बोल रहे हैं कि सरकार का लगभग 1लाख 60 हजार करोड़ रुपए से ऊपर का बजट आएगा, उसमें हजारों करोड़ रुपए दे देते, मैं नहीं बोलता लेकिन अनुपूरक में इसलिए बोल रहा हूं कि अनुपूरक छोटे-मोटे खर्चों जिसे आकस्मिकता कहते हैं की प्रतिपूर्ति के लिए आता है, तो उसमें भी हम आपका लोन चुका रहे हैं, यह छोटी-मोटी उपलब्धि नहीं है।

सभापति महोदय, इस छोटे से अनुपूरक की शुरूआत में मैंने कहा कि 19762 करोड़ रुपए के इस बजट में अपने रोजनामचे के खर्च की प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त 26 से 27 प्रतिशत तक पूंजीगत व्यय है,

तो यह सरकार की नीयत को बताता है और जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को बताता है। सरकार जनता की सेवा के लिए जिन रास्तों पर बढ़ रही है, उसे दर्शाता है। इन तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आपने यह जो शानदार अनुपूरक प्रस्तुत किया, इसे मैं शानदार अनुपूरक बोल रहा हूं, अनुपूरक को कोई शानदार बोलता नहीं लेकिन इस आखिरी अनुपूरक को भी मैं शानदार बोल रहा हूं और उसके लिए मैं इस नौजवान मंत्री को और माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं। बधाई देने के बाद अंत में मैं एक बात और कहूंगा, जिसे मैं हमेशा बहुत दुख के साथ कहता हूं कि शराब में आज आरोप लग रहे थे।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद):- आदरणीय सभापति महोदय, शराब की बात बोले, तो मैं एक बात कहना चाहती हूं कि शराबबंदी में जब हमारी पूर्ववर्ती सरकार थी, तो ये बंद करो करके चिल्लाते थे और आज क्या हो रहा है कि डबल दारू भट्ठी खोल रहे हैं और अब रेस्टोरेंट में दारू मिलना शुरु हो रहा है और चन्द्राकर जी ने ही बयान दिया है कि क्वालिटी का दारू मिलेगा। ये चन्द्राकर जी का बयान है। नए साल की 31 दिसंबर की रात को एक रात में यहॉं पर राजधानी में 10 करोड़ रुपए का शराब बिका है।

श्रीमती रायमुनी भगत (जशपुर):- सभापति महोदय, संगीता जी करोनाकाल में आपके समय में शराब को घर-घर पहुंचाते थे।

श्रीमती संगीता सिन्हा:- आपके समय में क्वालिटी-क्वालिटी का मिलेगा। आपके समय में रेस्टोरेंट, ढाबा में मिलेगा, ताकि हम बहन-बेटी निकल न सकें।

सभापति महोदय :- अजय जी, समाप्त कीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरा तो आखिरी है, मैं कागज को रख दिया हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, वह महिला हैं, इसलिए कुछ बोल नहीं रहा हूं, पर।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ.चरणदास महंत) :- माननीय सभापति महोदय, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारी सदस्या आपको बैठा रही हैं। आप जरुरत से ज्यादा बोलते थे, लेकिन आज उनसे बच नहीं पायेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह महिला हैं, मैं कुछ बोलूंगा, तो आप मेरी तरफ कुछ बोल देंगे।

डॉ.चरणदास महंत :- मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं आपके चरित्र को समझता हूं। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं शराब बोला, इतने में कॉग्रेस में इतना नशा चढ़ जाता है। आगे-पीछे क्या बोलने वाला हूं, वह भी नहीं सुना और नशा इतना तेज। बाप रे। मैं इसलिए बोल रहा हूं, आज के पेपर में आया है कि डिस्टिलरियों के ऊपर भी मुकदमे दर्ज किये जायें। शराब के बारे में कुछ भी बोलने का..।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, आज ही के पेपर में आया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद लोग अनलिमिटेड शराब ले रहे हैं। मेरे पास पेपर की कटिंग है। यदि आप कहेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगी। पहले एक बोतल मिलती थी, अब सबको अनलिमिटेड मिल रही है।

श्रीमती भावना बोहरा :- सभापति महोदय, वहां पर एक सीट खाली क्यों है, वह संगीता जी बता दे ?

सभापति महोदय :- संगीता जी, बैठिये।

श्री अजय चन्द्राकर:- सभापति महोदय, पूरे आजाद भारत में किसी भी विचारधारा की सरकार हो लेकिन यदि अपने राजस्व को चोरी करने वाली कोई पहली सरकार थी, तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी (शेम-शेम की आवाज) । अभी प्रारंभिक जांच में 2100 करोड़ रूपये स्थापित हुए हैं, आगे नहीं मालूम कि और कितना निकलेगा। जितने प्रकार से उसकी सेल्फ बिक्री, मिलावट, नकली होलोग्राम, जो भी हो सकता था, वह सब तत्कालीन सरकार ने किया। मैं फिर कह रहा हूं कि वह विधान सभा के रिकॉर्ड में है कि घर पहुंच सेवा के लिए सप्लायर, डिलीव्हरी ब्वाय की योग्यता भी तय थी कि इस तरह के लोग, इस तरह की शिक्षा होनी चाहिए और यदि घर पहुंच सेवा देंगे तो इतनी दूरी का इतना रेट लगेगा। कोरोनाकाल में घर पहुंच सेवा देने वाली, प्रॉपर रेट और योग्यता तय करने वाली यह अकेली कांग्रेस सरकार, भूपेश जी की सरकार थी (शेम-शेम की आवाज)। सभापति महोदय, जहरीली शराब और अवैध शराब से देश के हर कोने में लोगों की मृत्यु होती है, यह दुर्भाग्य है और दु:खद है, लेकिन यह ऐसी चीज है, जो घटते रही है, परंतु मैं इस विषय में जिस एंगल से बोल रहा हूं, वह घटना सिर्फ एक बार घटी है और वह कांग्रेस के शासन में घटी है। दोबारा वैसी घटना फिर नहीं घटेगी कि अपने राजस्व को शराब के माध्यम से चोरी किया जाये। भूपेश सरकार अपने खजाने में डाका डालने वाली सरकार थी।

माननीय सभापति महोदय, इसलिए इनको अभी आरोप लगाने के लिये कुछ भी नहीं मिलेगा। यह अटकल और आकलनों में आरोप-प्रत्यारोप की बात करेंगे। इनके पास कोई तथ्य नहीं है। सभापति महोदय, माननीय वित्तमंत्री जी ने इस वित्तीय वर्ष के अंतिम अनुपूरक में जिस तरह से सभी विषयों को, सभी क्षेत्रों को स्पर्श किया है, उसके लिये उनको बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत-बहुत बधाई देता हूं। मैं वास्तव में इतने दिनों से विधान सभा में हूं लेकिन इतना अच्छा अनुपूरक बजट, इतनी राशि का अनुपूरक बजट पहले कभी नहीं देखा, जिस बजट ने इतने क्षेत्रों में स्पर्श किया हो (मेजों की थपथपाहट)। सभापति महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। (मेजों की थपथपाहट)

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह (अकलतरा) :- सभापति महोदय, धन्यवाद। आज सरकार द्वारा लाये गये वर्ष 2024-25 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की जितनी अनुदान संख्या है, मैं उसके विरोध में खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मुख्य बजट आया, उसके बाद अब तीसरा अनुपूरक अनुमान हम लोगों के सामने

आया है। अनुपूरक के कई उद्देश्य हो सकते हैं। जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे थे कि इसमें पूंजीगत व्यय भी है। इसके अतिरिक्त जो अधूरे कार्य होते हैं, उसको पूरा करने के लिए भी हम अनुपूरक बजट को लेकर आते हैं या कोई ऐसी व्यवस्था बीच में आ गई, जिसकी वजह से हमको अनुपूरक बजट की आवश्यकता पड़ी, तब अनुपूरक बजट विधान सभा में पेश होता है। यदि मुख्य बजट की बात करें, तो मुख्य बजट 1 लाख 47 हजार करोड़ के आस-पास का था। दूसरा, जो प्रथम अनुपूरक आया, वह सवा 700 हजार करोड़ के आस-पास था, फिर द्वितीय अनुपूरक 805 हजार करोड़ और आज 19 हजार करोड़ का तृतीय अनुपूरक आया है। अगर हम इस बजट के आकार को देखे, चूंकि अनुपूरक के साथ-साथ हमें पिछले बजट को भी देखना होगा। जब यह पूरा बजट आया था तो ऐसा लगा जैसे हमारे बीच में बहुत बड़ा बजट आया है और ऐसा छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रहा है। लेकिन उसके साथ-साथ हमने उसमें जो ऋण लिया हुआ है, उसकी बात भी करनी पड़ेगी। मैं अगर पिछली दो सरकारों की बात करूं, जो कि एक भाजपा सरकार और उसके पहले आदरणीय जोगी जी की सरकार थी। उस समय छत्तीसगढ़ के ऊपर 45 हजार करोड़ के आस-पास का कर्जा था, जो बाद में कांग्रेस सरकार के समय बढ़कर करीब-करीब 82 हजार करोड़ रूपये हुआ। जबकि वर्तमान सरकार में इसी साल में हम लोगों ने लगभग उतना कर्जा ले लिया है, जितना लगभग पिछले पांच साल में तत्कालीन सरकार ने लिया था।

श्री रामकुमार यादव :- चन्द्राकर जी, सुनव ना जी।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, आदरणीय सदस्य एक बात कह रहे थे कि जो कर्जा हमने छोड़ा था, आज हमें उसी को पटाने के लिए दिक्कतें हो रही हैं। मैं उनकी बात से सहमत तो नहीं हूँ, चूंकि मैं वकालत का विद्यार्थी रहा हूँ। अभी आदरणीय उपमुख्यमंत्री भी बैठे हुए हैं। हम लोगों में एक फ्रेज़ होता है प्रिंसिपल ऑफ रोयिंग बोर्ड । मैं आपकी बात नहीं मानता हूँ, लेकिन कुछ समझाने के लिए मैं आपकी बात से एक मिनट के लिए सहमत हो जाऊंगा। अगर हमने जो इतना कर्ज लिया, उसको आपकी सरकार भोग रही है तो क्या आप यह कहना चाह रहे हैं कि पिछली बार जो आप कर्ज छोड़कर गये थे, उसको हम लोगों ने भोगा है। यह दोनों विषय तो एक ही है। यदि आपने कर्ज लेकर भोगा है, वह सही हो सकता है और हम लोगों ने जो कर्ज लिया, वह हमेशा गलत है। इस विधान सभा में दो तरीके की बातें नहीं हो सकती है। हमें इस अनुपात को देखना होगा।

माननीय सभापति महोदय, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं जब छत्तीसगढ़िया की लड़ाई चलती है कि यह छत्तीसगढ़िया कौन है? मैंने एक बार एक भाषण में सुना। उन्होंने बहुत अच्छा कहा था कि जो छत्तीसगढ़ का खाता है और छत्तीसगढ़ का गाता है, वह छत्तीसगढ़िया है। आज जब हम इस कर्ज को देखते हैं, छत्तीसगढ़ में हर इंसान जो यहां रह रहा है, छत्तीसगढ़ का हर इंसान उसका भागीदार है। अगर छत्तीसगढ़ हमारा है तो उसका कर्ज भी हमारा है। आज हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि हम लोगों के सिर पर कितना कर्ज चढ़ रहा है। हमें इसके बारे

में भी ध्यान देना होगा। यहां पर जब मुख्य बजट आया था तब मैंने माननीय वित्त मंत्री जी को एक बात कही थी कि आप जो यह जी.एस.टी. का Projection दे रहे हैं, इससे कहीं न कहीं हम लोगों को नुकसान होगा, छोटे व्यापारियों को नुकसान होगा। अधिकारी द्वारा उनकी गर्दन पकड़कर, छत्तीसगढ़ में टैक्स Terrorism का काम होगा, जो आज यहां पर हो रहा है। मैं बहुत पुरानी बातों में नहीं जाऊंगा क्योंकि पिछले अनुपूरक में मैंने, आप लोगों के बीच बात रखी थी। अगर हम नवम्बर 2023 और नवम्बर 2024 का Comparison करते हैं तो यह माईनस 1 प्रतिशत है। दिसम्बर 2023 और 2024 में प्लस 10 प्रतिशत और वर्ष 2024-2025 में लगभग 5 प्रतिशत की ग्रोथ है जबकि हम अपना एवरेज ग्रोथ ही 14 से 17 प्रतिशत मानते हैं। उस समय भी इस सदन में यह फिगर टोका गया था कि अगर हम लोग इस तरह के फिगर एचीव करते हैं। आप यहां पर आंकड़े रखिए, यह अच्छा है। हमें आगे बढ़ना है, लेकिन आप ऐसे आंकड़े रखेंगे जो Achieve नहीं हो सकते और अगर यहां अधिकारियों के माध्यम से टैक्स Terrorism करेंगे तो जैसे यहां पर माननीय सदस्य कह रहे थे कि इसमें सभी वर्गों को स्पर्श किया गया है तो सभी लोग इस Terrorism में स्पर्श हो रहे हैं। हमारा जो लक्ष्य था। यहां पर माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हुए हैं मुझसे ज्यादा आंकड़ों को समझते हैं। माईनस 67 प्रतिशत हम लोग टारगेट से 31 जनवरी तक पीछे चल रहे हैं। इसमें 1352.15 करोड़ का लगभग यह आंकड़ा आता है तो हम लोगों को इस बात का ध्यान देना होगा कि हम इन आंकड़ों के चक्कर में यहां न पहुंच जायें कि उसमें एक आम आदमी भी परेशान होने लगे। आदरणीय सदस्य भी यह बात कह रहे थे। हम लोगों ने धान खरीदी का 160 लाख मीट्रिक टन स्टेट का लक्ष्य रखा था, वह प्राप्त नहीं हुआ। जांजगीर में ही करीब 6 से साढ़े 6 हजार किसान अपना धान सोसायटियों में नहीं बेच पाये। आपने पोर्टल बंद कर दिया। मैं एक महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ कि जिस सोसायटी में जितना टारगेट था उसमें हर दिन की जितनी धान की लिमिट बनायी गई थी, उस धान खरीदी का उन दिनों से गुणित करिये तो इस प्रदेश में उतनी धान खरीदी हो ही नहीं सकती। यह बात सरासर असत्य बोली गई और किसानों को इसका नुकसान झेलना पड़ा है। मेरे जांजगीर-चांपा जिले में ही लगभग 1 लाख, सैंतालिस हजार क्विंटल की कम खरीदी हुई है। इन्होंने पंचायत से भुगतान करने की बात कही थी। जब यहां हम लोग आये तो हम लोगों को Taunt मारा गया कि नगरीय निकाय चुनाव में सब सांय-सांय हो गया है तो मैं, आपसे वही बात कहना चाहूंगा कि जो पंचायत के भुगतान की बात हुई थी, वह भी गोल-गोल ही चल रही है। अभी तक उस पर इस बजट में कम से कम प्रतीकात्मक बात हो जानी चाहिए थी। आप उसमें 200 रूपये दे देते तो हम लोगों को आगे कम से कम उम्मीद तो रहे कि यह काम होना है, लेकिन उस पर श्वेत असत्य बोल दिया गया। इस प्रदेश में जो 3100 में धान खरीदी की बात हो रही है। अभी भी कुछ किश्तों का पैसा नहीं आया हुआ है। जैसा कि आदरणीय सदस्य बोल रहे थे कि इस अनुपूरक बजट में उसका प्रावधान किया गया है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब इस प्रदेश में राजीव गांधी न्याय योजना चल रही थी तब

रबी फसल के समय में जो दूसरी फसलें होती थीं, उसमें 10 हजार रूपये एकड़ दिया जाता था। आखिर उन किसानों के बारे में भी सोचना होगा, जो धान की फसल के अलावा भी फसल ले रहे हैं आज हमको उनको बारे में भी सोचना पड़ेगा। कोविड की बात हो रही थी कि कोविड के समय कुछ गड़बड़ियां हुईं और आज ट्रेक्टर ज्यादा खरीदे जा रहे हैं। मैं इस सदन के अंदर दावे के साथ कहता हूं कि कि आप जी.डी.पी. का नेशनल लेवल का आंकड़ा उठा लीजिए और कोविड का छत्तीसगढ़ का आंकड़ा उठा लीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जायेगा कि हमारी इकानामी कहां चल रही थी और उस समय देश का एवरेज क्या चल रहा था और दूसरे स्टेट कहां पर थे। अगर हम लोग 3100 रुपये की बात कर रहे हैं तो इस बात के लिए मैं कांग्रेस को बधाई देना चाहूंगा कि 2500 रुपये से शुरूआत कर 2700, 2800 रुपये तक उन लोगों ने पहुंचाया और जिसकी वजह से आप लोगों को धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये देना पड़ा, नहीं तो आप लोग तो दो बोनस की राशि भी गोल कर गये थे, इस बात को याद रखिये। आखिरी किश्त में हमारी सरकार चली गई थी, मैं उसी पर आ रहा हूं। जो समय-सीमा तय थी, तब आपकी सरकार आ गई थी और उस चौथी किश्त को भी गोल करने का काम आपने किया है और इस बात को जनता नहीं भूलेगी। 1 लाख शासकीय पद भरने का वादा था, अनियमित संविदा कर्मचारियों को 100 दिन में नियमित करने की बात थी। आप 100 में नियमित करने की बात तो छोड़िये, आपने बी.एड. वालों को निकाल दिया। आप उनके संविलियन के लिए कुछ तो सोचिये। हजारों लोग घूम रहे हैं। जो लोग जॉब मे आ गये थे, उनको आपने बेरोजगार कर दिया। रोजगार देने की तो बात छोड़िये, आप तो बेरोजगार करने का काम कर रहे हैं। अगर प्रतीकात्मक ही आपको राशि देनी थी तो कम से कम जो 500 रुपये वाला सिलेण्डर था, उसकी भी राशि का उल्लेख कर देते। किसी अनुदान संख्या में उसकी बात होती कि आगे होना है।

सभापति महोदय, महतारी वंदन का पोर्टल बंद है। क्या एक साल से शादियॉ नहीं हुई हैं? यदि हम महिलाओं को पैसा दे रहे हैं तो हम यह जता कर क्यों दे रहे हैं कि अभी अच्छा पोर्टल नहीं खुला, अभी तुमको हम नहीं देंगे, बाद में देंगे। उनका त्वरित रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार चरम पर है चाहे वह किसी भी डिपार्टमेंट की बात हो। एक वेब पोर्टल बनाने की बात हुई थी जिसमें शिकायत निवारण का पोर्टल है। सभापति महोदय, बहुत बार बात हुई कि एक ही जिले की, दो जिले की बात हो रही है। मैं आपको सिर्फ दो उदाहरण देना चाहूंगा। top to bottom कई ऐसे अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं और मैं बहुत जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि कि अकलतरा में दो-ढाई करोड़ रुपये की गौण खनिज की राशि आई। उस गौण खनिज की राशि में आधे से ज्यादा राशि को मेन्यूअल टेंडर करके स्वार्थपूर्ण बंटवारा कर दिया गया। मैंने कलेक्टर को, जी.ए.डी. को शिकायत की। मैं मंत्रालय आया और Secretary, Urban administration and development के पास भी गया। लेकिन उस दिन

उनको मेरे से मिलने का भी समय नहीं मिला। वह अंदर बैठे हुए थे, चाय के कप जारी थे और उन्होंने मेरे से मिलना उचित नहीं समझा। मैंने उसके बाद प्रमुख सचिव महोदय के पास जाकर चिट्टी दी। मुझे उसका जवाब भी आ गया कि इस पर जांच कर आप विधायक को सूचित करें। लेकिन आज महीनों हो चुके हैं, उस पर जांच की कोई बात नहीं हो रही है। यह आपका प्रशासन चल रहा है। शिकायत, प्रश्न, ध्यानाकर्षण सब लग चुका है, लेकिन अधिकारी उसकी फाईल पर बैठे हुए हैं। हमारे नगरीय निकाय के आदरणीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, वह उप मुख्यमंत्री भी हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि आप इन चीजों पर संज्ञान लीजिए। अगर आपके उच्च अधिकारी से लेकर लोवर अधिकारी तक इस तरीके से काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वह खुद भी संलिप्त हैं। पिछले इसी बजट सत्र में माननीय वित्त मंत्री जी को मैंने एक चिट्ठी दी कि हमारे यहां एक तालाब मनरेगा से खोदा गया। उसमें मनरेगा से पचरी भी बनाई गई और उसके बाद उसको राखड़ से पाट दिया गया। यह सब ऑन रिकार्ड है। प्रशासन ने स्वयं संज्ञान लिया कि वह तालाब पाट दिया गया है और उस पर जांच होनी चाहिए और जांच भी हो गई। लेकिन आज एक साल से वह फाईल एस.डी.एम. कार्यालय में लंबित है। मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी को एक बात ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मैं आपके पास गया था, मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं। इन्होंने तुरंत उसकी फोटो खींची और कलेक्टर साहब को भेजा कि अगर इसमें कुछ गलत हुआ है तो इस पर त्वरित कार्रवाई हो। लेकिन आदरणीय वित्त मंत्री जी ऐसा लग रहा है कि आपकी बात भी नहीं सुनी जा रही है। आज भी वह राखड़ से पटा हुआ तालाब आप लोगों की प्रशासनिक विफलता का स्मारक बना रहा है। हम लोगों को इस बात को देखना पड़ेगा। यह हम लोग विष्णु देव साय जी के सुशासन की बात कर रहे हैं, जहां घोटाले उजागर हो रहे हैं, जांच में सामने आ रहे हैं कि वहां पर घोटाला हुआ है, लेकिन उस पर हम लोग कार्रवाई करने को तैयार नहीं हो रहे हैं। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने जो कारगो का पैसा इस बजट में दिया है, वह बहुत दूरगामी सोच है, मैं उसमें एक अपना भी सुझाव आपको देना चाहूंगा । करीब 1000 एकड़ अकलतरा में जो सी.सी.आई. की फैक्ट्री थी, वह बंद पड़ी हुई है, वह सेफ है। वहां से सात किलोमीटर पर हमारा भारत माला प्रोजेक्ट जा रहा है और ये फैक्ट्री स्वयं नेशनल हाइवे पर है तो हम ड्राई पोर्ट की अगर आगे बात करते हैं तो एक ऐसी जगह है, जहां पर हमारे पास रोड, जमीन सब कुछ की उपलब्धता है तो इसके बारे में आगामी बजट में हम लोगों को सोचना पड़ेगा। आदरणीय सदस्य एक बात कह रहे थे। दारू की बात हुई और आज ई.डी. पहुंच गई। ई.डी. क्यों जा रही है? एक सदस्य को अंदर क्यों किया गया है? एक सदस्य अंदर होकर अभी बाहर क्यों आये हुए हैं? ये सर्वविदित है। अगर कोई विरोध में बात करता है तो उसको अंदर डाल दिया जा रहा है। राजीव भवन में ऐसी कौन सी फाइल मिल जाएगी, जो यहां पर चर्चा हो रही थी। वह तो ऐसी खुली जगह है, जहां पर हर कार्यकर्ता आ जा सकता है। तो वहां पर पता नहीं क्या खोजने गए हैं? अगर प्लांट कर दिया तो बात अलग है। अनुपूरक बजट में जब पूरा करने की बात आती है, जिसकी मैंने पिछली बार भी चर्चा की थी तो ऐसे

कई प्रोजेक्ट हैं, जो छोटी-छोटी राशियों की वजह से 60-70 प्रतिशत राशि खर्च होने के बाद भी रुके हुए हैं। ऐसे पूरे स्टेट में हम लोगों को इसका एक सर्वे कराया जाना उचित होगा। मैं बलौदा बाईपास का एक उदाहरण दे रहा हूं। उसमें सिर्फ नौ लोगों के मुआवजे प्रकरण लंबित हैं। 60 प्रतिशत काम खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद 3 साल से वह प्रोजेक्ट रुका हुआ हुआ है। मतलब 60 प्रतिशत पैसे का हमारे पास कोई मोल नहीं है। चूंकि नौ लोगों का मुआवजा गलत ढंग से रोक कर रखा गया है, हम लोग वहां पर अभी भी बाईपास की उपलब्धता नहीं ले पा रहे हैं। बसंत की बात आ रही थी कि सर्दी के बाद गर्मी आ जाती है तो ये बोलना तो उचित होगा कि वहां पर कोयले के नाम पर जो हसदेव में वृक्ष काटे जा रहे हैं, उसके बाद जो पानी की कमी जांजगीर में होगी, उसके बारे में भी एक सर्वे का प्रावधान करिए ताकि हम लोग ये जान सके कि आने वाले समय में हमें नुकसान आखिर कितना होना है? लगभग हर constituency में एक दो जगह जल आवर्धन योजना शहरों में भेजी गई थी। आधा काम करने के बाद ठेकेदार भाग गए हैं। विधान सभा के पटल पर ये जवाब आया है कि अब उसमें आगे क्या करना है? हम लोग उसको ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं। कई जगह तो अब तक ब्लैकलिस्ट भी नहीं हुए हैं। हम लोगों को इस बारे में भी सोचना होगा। बिजली की बात यहां पर करीब-करीब 2200 करोड़ रूपये हम लोग पंप में निःशुल्क दे रहे हैं । उसके अलावा बिजली की सब्सिडी में, बिजली कंपनियों में, वहां से taunt भी आ रहा था कि आप लोगों की हालत की वजह से ये हो रहा है। आप पंप तो दे देंगे लेकिन कम से कम बिजली तो देना शुरू करिए कि वह किसान अपना पंप चलाएं।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति जी, महाराज अइसना टेक्नीकल बात करिसे हमर चन्द्राकर जी के सुपुरदूम होगे हावय?

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, बिजली की कटौती हर जगह चल रही है, जिस विषय को आज स्थगन में उठाया गया था। पंप बांट देने से, कंपनियों को पैसे दे देने से, सब स्टेशन कैंसिल कर देने से बिजली की व्यवस्था नहीं सुधारने वाली है। दो महीने का समय बचा है। एक बार जब गर्मी में लोड ज्यादा आना चालू होगा, उसके बाद जो स्थिति इस बार छत्तीसगढ़ में आएगी, वह भयावह होगी। ये बात मैं आपके माध्यम से सदन को आगाह करना चाहता हूं। अनुपूरक बजट के बाद अब मुख्य बजट भी आने वाला है। जैसी कि बात हो रही थी कि हमने हर क्षेत्र को स्पर्श किया है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आपने हर क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने का काम किया है, चाहे वह किसान हों, छोटे व्यापारी हों, गरीब हों या मध्यम वर्ग हों। आदरणीय सदस्य एक बात कह रहे थे, मैं उसका एक जवाब आखिरी में देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि रेती की छूट दे देने की जरूरत किस चीज की है? अगर छूट नहीं देनी थी तो सदन में announcement क्यों की गई? अगर आपको छूट नहीं देनी थी तो उसके बारे में announcement ही नहीं करनी चाहिए थी।

श्री रामकुमार यादव :- लोकसभा चुनाव के पहले आप मन वोट मांगे हो। टी.वी. में बइठे रहव, मैं सबके फोटो खींचके रखे हव। हमारी सरकार रेत फ्री देगा, जमो ला ठग के ले लेहौ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- रॉयल्टी फ्री करने की जब बात हुई थी, आज तक उसके बारे में न कोई उल्लेख है, न कोई प्रावधान है तो हम लोग क्या समझें कि सदन में जो बात announce हो रही है, वह भी होगी या नहीं, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। यही सुशासन यहां पर चल रहा है। आज किसान परेशान हैं। बैंकों में पैसा नहीं है, वह जाकर बैंकों से पैसा लगाने के लिए 25-25 हजार दिन के मिल रहे हैं। किसी दिन तो वह भी नहीं मिल रहे हैं। हम लोगों को किसान की बात करनी होगी। हम लोगों को गरीबों की बात करनी होगी। हम लोगों को मध्यम वर्ग की बात करनी होगी। जिस पर टैक्स terrorism लगाया जा रहा है, हम तभी छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आपके माध्यम से सिर्फ ये निवेदन करूंगा कि इस बजट की तरह अगले बजट को भी सिर्फ ख्वाबी पुलाव न बनाया जाए और एक अच्छा बजट छत्तीसगढ़ के लिए सामने आए। बस यही कहकर आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- नीलकंठ टेकाम जी।

श्री रामकुमार यादव :- सर, this is clear.

श्री नीलकंठ टेकाम (केशकाल) :- माननीय सभापति महोदय, इस अनुपूरक बजट के मामले में जो बातें सामने आईं । मैं इसकी एक छोटा सी रिज़ल्ट ओरिएंटेड चीज़ जो हुई है, वह सदन को बताना चाहता हूं । आखिर मुख्य बजट के बाद अनुपूरक बजट और यह आखिरी अनुपूरक बजट पास होने का मतलब क्या होता है। मैं कोंडागांव का एक उदाहरण बताता हूं । एक साल के भीतर किसानों ने 2600 ट्रैक्टर खरीदे हैं (मेजो की थपथपाहट) । यह रिजल्ट 3100 रूपए क्विंटल में धान खरीदी का है । वहां पर 80 प्रतिशत आदिवासी रहते हैं । अगर हम 33 ज़िलों की बात करेंगे तो इसका गुणा करके देख लिया जाए । यदि सरकार की ओर से पैसा दिया जा रहा है, यदि वित्त मंत्री जी पैसा मांग रहे हैं तो उसको उन्होंने खर्च कैसे किया, इसका अंदाजा रिजल्ट से लग जाता है । सभापति महोदय, पहले राज्य के 5 लाख लोग, जो नौकरीपेशा हैं केवल वे ही 1/2 तारीख को खुश नज़र आते थे, लेकिन आज इन पांच लाख लोगों के अलावा 70 लाख लोग खुश नजर आते हैं (मेजो की थपथपाहट) क्योंकि महतारी वंदन का पैसा मिल रहा है ।

श्री रामकुमार यादव :- तहू तो खुश रहे ना, आप कलेक्टर रहे ।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, बार-बार टोका-टाकी उचित नहीं है ।

श्री नीलकंठ टेकाम :- आज बैंक वाले महिलाओं को बिना गारंटी के 25 हजार रूपए तक का ऋण देने को तैयार हैं (मेजो की थपथपाहट) । वजह क्या है ? वजह यह है कि उनके पास एक गारंटी है । माताओं के लिए हमारे राज्य में जो काम हुआ है उसी का नतीजा है कि अभी के सारे चुनावों में चारों

खाने चित्त हो गए हैं । धान खरीदी की लास्ट किश्त के बारे में तो ये लोग दुआ कर रहे थे और उसको मिसाइल बनाने वाले थे । अंतर की राशि नहीं बंटेगी और इसको हम पंचायत चुनाव में मुद्दा बनाएंगे । लेकिन ऐन वक्त पर आपने पैसा देकर हवा निकाल दी है । इसके अलावा जो सुधारात्मक काम हो रहे हैं । किसानों को मुफ्त में बिजली दे रहे हैं, मुफ्त में पम्प दे रहे हैं । किसानों की आर्थिक मजबूत हो रही है । एक तरफ उनको धान का पैसा मिल रहा है और दूसरी तरफ उनको इन्पुट्स ज्यादा से ज्यादा मिल रहे हैं, इसका फायदा क्या हो रहा है ? इसका फायदा यह हो रहा है कि हमारे सीनियर सदस्य ने कहा था जिस पर ये तिलमिला गए थे । अवेयरनेस के बारे में जो बात आ रही थी । आज किसान कैश क्रॉप की ओर जा रहे हैं, वे अपना ग्रीन हाऊस बनाने की ओर जा रहे हैं । आज हार्टीकल्चरल प्रोडक्शन की ओर जा रहे हैं । ऐसा इसलिए हो रहा है कि किसानों में अवेयरनेस बढ़ रहा है । निश्चित तौर पर जो मांग यहां रखी जा रही है, इसका बेहतर उपयोग हमारे वित्त मंत्री और हमारी विष्णुदेव साय सरकार के द्वारा किया जा रहा है और इसलिए मैं इस अनुपूरक बजट का पूरी तरह से समर्थन करता हूं (मेजो की थपथपाहट) । इससे न केवल किसानों में आत्मनिर्भरता बढ़ रही है बल्कि महिलाओं और माताओं की स्थिति में सुधार आ रहा है । हम कामकाजी महिलाओं के लिए रहने की व्यवस्था दे रहे हैं । रहने की व्यवस्था मतलब उनके जीवन की सुरक्षा होती है । रायपुर और बड़े-बड़े शहरों में काम करने के लिए जो महिलाएं आ रही हैं, उनके लिए सुविधाएं बढ़ाने का काम हो रहा है । लोगों के स्वरोजगार को छीनकरके सामने वालों की सत्ता चली गई । उनको रेडी-टू-ईट काम वापस लौटाने का भी निर्णय लिया गया (मेजो की थपथपाहट) । इसे भी हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है । बस्तर जैसे क्षेत्र में बस्तर ओलंपिक के माध्यम से 1 लाख 60 हजार लोगों को जोड़ने का काम किया गया है। यह हमारी सरकार की उपलब्धि है। अभी ओरछा में मैराथन होने वाला है। मैं हमारे साथियों को कहना चाहूंगा कि आप लोग भी उसमें जरूर जाएं ताकि आप देखें कि लोगों में उत्साह कैसे बढ़ रहा है। लोग कैसे अपने आपको मजबूत बना रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए हमारे माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा जो अनुपूरक रखा गया है, मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं, अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- श्रीमती शेषराज हरवंश जी।

श्रीमती शेषराज हरवंश (पामगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे माननीय सदस्य जीवन सुरक्षा की बात कर रहे हैं। राजिम के बाद शिवरीनारायण आस्था का सबसे बड़ा केन्द्र है, जो पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में है। जहां हर साल राजिम की तरह माघी मेला भी लगता है। इस वर्ष 100 पुलिसकर्मी उपस्थित होने के बावजूद भी माघी मेला के शुरू दिन ही 12 लोग मिलकर चाकूबाजी करके एक युवक की हत्या कर दी। पिछले सत्र में सड़क सुरक्षा की बात आई थी। माननीय स्पीकर महोदय ने

ड्राईवरों के Eye को चेक करने की बात की थी, आदेश दिए थे। आज तक वह कहीं नहीं दिखता है, किसी भी गांव में, किसी भी नगर में ड्राईवरों का Eye चेक करने का कुछ नहीं दिखता है।

माननीय सभापित महोदय, राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति योजनांतर्गत 600 करोड़ रूपए का प्रस्ताव है। यह समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन योजना में हुई हानि की प्रतिपूर्ति हेतु अनुपूरक प्रावधान है। समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की योजना केन्द्रीय योजना है तो राज्य के बजट में हजारों करोड़ रुपए का अनुदान हानि प्रतिपूर्ति हेतु देने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? क्या केंद्र सरकार द्वारा धान खरीदी के लिए होने वाले व्ययों की पूरी राशि नहीं दी जाती ? एक बात यह अवश्य है कि हम मिलिंग चार्ज के लिये केन्द्र द्वारा निर्धारित दर 10 रु. प्रति क्विंटल से बहुत अधिक राशि देते हैं तो इसमें हानि होगी और उसकी प्रतिपूर्ति भी करनी ही पड़ेगी। परंतु मिलिंग चार्ज के अतिरिक्त भी अन्य अनेक मदों पर हमें अधिक व्यय करना पड़ता है और भारत सरकार से उन मदों पर कम दर से राशि प्राप्त होती है, यह उचित नहीं है। उदाहरण के लिए- मंडी, लेवर चार्ज, ब्याज, परिवहन, प्रशासनिक व्यय, सुरक्षा, रख-रखाव, आदि मदों पर राज्य को बहुत अधिक व्यय करना पड़ता है और हमें केन्द्र से कम राशि प्राप्त होती है। हमें इसके लिए केन्द्र सरकार से मांग करना चाहिए कि विभिन्न मदों के लिए होने वाले वास्तविक व्यय के बराबर राशि राज्य को दी जाए।

माननीय सभापति महोदय, 27 कृषि वैज्ञानिक केन्द्र हैं जिनके वैज्ञानिकों को 5-6 महीने तक तनख्वाह नहीं मिला है। वे कृषि वैज्ञानिक परेशान हैं, क्योंकि किसी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी के तनख्वाह से उसका परिवार पलता है, परिवार उस पर आश्रित होता है। यह हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का हाल है। आज ही हमारी सदस्या कह रही थीं, किसानों को धान का पैसा नहीं दिया जा रहा है, बैंकों में लाईन लग रहे हैं। बैंक में एक दिन में 2 करोड़ की लिमिट होती है, दो करोड़ की राशि के लिए किसान दिन भर लाईन में लगे रहते हैं। अभी शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, किसान अपने बच्चों की शादी के लिए अगर ज्यादा पैसा निकालना चाह रहे हैं तो एक हजार रूपये का कमीशन पहले देना पड़ रहा है तब जाकर उनको 20 हजार रूपये से अधिक पैसे दिए जा रहे हैं। यह शिकायतें हम लोगों के पास आए दिन जनप्रतिनिधि होने के नाते किसान करते रहते हैं कि हमको इतना पैसा मांगा जा रहा है। यह हमारे छत्तीसगढ़ का हाल है।

माननीय सभापति महोदय, शिवरीनारायण मेला महोत्सव में जो अभी हादसा हुआ, उसकी वजह से इतनी सारी जनता जो अपने परिवार को लेकर मेला आती हैं, वह इतना डर चुकी हैं, इतनी भयभीत हो चुकी हैं कि मेला आने से डरने लग गये हैं। बहुत मुश्किल से ले देकर उनका भय खत्म हुआ है। हम पुलिस प्रशासन की कानून व्यवस्था की बात करते हैं, क्या पुलिस प्रशासन वहां पर सो रहा था ? वहां पर एक दिन में 20 हजार, 25 हजार, 30 हजार की संख्या में दर्शनार्थी आते हैं तो क्या उसके लिए पुलिस व्यवस्था नहीं हो सकती या चौकन्ना नहीं हो सकते ? कोई भी अपनी जान गंवाने के लिए मेला

में नहीं आता है। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

समय :
4.00 बजे

सभापति महोदय :- श्रीमती भावना बोहरा जी।

श्रीमती भावना बोहरा (पंडरिया) :- धन्यवाद माननीय सभापति महोदय जी। छत्तीसगढ़ शासन, 2024-2025 का तृतीय अनुपूरक बजट जो हम सबके सामने सदन में आया है, निश्चित ही यह बहुत ही सराहनीय है। जैसा कि हम सब जानते हैं और मुझसे पूर्व वक्ताओं ने भी इस विषय को रखा है कि यह अब तक का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट है। भविष्य में उम्मीद है कि जिस तरीके से हमारी सरकार काम कर रही है, आने वाले समय में जो मुख्य बजट प्रस्तुत होगा, वह इससे कहीं अधिक अच्छा होगा। महोदय जी, मैं यह जरूर कहना चाहूंगी कि बजट में जिन चीजों को शामिल किया गया है, उसमें ऐसे-ऐसे अनछूए पहलुओं को इस बजट में शामिल किया गया है, जो शायद किसी की सोच के बाहर भी रहे होंगे। मुझे यह लगता है कि जिस तरीके से मुझसे पहले हमारे माननीय सदस्य महोदय जी ने बहुत सारे विषय रखें, निश्चित ही मैं उनका नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि वह बहुत अच्छे वक्ता जरूर हैं। लेकिन शायद वह विषयों से थोड़े भटक गये थे। जिस तरीके से वह कांग्रेस के कार्यकाल की योजनाएं गिना रहे थे, चाहे हम छत्तीसगढ़ियावाद की बात करे, चाहे विभिन्न विषयों में वह लगातार अनुपूरक बजट को लेकर ब्लेम कर रहे थे तो मैं कहना चाहूंगी कि चूंकि इस सदन में यह हमारा पहला कार्यकाल है, लेकिन मुझसे पहले भी यहां पर जो सदस्यगण रहे होंगे, शायद वह इस बात के गवाह होंगे कि जब इस सदन में पूछा गया होगा कि पहले जब कांग्रेस सरकार के माध्यम से अनुपूरक बजट आया होगा तो उसमें प्रधानमंत्री आवास, जो छत्तीसगढ़ के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना है। वह हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने दी थी तो इस बजट में पहले जरूर पूछा गया होगा कि उसका प्रावधान क्यों नहीं किया गया तो मुझे उम्मीद थी कि शायद हमारे सदस्य उस विषय में भी जरूर जानकारी देते। मुझे यह भी विश्वास है कि मुझसे पहले भी पिछली बार जब यहां पर हमारी सरकार के पहले कांग्रेस की सरकार रही होगी तो हमारे विपक्ष में जो भाई बैठे होंगे, जो सदस्य बैठे होंगे, उन्होंने यह जरूर पूछा होगा कि आपने विपक्ष की भूमिका में शराबबंदी का वायदा किया था तो आपने शराबबंदी क्यों नहीं की? मुझे उम्मीद थी कि कम से कम वह हमारे वित्त मंत्री जी को appreciate करेंगे कि उन्होंने विभिन्न पहलुओं को छूआ है।

माननीय सभापति महोदय, मुझे इस बात पर विश्वास था कि जिस तरीके से लगातार आज सुबह से ध्यानाकर्षण से लेकर विभिन्न प्रश्नोत्तरी तक में जो धान की खरीदी का विषय लगातार आ रहा है। महोदय, हम भी किसान परिवार से आते हैं। मैं यह बात कहना चाहूंगी कि आज किसानों में किसी प्रकार

का आक्रोश नहीं है। उनके मन में यह विश्वास है कि हमने ऐसी सरकार को चुनकर भेजा है, जिसने मोदी जी की अधिकतम गारंटी को 14 महीने में पूरा किया है और बाकायदा किसानों के खाते में पैसे आ रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहूंगी कि जो धान खरीदी की चिंता कर रहे हैं कि 17 तारीख से, 20 तारीख से खाते में पैसे नहीं आये हैं तो मैं उन सदस्यों से पूछना चाहूंगी कि इस समय जब किसान को जो पैसे दिये जाते थे, वह पैसे 4 किश्तों में क्यों दिये जाते थे? उस समय यह इस सदन में बैठते होंगे तो क्या उनकी जवाबदारी नहीं बनती थी कि वह उस समय भी किसानों की चिंता करें।

माननीय सभापति महोदय, एक महत्वपूर्ण विषय है। चूंकि महतारी वंदन योजना का लगातार हर बार जिक्र होता है। जिस तरीके से विपक्ष में इसका विषय बनाया जाता है तो मैं इस सदन की सदस्य, जनप्रतिनिधि व एक महिला होने के नाते कहना चाहूंगी कि वाकई में यह जो महतारी वंदन योजना है, महिलाओं को सशक्त करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हमको इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। जिसके परिवार में 3-3 पीढ़ियां हैं, जिनकी स्थिति दयनीय हो चुकी थी तथा जो निर्धन परिवार थे, उनके लिए यह उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक टॉनिक का काम कर रही है। (मेजों की थपथपाहट) उसके अलावा हमारे माननीय सदस्य महोदय के द्वारा लगातार यह बात आ रही थी। हमारे आदरणीय वित्त मंत्री जी और सरकार से भी यह प्रश्न पूछा जा रहा था कि हमारी सरकार में और आपकी सरकार में अंतर क्या है? हमने लोन लिया था और लोन तो आप भी ले रहे हैं। मैं इसमें यही कहना चाहूंगी कि जो लोन लिया जा रहा है, उसका इस्तेमाल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट में किया जा रहा है। जो कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बिल्कुल जीरो था। अगर लोन लिया भी जा रहा है तो नये कॉलेज भवन के निर्माण के लिए लिया जा रहा है। यदि लोन लिया जा रहा है तो आंगनबाड़ी भवन के निर्माण के लिए लिया जा रहा है। यदि लोन लिया जा रहा है तो अस्पताल में सुविधाओं व ईलाज के लिए लिया जा रहा है। यदि लोन लिया जा रहा है तो कहीं न कहीं महिलाओं को सुरक्षा दिलाने के लिए, महतारी वंदन योजना का लाभ दिलाने के लिए लिया जा रहा है।

आदरणीय सभापति महोदय, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इस बजट में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिली है, मुझे विश्वास है कि आने वाले बजट में भी हमको इसका बड़ा प्रारूप देखने को मिलेगा, वह है नई उद्योग नीति। आज यदि उद्योग की बात करते हैं तो हमें याद आता है कि यदि मैं रायपुर के आसपास की बात करूं तो सिलतरा व धरसींवा उद्योग के क्षेत्र के रूप में मुख्य रूप से विकसित हैं। लेकिन जो नई उद्योग नीति है, जिसका बजट में प्रावधान किया गया है और जिसके लिए लगभग 155 करोड़ रूपये का बजट में प्रावधान किया गया है, वह है नये आद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना। इससे यह होगा कि सबसे पहले तो नई उद्योग नीति रोजगार को बढ़ावा देगी, रोजगार उन्मूलक बनेगी, जो स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं तो हमारे युवा जो सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे लगे रहते थे, कहीं न कहीं आज उनके मन में यह विचार आएगा कि सरकार हमारा समर्थन कर रही है तो हमें उद्योग

डालना है। जो उद्‌योग नीति का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। दूसरा, इससे पलायन रूकेगा। यदि आपके गांव के आसपास या जहां पर उद्‌योग क्षेत्र विकसित हो रहे हैं, निश्चित ही वहां पर आसपास में रोजगार के जो साधन उपलब्ध होंगे, वह तो होंगे ही, उसके अलावा किसी उद्‌योग के लगने से छोटे-छोटे दुकान, चाहे में ढाबों की बात करूं, चाहे में दुकान की बात करूं, कुछ किराने दुकानों की बात करूं, अन्य जो विषय हैं, स्वरोजगार की जो बात करते हैं, कहीं न कहीं छोटे पहलुओं को भी अनदेखा नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि नई औद्‌योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए जो अनुपूरक मांग रखा गया है, वह बहुत ही अच्छा है। नई औद्‌योगिक नीति का आने वाले समय में निश्चित ही लाभ देखने को मिलेगा।

सभापति महोदय, उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण विषय है। पहले सरकार यह भाव था कि अगर सरकार ने रोटी, कपड़ा और मकान दे दिया, मतलब सरकार का काम पूरा हो गया। अब सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान देना सरकार का काम नहीं है, बल्कि अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, अच्छा living standard भी देना, कहीं न कहीं सरकार की जिम्मेदारी है, जो इस अनुपूरक में साफ दिखाई दे रहा है। इसमें सारी चीजों का प्रावधान है। चाहे हम जिला चिकित्सालय की बात करें, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की बात करें, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की बात करें, इसमें बिजली, पानी, स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, उन सारी चीजों को उपलब्ध कराने के लिए यह अनुपूरक मांग है, मुझे लगता है कि यह काफी सराहनीय अनुपूरक मांग है।

सभापति महोदय, चूंकि हम ग्रामीण परिवेश से आते हैं। मेरा क्षेत्र mostly rural एरिया है। स्वास्थ्य केन्द्र हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हो, इसका महत्व कितना है, हम समझते हैं। आज अगर छोटी सी भी दुर्घटना होती है तो लोग शहर की ओर भागते हैं। लेकिन प्राथमिक उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का होना, वह भी कम दूरी पर होना बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि यह कदम काफी सराहनीय है। दूसरा महतवपूर्ण विषय, जो मुझे लगता है कि शहीद वीर नारायण आयुष्मान कार्ड योजना बहुत ही अच्छी पहल है और बहुत अच्छी राशि का प्रावधान इसमें है। चूंकि हमारे विपक्ष के सदस्य भाई भी यहां पर बैठे हैं, आयुष्मान कार्ड की जो स्थिति कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में थी, वह किसी से छिपी नहीं है, जिसका प्रावधान इस अनुपूरक में किया गया है। लगभग 155 करोड़ रूपये का प्रावधान इस अनुपूरक में रखा गया है तो मुझे लगता है कि यह अनुपूरक भी काफी सराहनीय है।

माननीय सभापति महोदय, विशेष रूप से सबसे जरूर कहना चाहूंगी, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया होगा, वह है कामकाजी महिलाओं के लिए आवासीय परिसर की स्थापना के लिए प्रावधान होना। सुरक्षा की दृष्टि से देखें, चाहे सामाजिक दृष्टिकोण से देखें, कहीं न कहीं परिवार में बच्चियां पढ़ने जा रही हैं, कहीं काम के लिए जा रहीं हैं तो किसी परिवार की पहली प्राथमिकता यही होती है कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची जाकर शहर में कहां रहेगा या कहां रहेगी। अगर महिलाओं को सुरक्षा की दृष्टि के हिसाब से राशि का प्रावधान इस अनुपूरक में किया गया है, जो बहुत ही स्पष्ट है, तो मुझे लगता है कि

हमारी जो बहनें यहां बैठी हैं, सभी के द्वारा इसका स्वागत करने योग्य है।

सभापति महोदय, मैं महतारी वंदन योजना की बात करूं, चाहे समूह की बहनों की बात करूं, चाहे हमारे पांच जिलों में ready to eat को उन्हें वापस दिया गया है, उसकी बात करूं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कम ब्याज दर पर लोन देने की बात करूं, तो भा.ज.पा. की सरकार कहीं न कहीं महिला सशक्तिकरण की ओर न सिर्फ बोल रहीं हैं, बल्कि बहुत स्पष्टता के साथ, पारदर्शिता के साथ काम भी कर रही हैं। मुझे बहुत खुशी है कि सरकार का हम हिस्सा हैं और हमारे आदरणीय वित्त मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस तरह से इस वित्तीय वर्ष का सबसे बड़ा अनुपूरक मांग आया है, वह बहुत ही सराहनीय है और हम सब सदस्य इसका स्वागत करते हैं। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुण्डरदेही) :- सभापति महोदय, मैं तृतीय अनुपूरक की अनुदान मांग संख्या 1 से 82 तक के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय सभापति महोदय, माननीय अजय भईया, आप ही के बारे मा बोलत रहेव। अभी ब्याज के सम्बन्ध में बात हो रही थी। हमारे माननीय विद्वान विधायक बड़े भईया अजय चन्द्राकर जी 870 करोड़ रूपये ब्याज भुगतान की बात को कह रहे थे। मैं इतना पूछना चाह रहा हूं कि मूल बजट में सरकार ने ऋण लिया था तो उस समय कितनी राशि लिए थे और अनुपूरक में इतनी बड़ी राशि की जरूरत क्यों पड़ गई ? यह मेरा एक प्रश्न है। इतनी बड़ी राशि लेने का क्या औचित्य है ? क्या कर्ज को साल भर में पटायेंगे या फिर काम को रोककर ब्याज की राशि को पटायेंगे ? मतलब बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। इतनी राशि लिए हैं, कर्ज लिए हैं। आपने भी कर्ज लिया था, हमारी भी सरकार ने कर्ज लिया था। अभी एक साल में कितना कर्ज लिया है, पूरे प्रदेश की जनता जानती है। हमने किसानों को देने के लिए कर्ज लिया था, किसानों को आत्म संबल बनाने के लिए कर्ज लिया था, किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए कर्ज लिया था। यदि आज 3100 रूपये समर्थन मूल्य में धान खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारी सरकार ने 2800 रूपये तक समर्थन मूल्य में धान की खरीदी कर रेट पहुंचाया था तब आप 3100 रूपये समर्थन मूल्य दे रहे हैं। यह उस समय भूपेश बघेल की सरकार थी।

माननीय सभापति महोदय, ग्रीष्मकालीन सीजन आ गया है और अब हम देख रहे हैं कि किस हिसाब से पूरे प्रदेश में पानी की किल्लत हो रही है। जल जीवन मिशन की आज पूरे प्रदेश में क्या हालत है, यह हम देख रहे हैं। जब इनकी शुरू में सरकार बनी थी तो इन्होंने बड़ी-बड़ी बातें की थी कि जल जीवन मिशन केन्द्र सरकार का मिशन है, इसमें इतना पैसा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है। आपकी सरकार को लगभग 14 से 15 महीने हो गई है, लेकिन पूर्व के सरकार के माध्यम से जो टंकियां बनी थीं, वह वैसी की वैसी ही है। आपने पाईपलाईन लगा दिया है, लेकिन आज तक कनेक्शन नहीं हुआ है। कनेक्शन के अभाव में गांव वालों को पानी नहीं मिल पा रहा है, न ही नये बोर की खुदाई हो रही है और

आप बड़ी-बड़ी बात कर रहे हैं। पेयजल की जो स्थिति निर्मित होने वाली है, उस पर मैं समझता हूं कि यदि आप इस अनुपूरक मांग में वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था के संबंध में प्रावधान रखते तो बहुत बड़ी बात हो जाती, लेकिन इमसें कुछ प्रावधान नहीं रखा गया है। माननीय सभापति महोदय, इस अनुपूरक मांग में सैकड़ों वाहनों को क्रय करने की अनुमति ली गई है। मैंने इस अनुपूरक मांग को सरसरी तौर पर पढ़ा है, लेकिन सैकड़ों वाहन खरीदने की क्या जरूरत पड़ गई? आज भी विभागों में बहुत से वाहन किराये से चल रहे हैं। आप चलने देते जिस हिसाब से चल रहा है, लेकिन इस अनुपूरक मांग में आपने अचानक इतनी बड़ी राशि का प्रावधान रखा है। यदि इसी राशि को, जिस हिसाब से हमारी बहन कह रही थीं कि स्वास्थ्य के संबंध में खर्चा और बढ़ा दिया जाता तो जो स्थिति, जो हालात उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्रथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला अस्पतालों और मातृत्व शिशु अस्पतालों के हैं, वह किसी से छिपा नहीं है। जो वहां जाते हैं, उनसे यह स्थिति छिपा नहीं है और जो नहीं जाते हैं, उसके लिए 1000 बेड का अस्पताल भी छोटा पड़ेगा। हम गांव में रहते हैं और करीब से देखते हैं कि जब सड़क दुर्घटना हो जाती है तो उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक पहुंचाने के लिए कितनी जद्दोजहद करने के बाद वहां तक पहुंचते हैं। तब देखते हैं कि वहां पर स्टॉफ नहीं रह पाते, वहां दवाईयां नहीं होती तो तुरंत वहीं के मेडिकल से दवाई लाना पड़ता है। कैसे भी करके उसका प्राथमिक उपचार करके उसको हायर सेंटर रेफर किया जाता है। हम प्राथमिक स्तर स्वास्थ्य सुविधा को कितना अच्छा से उन्नयन कर सकें और लोगों को तत्काल स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा सकें, इस पर एक बजट का प्रावधान भी होना चाहिए और इसके लिए राशि भी बढ़नी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, सहकारी दुग्ध महासंघ को विभिन्न मदों से लगभग 20 करोड़ रूपये से अधिक की राशि दे रहे हैं। दुग्ध महासंघ को भारतीय डेयरी विकास प्राधिकरण के अंदर सौंप दिये हैं, उसके अधीनस्थ कर दिये हैं, फिर भी उनको इतनी बड़ी राशि क्यों दे रहे हैं? महासंघ के अंतर्गत दुग्ध महासंघ को भारतीय विकास प्राधिकण में आपको समावेश किये हुए छः माह हो चुके हैं, फिर आपने इस अनुपूरक मांग में इतनी ज्यादा राशि का प्रावधान क्यों रखा है? वह आपको उसी समय दे देना था, अब इस राशि की क्यों जरूरत पड़ रही है? यह भी समझ से परे हैं। इस अनुपूरक मांग में ऊर्जा के संबंध में बात आई कि बहुत से विभागों का लंबित भुगतान, विद्युत देयकों का भुगातन का प्रावधान किया गया है। बहुत अच्छी बात है कि बहुत से विभागों का जो लंबित भुगतान, विद्युत देयकों का भुगतान कर रहे हैं। सरकार के खजाने में पैसा आएगा, विभाग में पैसा जाएगा, धीरे-धीरे बिजली की व्यवस्था सुधरेगी, यह अच्छा होगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कर्जदार है कि उसके नाम का उल्लेख नहीं है। नगरीय प्रशासन विभाग का लगभग 1200 करोड़ रूपये का बिजली बिल बकाया है। यदि इसमें उसके लिए प्रावधान रखते और वह पट जाता तो मैं समझता हूं कि अभी जितनी विद्युत की परेशानी हो रही है, जनता जो विद्युत की परेशानी झेल रही है, आप और हम परेशानी झेल रहे हैं, गांव के लोग लगातार परेशान हो रहे हैं।

किसान से लेकर सभी लोग विद्युत की समस्या से परेशान हो रहे हैं। जो छोटे-छोटे लोग हैं, जो एक कमरा, दो कमरे के मकान में रहते हैं, तीन हजार, चार हजार की रूपये की बिजली, उससे कम से कम उनको निजात मिल जाती। इस संबंध में कोई बातें नहीं होंगी। माननीय सभापति महोदय, अवैध शराब की बिक्री पर बड़ी-बड़ी बातें हो रही थी । हमने अभी पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव में देखा है कि महाराष्ट्र से प्लास्टिक के बॉटल में शराब भरकर राजनांदगांव जिले के बार्डर से हमारे बालोद जिले में खुले आम अवैध परिवहन किया जा रहा था । सभापति महोदय, मैं प्लास्टिक के बोतल में शराब पहली बार देखा हूँ, जो महाराष्ट्र से लेबल लगा हुआ आया था । मेरे स्वयं के नगर पंचायत में जो चुनाव हुआ है, उसमें जो खुले आम सट्आ, जुआ, अवैध शराब के कारोबार में लिप्त हैं, उसे टिकट देकर जीता दिया जाता है, ताकि आप खुले आम अवैध व्यापार करो, शराब बेचो, सट्टा खिलाओ, गांजा बेचो और शराब के ऊपर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं ? माननीय सभापति महोदय, कृषक उन्नति योजना में जो आप बजट का प्रावधान रखे हैं, क्या वह कम पड़ रहा है ? सभापति महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि बालोद जिले में जय हरदेव बाबा बहुउद्येश्यीय मिशन उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, अहिवारा नवागांव पंजीयन क्रमांक के माध्यम से अभी किसानो से शेयर के नाम पर 2100 रूपये की राशि कटौती की जा रही है । सभापति महोदय, दंतेश्वरी मईया शक्कर कारखाना बालोद शुरू-शुरू में खोला गया तो किसानों से शेयर के रूप में 600-700 रूपये काटे गये थे, उन किसानों को उस शेयर के बदले लाभांश मिलना था, आज तक भुगतान नहीं हो पाया है । सभापति महोदय, अब प्रति किसान 2100 रूपये शेयर की परम्परा पुन: चालू की है, आपके लाखों किसानों के पैसे का हिसाब कैसे होगा और कहां होगा, इस संबंध में जानकारी यदि बता पायें तो जरूर देंगे ? सभापति महोदय, कृषक उन्नति योजना की राशि के लिये जो प्रावधान रखा था, क्या वह कम पड़ गया था कि फिर किसानों से 2100 रूपये लेकर प्रतिपूर्ति का प्रयास कर रहे हैं ? माननीय सभापति महोदय, आपने घोषणा किया था कि 500 रूपये में गैस सिलेण्डर देंगे । बजट सत्र निकल गया, दो-दो अनुपूरक निकल गये, तीसरा अनुपूरक आ गया, मुख्य बजट आने वाला है । सभापति महोदय, आप गैस सिलेण्डर देने के लिये 500 रूपये का थोड़ा बहुत कुछ तो प्रावधान कर देते ? आप 1000 देकर बहुत उपकार किये हैं ऐसा सोचते हैं, उस 1000 रूपये के बदले हम 1000 रूपये में सिलेण्डर भरा रहे हैं ? सभापति महोदय, यह बड़ी बातें करते हैं, उप मुख्यमंत्री जी नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जो पूर्व में अधोसंरचना मद से नगरीय निकाय को जो राशि आवंटित की गई थी, उसका भूमिपूजन भी हो गया था, मैंने पूर्व में भी द्वितीय अनुपूरक में बातें की थी, जिनका भूमिपूजन हो गया था, माननीय आपके सांसद भी थे, हम भी थे, सार्वजनिक रूप से सभी ने कहा था, उसके बाद अधोसंरचना की राशि अभी तक जारी नहीं की गई है और न ही तृतीय अनुपूरक में कोई प्रावधान है ? माननीय सभापति महोदय, यह बात तो बड़ी-बड़ी करते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है । पिछले बजट सत्र में 34 हजार शिक्षकों की भर्ती करने की घोषणा, इन्होंने कहा था कि यह विष्णुदेव

का सुशासन है, इसे जरूर करेंगे, युवाओं को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, लेकिन 14 महीनों में जो बी.एड; करके लगभग 3000 शिक्षक लगे हुये थे, आपने उसको निकाल दिया है । माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि स्वामी आत्मानंद स्कूलों में कलेक्टर दर पर शिक्षक काम कर रहे हैं, उसे 6 महीने से अभी तक वेतन नहीं मिला है । यह केवल कागजों में कहने तक ही है, बाकि धरातलों में कुछ नहीं दिख रहा है । सभापति महोदय, मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- माननीय भूपेश बघेल जी ।

श्री भूपेश बघेल (पाटन) :- माननीय सभापति महोदय, बजट सत्र चल रहा है और 19 हजार करोड़ का अनुपूरक प्रस्तुत हुआ है और माननीय अजय जी ने कहा है कि यह अब तक के अनुपूरक बजट का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट है । सभापति महोदय, अभी दिसम्बर में 2024 में सत्र हुआ थे आपने 800 करोड़ रूपए का अनुपूरक बजट लाया था, अभी इस सत्र में 19 हजार करोड़ रूपए का अनुपूरक लाये हैं । 3 मार्च को आप बजट पेश करेंगे । इतनी बड़ी राशि को अभी अनुपूरक में आप पास भी कर लेंगे तो खर्च तो नहीं कर पाएंगे । यह केवल आई वाश है क्योंकि मुख्य बजट में आपको आंकड़ों में कलाबाजी करनी है, वह खेल दिखाना है इसलिए 19 हजार करोड़ रूपए का बजट है । 800 करोड़ रूपए पिछले अनुपूरक की राशि और 1,60,568 करोड़ रूपए का मुख्य बजट । तो यह 1 लाख, 80 हजार करोड़ से ऊपर बजट जा रहा है, लेकिन जब पिछले समय बजट सत्र में हमारे सत्ता पक्ष के साथियों ने बहुत मेजें थपथपाईं और बहुत शेरो-शायरी के साथ माननीय वित्त मंत्री जी ने अपनी बात कही थी और यदि हम पिछले बजट की कॉपी देखें तो जितनी स्वीकृतियां आपने पवित्र सदन से ली, क्या उसमें आप कुछ भी शुरू कर पाये ? मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में एयर स्टिप के विस्तारीकरण के लिए आपने पैसा लिया । क्या वह शुरू हो पाया ? कुनकुरी में, मनेन्द्रगढ़ में 220 बिस्तर का अस्पताल आप शुरू कर पाये ? पहली केबिनेट में 18 लाख आवास के लिए आपने पास किया और इस बजट में 8 हजार करोड़ का प्रावधान भी है । उसमें आप कितना खर्च कर पाये ? क्योंकि वित्तीय वर्ष तो समाप्ति पर है, 31 मार्च को समाप्त हो जाएगा । आपने जल जीवन मिशन में 4 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया । सारे माननीय सदस्य कह रहे हैं कि जल जीवन मिशन का काम जहां है, वहीं ठप्प पड़ा है । कहीं बोर नहीं हुआ है, कहीं टंकी नहीं बनी है, कहीं पाईप लाईन नहीं बिछी है । घर में टोंटी तो लग गया है, लेकिन पानी नहीं निकल रहा है । सभापति जी, आपने गरीबों के लिए राशन देने की बात की । आदिवासी अंचलों में आपने गुड़ और चना का भी प्रावधान किया । उसमें भी आपने बजट में करोड़ों रूपए पास किये । हमारे संसदीय कार्यमंत्री जी बस्तर से आते हैं, विक्रम भाई भी बस्तर से आते हैं, दोनों विक्रम एक जगह बैठे हुए हैं। क्या गुड़ और चना मिल रहा है ? चना मिलना बंद हो गया है । अब तो नमक भी शायद मिल पाये, गुड़ तो अब छोड़ ही दीजिए, चना नहीं मिल रहा है ।

सभापति महोदय, अब फरवरी का महीने बीतने जा रहा है । पूरे प्रदेश में एक भी जगह बता दीजिए कि गरीबों के लिए कहीं मनरेगा का काम चल रहा हो । कहीं मनरेगा का काम नहीं चल रहा है । आपने धान भी खरीदा तो किसानों ने 17 जनवरी को धान बेचा है, लेकिन उनका भुगतान नहीं हुआ है । अंतर की राशि आ गई, आपने कहा था कि एक मुश्त राशि पंचायत में देंगे । अभी भावना जी बहुत अच्छा भाषण दे रही थीं । आपने कहा था कि चार किश्त में क्यों दे रहे थे ? आपने ही कौन सा एक किश्त में किसानों को राशि दे दी । आप भी तो दो किश्त में दे रहे हो । अब तो यह डर लग रहा है, सारे चुनाव निपट गए हैं, नहीं तो पहले यही होता था कि चुनाव के साल में बोनस और तीन साल कौन-अस, यही स्थिति थी। अब सारे चुनाव निपट गए हैं।

समय :
4.25 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मेरे भाषण के समय उपस्थित हुए, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज मुख्य मंत्री जी पहली बार प्रश्न काल में जवाब दिए हैं, पहले दिए हों, तो मुझे याद नहीं है लेकिन आज दिए है, इसके लिए भी धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज 1 लाख 80 हजार करोड़ से अधिक का बजट होने के बाद भी स्थिति क्या है कि आप तनख्वाह नहीं बांट पा रहे हैं। तनख्वाह बांटने के लिए नगर निगमों के पास पैसा नहीं है। दीपावली के समय कह दिये कि कर्मचारियों को लक्ष्मी माता का खूब आशिर्वाद मिले, लेकिन स्थिति क्या है कि तनख्वाह बांटने के लिए पैसा नहीं है। अभी श्रीमती शेषराज हरवंश जी बोल रही हैं कि वहां अधिकारियों को तनख्वाह बांटने के लिए पैसा नहीं है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूलों में तनख्वाह बांटने के लिए पैसा नहीं है और डस्टर, चाक खरीदने के लिए पैसा नहीं है और यहॉं बड़ी-बड़ी बातें हो रही है। सोलर लाईट के पंप कनेक्शन लगना पिछले शासन काल में शुरु हुआ, आप उस समय मुख्य मंत्री थे, उस समय से शुरुआत हुई कि दूरस्थ अंचलों में जहां बिजली नहीं पहुंच पा रही है, वहॉं सोलर से पानी की व्यवस्था हो जाए और गांव में लाईट की व्यवस्था हो जाए। हमने उसे आगे बढ़ाया और देश में सबसे ज्यादा यदि सोलर कनेक्शन हैं, तो वह छत्तीसगढ़ में हैं लेकिन आज स्थिति क्या है? गांव में जो सोलर लाईट लगे हैं, उसे बदलने तक के पैसे नहीं हैं। बड़े-बड़े टॉवर खड़े हैं, कहीं भी एक जगह बता दीजिए, जहॉं लाईट जल रही हो? 8-10 लाईटें लगी हैं, एकाध जल रही हो? आप 1 लाख 80 हजार करोड़ रुपए का बजट तो कर दिए, ये मीडिया वाले बैठे हैं, पता नहीं आपकी क्या दुश्मनी है, इसलिए बजट में इनके लिए कुछ रखा ही नहीं। अभी आप देखेंगे कि नगरीय निकाय के चुनाव हुए, बढ़िया जीते, अध्यक्ष महोदय, हमने तेलीबांधा में देखा कि आपकी फोटो तो लगी लेकिन मुख्य मंत्री जी की फोटो नहीं थी। जनसंपर्क विभाग के पास पैसा ही नहीं है। क्यों दुश्मनी ले रहे हैं? आप मुख्य मंत्री

जी से क्या दुश्मनी भंजा रहे हैं? मुख्य मंत्री जी की फोटो क्यों नहीं लगनी चाहिए? इतनी बड़ी जीत आपने ली, अब जीते कैसे, यह अलग बात है, जिसके बारे में हमारे साथियों ने सब बातें कीं, लेकिन जनसंपर्क विभाग से कहीं तो फोटो छपना चाहिए। वह भी नहीं हो रहा है। तो इतना बड़ा बजट है और आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं। अभी आर्थिक सर्वेक्षण आएगा। पिछले समय जब आर्थिक सर्वेक्षण की कॉपी आपने दी, तो 2022-23 में आपने कहा कि सकल घरेलू उत्पाद 6.56 प्रतिशत है। फिर वर्ष 2023-24 में जो राष्ट्रीय औसत है, वह 7.3 है। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहूंगा कि जिस समय करोनाकाल था, उस समय भी पूरे देश में भारत सरकार का भी निगेटिव ग्रोथ था और उस समय हमारे यहाॅ हमने सकल घरेलू उत्पाद में कमी आने नहीं दी और कल आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा कि पिछली सरकार में विकास रुक गया था। हालॉकि इस पर मुझे अभी नहीं बोलना चाहिए। आप बताएं कि बस्तर में कितनी सड़कें बनी हैं? आप जो अबूझमाड़ जा रहे हैं, वह दो-दो पुलिया किसने बनाया? इन्द्रावती नदी में बड़े-बड़े पुल किसके कार्यकाल में बने? अंतागढ़ से भैरमगढ़ जो मुख्य मार्ग है, वह कब बना? आप जितनी भी सड़कें देखेंगे, चाहे मनेन्द्रगढ़ से सुकमा, बीजापुर तक चले जाइए, सड़कें हमने बनाईं। हमने 16 हजार करोड़ की सड़कें बनाईं। यूनिवर्सिटी भी खोला, कालेज भी खोला, सब कुछ किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ये कहते हैं कि 6.56 प्रितशत की जो विकास दर है, वह कम है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने यह यूनिवर्सिटी कहां खोली ? आपने यह प्रदेश में खोली या अपने निर्वाचन क्षेत्र में खोली ? आप पाटन के मुख्यमंत्री थे या प्रदेश के मुख्यमंत्री थे ?

श्री भूपेश बघेल :- रायगढ़ में खुला । क्या पाटन छत्तीसगढ़ में नहीं है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या महात्मा गांधी वानिकी विश्वविद्यालय पाटन में नहीं खुला है ?

श्री भूपेश बघेल :- हां, हमने खोला है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं वही तो कह रहा हूं कि आपने पाटन में खोला है, प्रदेश में नहीं खोला है।

श्री भूपेश बघेल :- क्या हमने रायगढ़ में शहीद नंद कुमार विश्वविद्यालय नहीं खोला ? माननीय अध्यक्ष महोदय, अब आर्थिक सर्वेक्षण हो सकता है, वह बजट के पहले आये, तब पता चलेगा कि आपका विकास दर कितना रहा। यदि लोन लेने की बात है, तो हमारी सरकार के पहले भी सरकार लोन लेते रही और अब भी ले रही है। यह डबल इंजन की सरकार थी, अब तो ट्रिपल इंजन हो गया। अब पंचायती राज में जीतने के बाद चौथा इंजन लग गया। लेकिन स्थिति क्या है ? पटरी यह चार इंजन बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। उसकी गति कहां है ? वह प्रदेश को चारों दिशाओं में खींच रहे हैं । आप बताईये कि आपने भारत सरकार से कितने पैसे लाये और आपने इस प्रदेश में कितने पैसे वसूल किये हैं ? आपके पास तो जी.एस.टी. भी है। आपने तो 28 हजार करोड़ रूपये का लक्ष्य रखा था। आप कितना वसूल कर पाये ? 20 हजार करोड़ हुआ, 25 हजार करोड़ हुआ। आपने बड़ा-बड़ा बजट तो बना दिया लेकिन आपके पास न

माइनिंग में राजस्व आ रहा है, न लिकर में आ रहा है, न जी.एस.टी. में आ रहा है। आपके पास कितना राजस्व आया ? यदि आपके पास राजस्व आया होता तो आपने जितनी राशि बजट में रखी है, जितना भाषण दिया है, एक काम भी शुरू करके बता देते। आपने बहुत लच्छेदार भाषण दिया था लेकिन एक काम की भी शुरूआत नहीं हुई। यह दुर्भाग्यजनक बात है और आप फिर से आकर यहां अनुपूरक बजट मांग रहे हैं। अभी माननीय अजय जी बहुत बढ़िया भाषण दे रहे थे और वह अच्छे वक्ता भी हैं, तथ्यात्मक बात बोलते हैं। उन्होंने शराब की बात की। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश को 2100 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। जबकि आंकड़े चीख-चीखकर बता रहे हैं कि जिस समय की बात हो रही है, हमने आबकारी में उस पिछले साल से 1600 करोड़ रूपये की वृद्धि की थी। आप फिर भी कह रहे हैं कि 2100 करोड़ रूपये का घाटा हुआ, घोटाला हुआ। विधान सभा चुनाव निकल गया, लोक सभा चुनाव निकल गया, अभी और पंचायती राज चुनाव भी निकल गया, तब भी आप कह रहे हैं। मैं उस समय भी कहता था और इसी पवित्र सदन में मैंने कहा कि आप नकली होलोग्राम की बात करते हैं। होलोग्राम कहां लगता है ? इंडस्ट्री में लगता है। उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई ? वहां अधिकारी बैठे हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई ? माननीय अध्यक्ष महोदय, ई.डी. का सुप्रीम कोर्ट में केस लग गया था। आपने ए.सी.बी. में केस दर्ज कर लिया। जब ए.सी.बी. ने केस दर्ज किया, उसके बाद फिर ई.डी. घुस गई। अब सवाल यह उठता है, जब कल माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो डिस्टिलर है, उस पर भी एफ.आई.आर. होनी चाहिए। आपने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की ? अध्यक्ष महोदय, यह इस सरकार पर और जितनी एजेंसियां हैं, उनके गाल पर करारा तमाचा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि सरकार को 2100 करोड़ रूपये का घाटा हुआ तो आपने रिकव्हरी के लिये क्या किया ? आपने डिस्टिलर को कितनी बार नोटिस दिया ? यदि रिकव्हरी नहीं हुई तो आपने उसके लाइसेंस निरस्त करने के लिये क्या किया ? आप केवल राजनीति कर रहे हैं। आप केवल कांग्रेस पार्टी को और उसकी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। इसके अलावा आपके पास और कुछ काम नहीं है। यदि आप में हिम्मत है, आप में नैतिकता है, तो उन डिस्टिलरों को ब्लैक लिस्टेड करिये क्योंकि होलोग्राम तो वहीं से चेंज हुआ और वहीं से निकली शराब। उससे वसूली कब करेंगे ? उनको कितनी बार नोटिस देंगे। आपके कार्यकाल के सवा साल बीत गये। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो फिर आपका Nexus समझ आ रहा है। आपके संबंध समझ आ रहे हैं। मैं, आपसे यह पूछता हूँ कि यह रिश्ता क्या कहलाता है ? आप उन पर क्यों कार्यवाही नहीं कर रहे हैं ?आप केवल राजनीति करने के लिए किसी की छवी धूमिल करने, पार्टी को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। आप प्रदेश के हित में काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप मानते हैं कि उसमें 2100 करोड़ रूपये का घोटाला हुआ है राजस्व की कमी आयी है तो पहला प्वाईंट तो Distillery है, वह फैक्ट्री है, वह प्लांट है जहां से सब कुछ गतिविधियां शुरू होती हैं। मैं शुरू से बोल रहा हूँ । मैं प्रेस में भी बोलता था और इस सदन में भी मैंने बोला कि वहां पर कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- उसमें आप जितना प्रकाश डाल रहे हैं। Distillery से निकला होगा या कहीं से भी निकला होगा, कहीं होलोग्राम लगा होगा। वह सरकारी दुकान में बिकी है या नहीं बिकी है, इसकी जांच हो रही है। वहां डबल काऊंटर लगा या नहीं लगा। आप उसमें भी प्रकाश डालिए।

श्री भूपेश बघेल :- आप तो यह जांच कर रहे हैं। आप दो सालों से जांच कर रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसमें हम दो सालों से जांच नहीं कर रहे हैं। इसमें अभी जांच शुरू हुई है।

श्री भूपेश बघेल :- ई.डी. तो आपकी ही है। आई.टी. आपकी है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके समय की जांच चल रही है। आप जितना तथ्यात्मक शराब घोटाले में बोल रहे हैं। मैं तथाकथित बोल देता हूँ। आप यह बताईये कि वहां डबल काऊंटर लगा या नहीं लगा ? मैं यह एक बात जानना चाहता हूँ। अब उसको किसने लगाया, आपके अधिकारियों ने लगाया।

श्री भूपेश बघेल :- एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अजय जी ने बहुत सुन्दर प्रश्न उठाया। ई.डी., आई.टी. आपकी है और सारी सेन्ट्रल एजेंसी आपकी है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि क्या हर साल सेन्ट्रल एजेंसी ने आकर शराब दुकानों की जांच की है या नहीं की है? और यदि उन्होंने जांच किया गया है तो उसमें क्या पाया गया है? क्योंकि उसमें कुछ नहीं पाया गया है। आप केवल सुनी-सुनायी बात को कह रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- बस एक सवाल है।

श्री भूपेश बघेल :- भईया, एक चीज है। मैं सत्तापक्ष में नहीं हूँ, आप उधर सवाल पूछिए। प्रश्न का जवाब देने का अधिकार जनता ने नहीं दिया।

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय अजय जी, पहले आप यह बताईये कि अभी डबल काऊंटर है या नहीं? अभी यहां डबल काऊंटर चल रहा है या नहीं चल रहा है, यह बताईये ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आप जितनी बात बोल रहे हैं, यह आपका पक्ष है। आप जितनी बात कह रहे हैं, वह जांच के दायरे में है। इस जांच के निष्कर्ष के बाद, आपकी बात सत्य है या गलत है। यह बाद में साबित होगा। अभी तो आप ....।

श्री भूपेश बघेल :- उसमें फिर चर्चा क्यों होनी चाहिए ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आप ही चर्चा कर रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- आप क्यों राजनीति कर रहे हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आप चर्चा नहीं कर रहे हैं, आप सफाई दे रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि आप कि 2100 करोड़ रूपये को मान रहे हो।

श्री भूपेश बघेल :- आप एक चीज सुनिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप सफाई दे रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- आप मेरी बात सुनिए। आप 2100 करोड़ रूपये को मान रहे हैं। यदि आप यह मान रहे हैं तो आपने क्या Recovery की है? सब लोगों की संपत्ति जप्त करने के बाद, पैतृक संपत्ति जप्त करने के बाद 200 करोड़ हुआ, सब लोगों का मिलाकर हुआ। यह आरोप 2100 करोड़ रूपये का है। जो ई.डी. का चालान है, उसमें भी यह देख लीजिए । इन डिस्लरों के नाम है या नहीं है ? फिर आपने छोड़ कर क्यों रखा है ? जब उसमें नाम आ गया है, उसमें वह हैं तो ए.सी.बी. ने उनकी Recovery के लिए क्या किया ? माननीय अजय जी, सवाल यह उठता है कि ई.डी. में तो पिक एण्ड चूस है, वह किसी को आरोपी बना लेगा, किसी को छोड़ देगा, उसके नियम में वही है। लेकिन ए.सी.बी. के सेक्शन, एक्ट में क्या है ? उसमें देने वाला भी अपराधी है और लेने वाला भी अपराधी है। उस ए.सी.बी. ने क्या किया ? क्यों उसकी कार्यवाही नहीं हो रही है ? मैं इसीलिए यह कह रहा हूँ कि इसमें मिलीभगत है तभी आप कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। यदि आपमें हिम्मत है तो आप कार्यवाही करिये। आप नोटिस भेजिए, राज्य को राजस्व की हानि क्यों होनी चाहिए ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय वित्त मंत्री जी। (मेजों की थपथपाहट)

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस तृतीय अनुपूरक अनुमान की चर्चा में हमारे सदन के अनेक सम्माननीय सदस्यों ने भाग लिया है, मैं उन सब लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद् ज्ञापित करता हूँ। जिसमें विपक्ष की ओर से आदरणीय उमेश पटेल जी, आदरणीय राघवेन्द्र कुमार सिंह जी, श्रीमती शेषराज हरवंश जी, कुंवर सिंह निषाद जी ने चर्चा में भाग लिया, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने भी चर्चा में भाग लिया। विपक्ष के सभी पांचों साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद् ज्ञापित करता हूँ। सत्तापक्ष की ओर से हमारे वरिष्ठ सदस्य आदरणीय अजय चन्द्राकर जी, नीलकंठ टेकाम जी, भावना बोहरा जी ने चर्चा में भाग लिया, मैं तीनों को बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार आदरणीय विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में पिछले एक साल से सुशासन की सरकार के रूप में काम कर रही है और सुशासन के अनेक आयामों को पिछले एक वर्ष के अंदर विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में हम सबने पूरा करके दिखाया है। अगर इसका सबसे बड़ा प्रमाण कोई है तो अभी जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं, उनमें छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन का मिला हुआ जो आशीर्वाद, जनादेश है, वह सबसे बड़ा प्रमाण है। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, यह जो तृतीय अनुपूरक बजट है, इस बजट का अनुपूरक की दृष्टि से 19,762 करोड़ रुपये का बहुत बड़ा साईज दिखता है, इसमें पूंजीगत व्यय 5249 करोड़ रुपये हैं, 26 प्रतिशत पूंजीगत व्यय है। राजस्व व्यय 14,512 करोड़ रुपये का है। यह बजट का साईज है। इस अनुपूरक में जो सबसे बड़ी बात आई है, वह कृषक उन्नति योजना के लिए 2000 करोड़ रुपये का तृतीय अनुपूक बजट

में प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, लगभग सवा साल पहले जब चुनाव हुआ था तो हमारी पार्टी ने किसान भाईयों के धान को 3100 रुपये के भाव से प्रति एकड़ 21 क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी का वादा मोदी की गारंटी के तहत किया था। वर्ष 2023-24 में हमारी सरकार ने किसान भाईयों के 1 करोड़ 45 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी करके दिखाई थी। (मेजों की थपथपाहट) इसके लिए बोनस के अंतर की राशि का 24 लाख 72 हजार किसान भाईयों को 13,300 करोड़ रुपये का एकमुश्त भुगतान किया गया था। अध्यक्ष महोदय, अभी धान नहीं खरीदा जा रहा है, कई तरह के आरोप-प्रत्यारोप सदन में लग रहे थे। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को बताना चाहूंगा कि पिछली सरकार के एक साल को छोड़ दें तो अधिकतम धान खरीदी 93 लाख मीट्रिक टन की हुई थी और एक अंतिम बार 1 करोड़ 20 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। जबकि हमारी दो साल की जो धान खरीदी है, 1 करोड़ 45 लाख मीट्रिक टन और 1 करोड़ 49 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी है जो दोनों ही अपने आप में रिकॉर्ड है। (मेजों की थपथपाहट) हमने जो वादा किया था, पिछले बार की अंतर की राशि का 13,300 करोड़ रुपये का एकमुश्त भुगतान एक साथ किया था। इस बार 31 जनवरी को धान खरीदी समाप्त हुई और एक सप्ताह के भीतर 25 लाख 49 हजार किसान भाईयों को 12 हजार करोड़ रुपये का एक साथ 7 फरवरी को भुगतान किया गया। (मेजों की थपथपाहट) पूरे देश में इतना बड़ा ट्रांजेक्शन किसान भाईयों के खाते में करने का अपने आप में यह इतिहास है, एक रिकॉर्ड है। इसके बृहदता का आकलन इस बात से किया जा सकता है कि जिस दिन फंड ट्रांसफर किया गया तो इतना बड़ा amount था कि एक दिन में computer प्रोसेस भी नहीं कर पाया।(मेजों की थपथपाहट) computer प्रोसेस नहीं कर पाने के कारण दो-ढाई तीन तक भुगतान चलता रहा, किसान भाईयों के खाते में पहुंचता रहा। यह राशि computer की processing क्षमता से ज्यादा की थी। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा दो साल के बोनस का भी विषय सदन में आया था। यह दो साल का बोनस हम पहले नहीं दे पाये थे। लेकिन सदन के समक्ष मैं यह बात रखना चाहूंगा कि कांग्रेस ने भी 2018 के जन घोषणा पत्र में इस बात को लिखा था कि दो साल के बोनस का भुगतान करेंगे, लेकिन उन्होंने भी 05 सालों तक इस भुगतान को नहीं किया था। हमारी सरकार के मुख्यमंत्री जी के शपथ लेने के मात्र 12 दिनों बाद 25 दिसंबर की तारीख को 13 लाख किसान भाईयों के खाते में 3716 करोड़ रुपये 02 साल के बोनस का भी भुगतान किया गया। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, इन सवा सालों में किसान भाइयों के खाते में जो धान खरीदी का, अंतर की राशि का, 2 साल के बोनस का, किसान सम्मान निधि का अगर मैं इनका जिक्र करूं तो 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों के खाते में ट्रांसफर की गई है। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, finance की हम जब बात करते हैं, वित्तीय व्यवस्था की जब हम बात करते हैं, तो finance में और accountancy में बहुत अंतर होता है। पिछले कार्यकाल के समय में सम्माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी वित्त का प्रभार संभाल रहे थे। मैं finance के

पुराने डेटा को और आंकड़ों को देखता हूं तो पिछले पांच सालों में accounting भी ठीक से नहीं हो पायी थी। मुझे इस बात का अहसास होता है और finance केवल accounting का नाम नहीं है। जब हम finance की बात करते हैं तो हमारे चाहे वह व्यक्तिगत finance हो, चाहे संस्थागत finance हो चाहे स्टेट का finance हो, उसमें केवल एक जोड़-घटाव और accounting का काम नहीं है। एक अच्छा वित्तीय प्रबंधन इस बात की भी चिंता करता है कि लोन लिए हैं तो कहां से लेना चाहिए? जहां से लिए हैं, वह ब्याज की दृष्टि से महंगा है या सस्ता है? ब्याज वहां पर क्या कम हो सकता है या नहीं हो सकता है? स्टेट गारंटी को क्या वापस किया जा सकता है? इन सब बातों को भी ध्यान में रखकर हम finance की व्यवस्था पर जब बात करें तो इसका ध्यान रखना चाहिए। इस दृष्टि से जब मैं बात करता हूं तो आपके माध्यम से मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का 2250 करोड़ रूपये का लोन था। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड का, जी.ए.डी. के एम्प्लॉयस के लिए 750 करोड़ रूपये का लोन था और पुलिस हाउसिंग के लिए 500 करोड़ रूपये का लोन था। इन तीनों को मिलाकर लगभग साढ़े तीन हजार करोड़ का लोन होता है, जो महंगे ब्याज दरों पर चल रहे थे। इस अनुपूरक बजट में इस इन तीनों लोन का हम प्री पेमेंट कर रहे हैं और इसके माध्यम से राज्य सरकार की ब्याज की राशि प्रति वर्ष 50 करोड़ रूपये से अधिक राशि की बचत होगी। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, लोन पर भी आज बहुत चर्चा हुई। बहुत सारी चर्चा की गयी। लोन के विषय पर मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि इस वित्तीय वर्ष में शुद्ध लोन, जो नेट लोन है, रीपेमेंट को हम अगर अलग कर दें, इस स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस को, स्पेशल कैपिटल असिस्टेंस को, एस.सी.ए. को अलग कर दें तो इस वित्तीय वर्ष का शुद्ध लोन मात्र 2000 करोड़ रुपया बैठता है। अभी-अभी नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें छत्तीसगढ़ को पूरे देश के सेकंड बेस्ट फिस्कल मैनेजमेंट दूसरे सर्वाधिक अच्छे तरीके से वित्तीय प्रबंधन करने वाले राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ को निर्धारित किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय वित्त मंत्री जी, पहली बात तो यह है कि आपके इस सप्लीमेंट्री बजट से न मुख्यमंत्री सहमत हैं, न उप मुख्यमंत्री सहमत हैं। दोनों अनुपस्थित हैं। नंबर दो, जो आपने हाउसिंग बोर्ड की, पुलिस हाउसिंग की, आर.डी.ए. की बात कही, ये हमारे समय गठन नहीं हुआ है। पहले से गठन है, जब आपकी सरकार थी और उस समय से ये सब व्यवस्था चली आ रही है। तीसरी बात आपने कही कि नीति आयोग ने प्रशंसा की तो पुराने रिकॉर्ड भी निकालकर देख लीजिए। हमारे शासनकाल में भी नीति आयोग ने इसी प्रकार की रैंकिंग हमको दिया था। यह केवल अभी आपको नहीं दिया है, इसके पहले भी हमें रैंकिंग मिली है। आखिरी बात जो ब्याज दर की बात है, कोरोनाकाल के समय में स्थिति यह थी कि भारत सरकार अपना हिस्सा नहीं दे पा रही थी तो उन्होंने कहा कि ब्याज में पैसा लो, कहीं से भी लोन लो, हम नहीं दे पा रहे हैं। लंबे समय के लिए हो, लेकिन भारत सरकार

उस समय पूरे देशभर में केवल अकेले छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, पूरे देश भर में यह किया। वित्तमंत्री जी, यह स्थिति थी।

श्री ओ.पी. चौधरी :- जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये बात रखना चाहूंगा कि जो ब्याज की मैंने बात कही उसको स्टेट के लोन ले कर हम उसको रीपेमेंट कर रहे हैं और रीपेमेंट करके वह लोन आर.बी.आई. के माध्यम से आ रहा है। इस सामान्य प्रक्रिया से ब्याज की हमारी बचत हो रही है और ये प्रक्रिया पिछले वर्षों में भी पिछली सरकार के समय की जा सकती थी, यह बात मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, मैं यह बोलना चाह रहा हूं कि मेरे लिए यह बहुत आसान था कि मैं 2 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट लाऊं और वाहवाही लूं कि छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री बहुत अच्छा वित्तीय प्रबंधन कर रहे हैं यह कहलवाना बहुत आसान था । लेकिन जब राज्य की बात आती है तो व्यक्तिगत् वाहवाही महत्व नहीं रखती । मैं भी पसोपेश में था कि हम वित्तीय प्रबंधन को अच्छा दिखाएं या हमारे पुराने जो गड्ढे हैं उनको पाटने का काम करें । हमारे समक्ष एक चुनौती थी, एक संशय था । लेकिन जब व्यक्तिगत् वाहवाही की और प्रदेश के हित की बात आए तो प्रदेश के हित को चुनना स्वाभाविक था । इसलिए इतना बड़ा अनुपूरक बजट हमने प्रस्तुत किया है । अध्यक्ष महोदय, इस अनुपूरक बजट के एक-एक बिंदु को आपके सामने रखूंगा तो इसमें यही दिखाई देगा, पुराने लोन का रि-पेमेंट, प्री-पेमेंट या फिर पुराने गड्ढों को पाटने की ही स्थिति पूरी तरह से दिखाई देगी । उसके अलावा जो अतिरिक्त खर्च हैं वे पूंजीगत् व्यय किस्म के खर्च हैं । हम भी 3-4 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट लाकर वित्तीय अनुशासन दिखा सकते थे लेकिन यदि राज्य में कोई गड्ढा है और यदि हम एक बड़े विज़न के साथ राज्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जरूरी है कि लोन की चिंता किए बिना, जो वित्तीय लोन हम ले सकते हैं, एफआरबीएम और आरबीआई के नियमों के तहत् जो लोन ले सकते हैं, वह लोन लें और प्रदेश के विकास को सुनिश्चित करें । उस नेक-नीयत के साथ यह अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि किस तरह के जो पुराने गड्ढे हो गए थे उनको पाटने की कोशिश इस अनुपूरक के माध्यम से की गई है । बहुत आसान था कि 3-4 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट लेकर आते और वित्तीय अनुशासन दिखाते । लेकिन आज जो गड्ढे हैं उनमें कल मक्खी और मच्छर पनपेंगे ही और राज्य का विकास कहीं न कहीं बाधित होता ही । इसलिए हमने दूसरे मार्ग को चुना है और आरबीआई के, एफआरबीएम के रूल्स के तहत हम लोन ले सकते हैं उस लोन को लेकर पुराने पेमेंट्स को करने का प्रयास इस अनुपूरक बजट में दिखाई देता है । अध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में खाद्य सुरक्षा और पोषण की दृष्टि से बताना चाहूंगा कि 2018-19 से 31 दिसम्बर 2023 तक पूर्व के वर्षों में जो खाद्यान्न सहायता योजना में 3769 करोड़ का बकाया था, उसके 50 प्रतिशत, 1864 करोड़ का भुगतान करने का प्रावधान इस अनुपूरक में किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय, जो मार्कफेड है उसके ऊपर बहुत सारा लोन चढ़ा हुआ है । पहले भी लोन था लेकिन पिछले पांच वर्षों में उसमें बेतहाशा वृद्धि हुई थी । यह बढ़कर 18 हजार करोड़ पहुंच गया था । मुख्य बजट में 1400 करोड़ का प्रावधान किया गया था और अभी 1200 करोड़ रूपए इस अनुपूरक के माध्यम से देने जा रहे हैं ताकि भविष्य में मार्कफेड की हालत न बिगड़े और धान खरीदी सुचारू रूप से चलती रहे । दीर्घकालिक विज़न के साथ यह काम किया गया है । इसी तरह से चना के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि 446 करोड़ का पेमेंट पहले का पेंडिंग था, 400 करोड़ का प्रावधान मुख्य बजट में किया और 451 करोड़ का इस बजट में प्रावधान किया गया है । पीडीएस दुकानों के डीलर्स मार्जिन के लिए 169 करोड़ का पुराना बकाया था, मुख्य बजट में हमने 143 करोड़ का प्रावधान किया और अभी के बजट में 154 करोड़ का प्रावधान किया गया है । इसी तरह से फोर्टीफाइड राईस का पुराना भुगतान 85 करोड़ का लंबित था, 100 करोड़ का मुख्य बजट में प्रावधान किया था और 80 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया है । इसी तरह से आयोडाइज्ड नमक का 185 करोड़ का पुराना भुगतान लंबित था, 81 करोड़ का इसमें अतिरिक्त प्रावधान किया गया है । इसी तरह से शक्कर में, गुड़ में सबमें किया गया है । चने के लिए बहुत से सम्माननीय सदस्यों ने विषय रखा कि चने का वितरण नहीं हो पा रहा है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि पिछले महीनों में जो पुराने पेंडिंग थे उन सबके साथ चने का वितरण पूरी तरह से किया जा रहा है । पुराने पेंडिंग और बैकलॉग को देखते हुए पूरा वितरण किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय, जब हमारे मुख्यमंत्री जी को और हमारी सरकार को जिम्मेदारी मिली थी उस समय आयुष्मान भारत में 1447 करोड़ रूपए का पुराना भुगतान पेंडिंग था । इस अनुपूरक में 1500 करोड़ रूपए का अतिरिक्त प्रावधान किया है। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, आज सदन में किसान भाईयों के बिजली बिल की बहुत बात हुई, मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि जो प्रावधान है, उसमें एक से तीन एच.पी और तीन से पांच एस.पी. के लिए क्रमश: 6000 और 7500 यूनिट प्रतिवर्ष नि:शुल्क विद्युत प्रदाय करना है, जब हमको सरकार विरासत में मिली थी तो 2180 करोड़ रूपए का भुगतान लंबित था, इस अनुपूरक में हम 2200 करोड़ रूपए का प्रावधान किसानों के बिजली बिल के लिए बिजली कंपनी को प्रदान करने के लिए रखे हैं। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, उद्योग विभाग की अनेक सब्सिडियां कई वर्षों से लंबित थी और उसके लिए मैं कोई आरोप-प्रत्यारोप नहीं करना चाहता, कई छोटे-छोटे केस बहुत सारे लंबित रहते हैं, ऐसी इंडस्ट्री के जो छोटे-छोटे सब्सिडी पेंडिंग थे, उसके लिए 428 करोड़ रूपए का प्रावधान इस अनुपूरक बजट में किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) ताकि उद्योगों को उनके उद्योग सब्सिडी समय पर दी जा सके और नये समय की जरूरतों के हिसाब से रोजगार सृजन के अवसरों के लिए वह काम कर सकें।

अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राजनांदगांव जिले में बिजेतला में, जांजगीर चांपा जिले में सिलदेही, बिर्रा और गतवा में और नवा रायपुर अटल नगर में फार्मास्युटिकल पार्क की स्थापना के लिए अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के तहत् एस.सी.ए. के तहत् जो भारत सरकार से हमको अतिरिक्त राशि मिली है, उसमें 195 करोड़ रूपए का प्रावधान इस अनुपूरक बजट में किया गया है। इसके अलावा औद्योगिक विकास को तेज करने के लिए औद्योगिक संस्थान और इंजीनियरिंग पार्क की स्थापना के लिए भी 76 करोड़ रूपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि छत्तीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन के पुराने लोन के प्री पेमेंट के लिए 2250 करोड़ रूपए का प्रावधान इस बजट में किया है और छत्तीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन पुलिस हाऊसिंग और हाऊसिंग बोर्ड तीनों के लोन को हम प्री पेमेंट करेंगे तो इससे ब्याज में भी बचत होगी और सरकार की जो स्टेट गारंटी है, जो राज्य का प्रतिभूति दाव पर लगा हुआ है, उससे भी हमको राहत मिलेगी और हम अतिरिक्त लोन किसी अन्य जगह पर जरूरत होगी तो ले पाएंगे। इसी तरह से एक अतिरिक्त अच्छा प्रावधान किया गया है, वह रायपुर, नवा रायपुर और बिलासपुर में 133 करोड़ की लागत से वर्किंग वुमन हॉस्टल कामकाजी महिलाओं की दृष्टि से हॉस्टल बनाने का भी प्रावधान इस अनुपूरक बजट में किया गया है। नवा रायपुर में, जो नवा रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी NRDA द्वारा सरकारी विभागों को जो जमीन दी गयी थी, उसका भुगतान जो वर्षों से पेंडिंग था, अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि पिछले पांच सालों के दौरान नवा रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी के जो बैंक खाते थे, लोन खाते थे, वह NPA हो गए थे, इस स्थिति में जो 21वीं सदी का ग्रीन फील्ड सीटी जो हमारे छत्तीसगढ़ का शान कहा जाता है, जिसका पूरे देश में नाम है, उसके खाते NPA हो गए थे, ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, विभिन्न ऑफिसों के निर्माण के लिए, विभिन्न प्रोजेक्ट के लिए, आज NRDA द्वारा सरकारी विभागों को जो जमीन दी गई है, उसमें जो पेंडिंग राशि थी, उसके लिए 900 करोड़ रूपए का पूंजीगत व्यय के अंतर्गत यह प्रावधान भी किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के सभी विभागों में ई-ऑफिस और Sparrow portal के प्रावधान के लिए 17 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। मैं बहुत हर्ष के साथ सदन को बताना चाहूंगा कि ई-ऑफिस कही प्रणाली हमारे मंत्रीगणों के द्वारा भी प्रारंभ कर दी गयी है। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के अधिकार के तहत् RTE में बच्चों को जो प्रवेश मिलता है, उसका पेमेंट, उनका फीस, बच्चों का फीस, प्राईवेट स्कूलों में सरकार को जमा करना होता है, उसकी 55 करोड़ रूपए की एक बड़ी राशि पेंडिंग थी, उसको भी हमने साफ करते हुए, इस अनुपूरक बजट में प्रावधान किया है। इसके अलावा अभी प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, 144 वर्षों बाद यह अवसर सनातन परंपरा अनुसार आया है, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ का भव्य और दिव्य आयोजन

प्रयागराज में हो रहा है। वहां पर छत्तीसगढ़ के पवेलियन का भी निर्माण किया गया है, इसके लिए 15 करोड़ रूपए का प्रावधान इस अनुपूरक बजट में किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

समय :

5.00 बजे

अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से आपके माध्यम से सम्माननीय सदन को बताना चाहूंगा कि जब हम fiscal management बोलते हैं और जब हम अच्छे वित्तीय प्रबंधन की बात करते हैं तो हमारा इसपर भी फोकस होना चाहिए कि हम ब्याज में कमी कैसे लाये। state guarantees कैसे कम हो, प्रतिभूति कैसे कम हो, इसपर भी हमारा फोकस होना चाहिए। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण विषय हैं, भारत सरकार पिछले कुछ वर्षों से SCA (special capital assistance) की योजना चला रही है। जो राज्य reform oriented development कर पा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के reforms को introduce कर पा रहे हैं, उन reforms को introduce करने के एवज में भारत सरकार अतिरिक्त प्रोत्साहन की राशि प्रदान करती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूंगा कि शासकीय विभागों में जो 15 साल पुराने वाहन हैं, उनको scrap policy के अंतर्गत replace करते हैं और हम नये वाहन खरीदते हैं। जब हम उनको replace करते हैं तो भारत सरकार उसमें अतिरिक्त मदद करती है। इससे प्रदूषण भी कम होता है और नये वाहनों की खरीदी से राज्य की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलती है। इन सब दृष्टिकोणों से यदि हम reform करते हैं तो भारत सरकार ने 100 करोड़ रूपये के लगभग SCA के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि का ऐलान किया था। इसे मैं प्रोत्साहन राशि या award इसलिए बोलता हूं, क्योंकि भारत सरकार SCA के अंतर्गत जो रूपये-पैसे प्रदान करती है, उसका हमको 50 साल तक repayment नहीं करना है। 50 साल बाद हमको उसका पुनर्भुगतान करना है और 50 साल तक एक भी रूपये ब्याज में नहीं देना है। यह almost grant की तरह होता है तो scrap policy के तहत अगर हम 15 साल पुराने वाहनों का replacement करते हैं तो उसके लिए भारत सरकार ने 100 करोड़ रूपये की अतिरिक्त सहायता का ऐलान इस reform के लिए किया था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहूंगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में दो हजार से अधिक वाहनों का replacement right off करके किया गया है और इस reform के तहत लगभग 100 करोड़ रूपये की राशि भारत सरकार से SCA के अंतर्गत प्राप्त की गई है। इस पैरामीटर पर पूरे देश में छत्तीसगढ़ सबसे best performing state में से एक है। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से जो SNA स्पर्श का platform है, उसका उपयोग करने पर 500 करोड़ रूपये की प्रोत्साहन राशि का ऐलान भारत सरकार की ओर से किया गया था। इससे हम योजनाओं का just in time payment कर सकते हैं। इसमें भी राज्य पर जो अनावश्यक ब्याज का burden लगता है, उससे बचा जा सकता है। तो instant payment के लिए और interest के पैसे की बचत करने के

लिए SNA स्पर्श के platform को उपयोग करना एक बड़ा अच्छा reform था। हमने इसको भी करके दिखाया है। देश में केवल 4 राज्य हैं, जो इसे कर पाने में सफल हुए हैं। असम, राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। इसमें भी हमको भारत सरकार से 500 करोड़ रूपये की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है। (मेजों की थपथपाहट) इस तरह के अलग-अलग reforms के माध्यम से भारत सरकार से SCA का जो amount मिल सकता था, उसको अधिकाधिक explore किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ रिकॉर्ड रूप से विभिन्न reforms को introduce करने के साथ-साथ 6 हजार करोड़ रूपये से अधिक का SCA amount भारत सरकार से इस वित्तीय वर्ष में लेने में सफल हुआ है। छत्तीसगढ़ देश के सबसे best performing state के रूप में सामने आया है। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, इस तरह के अनेक बिंदुओं पर बात हुई है। मैं राघवेन्द्र जी के 1-2 बिंदुओं को बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि जो central का unit है, जो dry port के रूप में विकसित किया जा सकता है, उसके लिए मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार उसको संज्ञान में लेकर already initiate की है और उसपर काम करना शुरू कर दी है। मैं उनको बताना चाहूंगा कि इसके अलावा उन्होंने जी.एस.टी. में tax terror की बात कही थी। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी जी.एस.टी. पर कहा था तो मैं यही कहना चाहूंगा कि पिछले 5 सालों में लगभग 90 raid किये गये थे। जब किसी pin pointed जगह पर जी.एस.टी. का raid की जाती है तो वहां अच्छे से टैक्स की वसूली होनी चाहिए। लेकिन 90 जगह रेड करने के बाद भी लगभग 5 करोड़ रूपये जी.एस.टी. एमाउन्ट के रूप में जमा कराया जा सका था। रेड होता था, उसके बाद 5 करोड़ रूपये की ही राशि जमा कराया गया था, यह कहीं न कहीं मिसगर्वनेंस का द्योतक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 5 सालों में 5 करोड़ जमा हुआ था और हमारे समय में 90 रेड हुए हैं, उसी 90 रेड में इस बार सौ करोड़ की राशि जी.एस.टी. के रूप में राज्य के खजाने में जमा हुई है। अध्यक्ष महोदय ऐसा लगता है कि कई प्रकार के लोगों ने तत्कालीन सरकार को कई तरह से गुमराह भी किया था। यही कारण है कि जी.एस.टी. में जो दो लोग वहां पर थे, वह आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहूंगा कि यह सरकार रिफॉर्म के आधार पर, गवर्नेंस के आधार पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करने का प्रयास कर रही है। वित्तीय प्रबंधन की दृष्टि से जो best possible हो सकता है, हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। यही कारण है कि आज एक-सवा साल के भीतर में हमारे किसान भाईयों को एक लाख करोड़ रूपये से अधिक की राशि भुगतान हो पाया है। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, महतारी वंदन योजना में तरह-तरह की बात होती है। मैं बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा कवरेज करने वाला कोई राज्य है तो छत्तीसगढ़ राज्य है। 70 लाख का जो रेशियो है, सर्वाधिक हमारे छत्तीसगढ़ में दिया जाता है। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल ही इकोनामिक टाईम्स का एक न्यूज पढ़ रहा था। इसमें लिखा हुआ कि कर्नाटक में सब फ्लेक्सी स्कीम बंद हो गया है। इकोनामिक टाईम्स का न्यूज है, देश के राष्ट्रीय स्तर के अखबार का न्यूज है। कर्नाटक कांग्रेस शासित राज्य है। वहां पर पिछले 4 महीने से माताओं-बहनों के लिए जो गृह लक्ष्मी योजना चलती है, उसका पेमेन्ट नहीं हो पा रहा है। इस तरह की स्थिति का न्यूज कर्नाटक राज्य के बारे में पढ़ रहा था। मैं यही कहना चाहूंगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में रिफॉम के आधार पर, गवर्नेंस के आधार पर यह सरकार काम का रही है। वित्तीय रूप से बेहतर प्रबंधन करके जो best possible हो सकता है, हम उस दिशा में बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने टैक्स कलेक्शन पर कई सवाल उठाये हैं। यह बजट सत्र है। मुख्य बजट में जब विनियोग पर चर्चा होगी, अन्य विषय आयेंगे, तब मैं टैक्स कलेक्शन की स्थिति सम्माननीय सदन को जवाब में दूंगा, उसमें भी जो best होगा, हम करने का प्रयास कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहूंगा कि पिछले सवा सालों में जो गवर्नेंस रहा है, उसके कारण छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन ने भरपूर आशीर्वाद हमारी सरकार को, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व को प्रदान किया है। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, लोकतन्त्र में जनता का जनादेश ही सबसे बड़ा मार्कशीट होता है, सबसे बड़ा रिपोर्ट कार्ड होता है। रिपोर्ट कार्ड मेरे हाथ में है, मार्कशीट मेरे हाथ में है। हम सब स्कूली विद्यार्थी के रूप में अपना अंक सूची लेकर अपने घर जाकर दिखाते थे, वैसे ही आज मैं सदन में आपके समक्ष दिखाना चाहूंगा। 10 नगर निगमों में 10 भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है। (मेजों की थपथपाहट) कांग्रेस को 0 मिला है। 49 नगर पालिका परिषदों में 35 सीट में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है (मेजों की थपथपाहट) कांग्रेस को 8 सीट मिली है। 114 नगर पंचायतों में 81 में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है (मेजों की थपथपाहट) कांग्रेस को 22 सीट मिली है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस को नगर पंचायतों में बड़ी मुश्किल से डबल डिजीट में पहुंच पाई है। नगर पालिका में बड़ी मुश्किल से सिंगल डिजिट में है और नगर निगम में 0 में आऊट हुई है। (मेजों की थपथपाहट) तो छत्तीसगढ़ की जनता का जनादेश, हमारा मार्कशीट, हमारा रिपोर्ट कार्ड, सबसे बड़ा लोकतन्त्र में यही होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, और कुछ विषय हैं, मैं उसको विनियोग विधेयक के समय सम्माननीय सदन के समक्ष रखूंगा। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या- 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 54, 56, 64, 65, 67, 71, 75, 79, 80, 81, एवं 82 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर उन्नीस हजार सात सौ बांसठ करोड़, बारह लाख, बयालीस हजार, पांच सौ तेईस रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये।

अनुपूरक अनुदान मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

समय :

5:10 बजे

शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2025 (क्रमांक 2 सन् 2025)

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2025 (क्रमांक 2 सन् 2025) का पुर:स्थापन करता हूं।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2025 (क्रमांक 2 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। आपको और कुछ अतिरिक्त बोलना है?

श्री ओ.पी. चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, नहीं।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2025 (क्रमांक 2 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2025 (क्रमांक 2 सन् 2025) पारित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2025 (क्रमांक 2 सन् 2025) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 27.02.2025 को 11:00 बजे दिन तक के लिए स्थगित।

(सायं 5 बजकर 13 मिनट पर विधान सभा गुरूवार, दिनांक 27.02.2025 (फाल्गुन 8, शक संवत् 1946) के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

दिनेश शर्मा

रायपुर (छ.ग.) **सचिव**

दिनांक : 25 फरवरी, 2025 **छत्तीसगढ़ विधान सभा**

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं